नेफेड
किसान सहकारिता

वार्षिक रिपोर्ट
2021-2022

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी
विपणन संघ मर्यादित

विनयपूर्ण निवेदन
वित्त एवं लेखा, समन्वय तथा जनसंपर्क विभाग ने
इस वार्षिक प्रतिवेदन में सूचना/डेटा को संकलित एवं मुद्रित करते समय उचित सावधानी बरती है,
किंतु फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो
तो आपसे अनुरोध है कि उदारता दिखाते हुए इसे मानव भूल के
रूप में ही लें।

धन्यवाद
जनसंपर्क विभाग
दूरभाषः +91-11-26340019

"हमारे कॉपरेटिव में एक वाइबरेंट बिजनेस एनटिटी बनाने का स्कोप होता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि कॉपरेटिव को एक सफल बिजनेस इन्टरप्राईस में कैसे बदलें।"

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

स्रोत: पीएम ने 24 फरवरी, 2022 को कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के तरीकों पर वेबिनार को संबोधित किया

नेफेड का परिकल्पना वृतांत

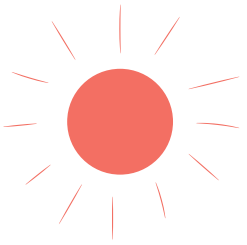

किसानों, सरकार और उपभोक्ताओं के कुशल बाजार संपर्क के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए विपणन समाधान प्रदान करने में एक वैश्विक सहकारी लीडर बनना।

अनुक्रमणिका

अध्याय सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
	प्रबंध निदेशक का संदेश	04
1.	भारत में कृषि परिदृश्य: एक अवलोकन	06
2.	सहकारिता: बेहतर भारत का निर्माण	11
3.	निदेशक मंडल	14
4.	नेफेड की प्रबंधन टीम	16
5.	नेफेड की बैठकें एवं सदस्यता (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022)	17
6.	नेफेड के गत पांच वर्षों का वित्तीय वृंतात (वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक)	18
7.	नेफेड की सफलता के सूत्र	20
	7.1 नेफेड एक नजर में	21
8.	नेफेड का कारोबारी कार्यक्षेत्र	24
	8.1 दलहन एवं तिलहन	25
	8.2 खाद्यान्न	27
	8.3 बागवानी	29
	8.4 संस्थागत आपूर्ति	30
	8.5 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार	32
	8.6 प्रत्यक्ष कारोबार	33
	8.7 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)	34
	8.8 कृषक संपर्क एवं सुविधा (एफओएफ)	35
	8.9 उपभोक्ता विपणन	41
	8.10 जैविक खेती	45
	8.11 बीज कारोबार	47
	8.12 संपत्ति एवं औद्योगिक इकाईयां	49
	8.13 जैव-उर्वरक	52
	8.14 जलवायु अनुकूल नवाचार (सीआरआई)	53
9.	विधि एवं टाई-अप	54
10.	जन संपर्क	55
11.	कार्मिक एवं सतर्कता	57
12.	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	59
13.	हिंदी	61
14.	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ)	62
15.	वार्षिक लेखा	65

प्रबंध निदेशक

नेफेड
किसान सहकारिता

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड)

संदेश

प्रिय मित्रों,

मुझे वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए नेफेड का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वर्ष के दौरान, नेफेड ने रिकार्ड 19,752.23 करोड रुपये का कारोबार किया और अपनी लाभप्रदता की स्थिति को बरकार रखने में सफल रहा। प्रचालन की दृष्टि से नेफेड का प्रचालन लाभ 342.38 करोड़ रुपये रहा। स्थापन और प्रशासनिक खर्चों का लेखा–जोखा करने एवं आस्थगित करों और आयकर देयता चुकाने के उपरांत, संघ का निवल लाभ 39.27 करोड़ रुपये रहा।

मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि नेफेड की सदस्यता 944 से बढ़कर 978 हो गई है और वर्ष के दौरान शेयर पूंजी 30.69 करोड़ रुपये से बढ़कर 41.01 करोड़ रुपये हो गई है। हाल के वर्षों के दौरान नेफेड के निरंतर अच्छे कार्य–निष्पादन को देखते हुए, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सदस्य संघों/समितियों को 15 प्रतिशत का लाभांश देने का प्रस्ताव किया है।

कृषि जिंसों की खरीद और विपणन नेफेड के मूल क्रियाकलापों में से एक है। वर्ष के दौरान सबसे अधिक कारोबार दलहन, तिलहन, खाद्यान्न और प्याज की खरीद की वजह से हुआ। वर्ष के दौरान मूल्य समर्थित योजना (पीएसएस) के अंतर्गत 6208.83 करोड़ रुपये की 11.08 लाख मीट्रिक टन दलहन और 863.37 करोड़ रुपये की 1.54 लाख मीट्रिक टन तिलहन की खरीद की गई। नेफेड ने उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) के निदेशानुसार वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के अंतर्गत 971.74 करोड़ रुपये की 1.41 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीद भी की। इसके अलावा, नेफेड ने दलहन बफर के लिए 0.99 लाख मीट्रिक टन मसूर के आयातित स्टॉक की खरीद की। प्याज के बफर स्टॉक के लिए नामित एजेंसी होने के कारण, नेफेड ने अपने पैनल में सूचीबद्ध सहकारी समितियों, एफपीसी और एफपीओ की सहायता से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में 439.84 करोड़ रुपये के 2.14 लाख मीट्रिक टन प्याज की भी खरीद की। वर्ष के दौरान, नेफेड ने भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकारों की ओर से विकेंद्रीकृत खरीद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 823.67 करोड़ रुपये के 3.74 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न (गेहूं और धान) की खरीद की।

सशस्त्र बलों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नेफेड से दालों की अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना जारी रखा। इन संस्थानों को राष्ट्रीय बफर से 6043.41 करोड़ रुपये की 6.05 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्कृत दालों की आपूर्ति की गई। इसके अलावा, राज्यों को उनकी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 5711.58 करोड़ रुपये के खाद्य तेल, चीनी, नमक, किराने का सामान आदि की भी आपूर्ति की गई।

यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि संघ

ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी छाप छोड़ी और प्रतिष्ठित ऑर्डर हासिल कर विदेशी बाजार में अपनी पैठ मजबूत की। वर्ष के दौरान, 406.95 करोड़ रुपये का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया गया। इसमें 374.76 करोड़ रुपये का 1,25,333.60 मीट्रिक टन भारतीय गैर–बासमती चावल शामिल है, जो जी2जी व्यवस्था के अंतर्गत बांग्लादेश को निर्यात किया गया। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय की ओर से म्यांमार को मानवीय सहायता के रूप में 32.18 करोड़ रुपये के 10,000 मीट्रिक टन चावल और 200 मीट्रिक टन गेहूं भेजे गए।

10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक के रूप में, नेफेड ने लगभग 1,08,000 किसानों को संगठित करते हुए, 557 के आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 31 मार्च, 2022 तक 421 एफपीओ को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया। किसानों की आय दोगुनी करने के माननीय प्रधानमंत्री के विजन को प्राप्त करने के लिए किसानों/उत्पादकों को आगे और पीछे जोड़ने के समग्र उद्देश्य के साथ विभिन्न नवीन पहलों के माध्यम से आने वाले वर्षों में नेफेड की गतिविधियों का बड़े पैमाने पर विस्तार करने के लिए तैयार है।

नेफेड सतत कृषि के सृजन के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में नेफेड के तकनीकी भागीदारों के सहयोग से लगभग 1850 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष के दौरान 13.71 करोड़ रुपये का खुदरा व्यापार, 81.62 करोड़ रुपये का बीज का कारोबार और 3.36 करोड़ रुपये का जैव उर्वरक का भी कारोबार किया गया। साथ ही, नेफेड ने पशुपालन और डेयरी विभाग की प्रोग्राम लॉजिस्टिक एजेंसी के रूप में पशुधन में प्रचलित खुरपका एवं मुंहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के लिए भी काम करना जारी रखा।

मैं वर्षों से नेफेड को बहुमूल्य समर्थन और सहयोग के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय में सुधार के लिए माननीय प्रधान मंत्री की दूरदृष्टि और किसान समर्थक नीतियां हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति और प्रेरणा स्रोत रही हैं। हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी और माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के मार्गदर्शन के लिए और किसानों के हित में नेफेड के कारोबारी विस्तार के लिए आगे की राह दिखाने के लिए अत्यंत आभारी हैं।

मैं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले मंत्रालय को भी देश के किसानों और उपभोक्ताओं के हित में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में नेफेड को अपना समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं नेफेड को समय पर धन उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिससे इन योजनाओं और कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में मदद मिली। मैं विभिन्न देशों को मानवीय और अन्य सहायता की आपूर्ति के लिए नेफेड में अपना भरोसा एवं विश्वास बनाए रखने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

नेफेड डीजीएफटी, एनसीडीसी, एनसीयूआई, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, केनरा बैंक, अपीडा, सीडब्ल्यूसी, एनएचबी, एसएफएसी, इफको, कृभको, एनसीसीएफ, एनएचआरडीएफ, एनसीसी, ट्राइफेड, नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य भंडारण निगम, राज्य स्तरीय बीज निगम और अन्य सभी सरकारी विभाग और स्वायत्त निकायों का भी आभारी है जिन्होंने नेफेड को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है।

मैं, माननीय अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अंत में, मैं, नेफेड के कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों लिए धन्यवाद देता हूं, जिनके समर्पित प्रयासों और अथक परिश्रम के बिना, विशेष रूप से कोविड–19 महामारी की अत्यंत चुनौतीपूर्ण अवधि में, उपरोक्त उपलब्धियां संभव नहीं होतीं।

मैं, आपके और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आइए! हम सब मिलकर काम करना जारी रखें और देश के किसानों की सेवा करते हुए संघ को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अथक परिश्रम करें।

धन्यवाद,
राजबीर सिंह

अध्याय 1

भारत में कृषि परिदृश्यः एक अवलोकन

पृष्ठभूमि

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण है चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। इस प्रकार यह क्षेत्र आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में लगभग 60 प्रतिशत परिवार अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर आश्रित हैं। भारत में कृषि के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र विश्व में दूसरे स्थान पर है। भूमि उपयोग सांख्यिकी 2014–15 के अनुसार, 328.7 मिलियन हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष, लगभग 140.1 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बुवाई भूमि है और 198.4 मिलियन हेक्टेयर 142 प्रतिशत की फसल सघनता के साथ सकल फसली क्षेत्र है। देश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 68.4 मिलियन हेक्टेयर है।

पिछले कुछ वर्षों में, प्रति परिवार कृषि भूमि का आकार घट रहा है। देश में 86 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं। भूमि जोत का कम आकार, कृषि आगतों की बढ़ती लागत और अप्रत्याशित बाजार व्यवहार कृषि में आर्थिक व्यवहार्यता को एक बड़ी चुनौती बनाते हैं। कई अन्य चुनौतियों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण मिट्टी की बिगड़ती गुणवत्ता, खराब मौसम की स्थिति, भूजल स्तर में गिरावट, अनियमित बिजली आपूर्ति, आदि शामिल है।

खेती को ही प्राथमिकता देने वाले अधिकांश परिवारों के साथ, कृषि क्षेत्र हमेशा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। हमारे किसानों को बेहतर तकनीक, ऋण, बेहतर आगत और अधिक से अधिक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

आगे की राह

वर्ष 2021–22 (मौजूदा कीमतों पर) के लिए देश के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में कृषि क्षेत्र का योगदान 18.8 प्रतिशत (प्रथम अग्रिम अनुमान) है। कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए गठित अंतर–मंत्रालयी समिति ने किसानों की आय को वास्तविक रूप से दोगुना करने की रणनीति की सिफारिश की। समिति ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रमुख स्रोत चिन्हित किए जैसे फसल और पशुधन उत्पादकता में सुधार; संसाधन उपयोग दक्षता या उत्पादन की लागत में बचत; फसल सघनता में वृद्धि; ज्यादा मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण; किसानों को प्राप्त वास्तविक कीमतों में सुधार; और खेत से गैर–कृषि व्यवसायों में स्थानांतरित होना। कृषि में निवेश पर भी बल दिया जा रहा है, उदाहरण के लिए, कृषि–ग्रामीण सड़क, ग्रामीण बिजली, सिंचाई के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाना; और कृषि में कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए नीतिगत सहयोग की आवश्यकता।

सरकार आय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाश रही है, जो केवल लक्षित उत्पादन प्राप्त करने से आगे बढ़कर हो। यह दृष्टिकोण खेती से अधिक लाभ अर्जित करने की दृष्टि से उच्च उत्पादकता, खेती की कम लागत और उपज पर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप योजनाओं और नीतिगत सुधारों के माध्यम से विभिन्न पहल की गई हैं।

किसानों की आय में सुधार के उद्देश्य से सरकार अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इनमें से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना,

परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य योजना, नीम लेपित यूरिया, ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों की उत्पादकता और आय में सुधार करना है। इस प्रकार, एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण से निश्चित रूप से किसानों को बाजार से जोड़ने और खेती से उनकी आमदनी को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त होगा।

केंद्रीय क्षेत्र योजना ''10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन''

छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को एफपीओ में जोड़ने से किसानों की आर्थिक मजबूती और बाजार संपर्क बढ़ाने में मदद मिलती है। इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत, भारत सरकार ने बजटीय प्रावधान के अंतर्गत 10,000 नए एफपीओ बनाने और उनका संवर्धन करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति और प्रतिबद्ध संसाधनों के साथ ''10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन'' नामक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना की शुरूआत की है। एफपीओ बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने और सदस्यों के लिए बाजार पहुंच में सुधार की सुविधा प्रदान करेगा। इसी क्रम में विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ''एक जिला एक उत्पाद'' (ओडीओपी) क्लस्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

''कृषि अवसंरचना कोष'' के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना

भारत सरकार ने एक केंद्रीय क्षेत्र योजना–कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है जिसका मुख्य उद्देश्य ब्याज छूट (सबवेंशन) और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित अर्थव्यसस्था से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम–दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि–उद्यमी, स्टार्टअप, कृषिगत अवसंरचना प्रदाता और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह योजना सहकारी क्षेत्र को फसल की कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है।

वर्ष 2021–22 के लिए कृषि उत्पादन और अग्रिम फसल अनुमान

भारत खाद्यान्न उत्पादन में पहले से ही आत्मनिर्भर है। भारत सरकार अब ''आत्मनिर्भर भारत'' बनाने के माननीय प्रधान मंत्री के लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर दालों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मिशन पर आगे बढ़ रहा है। दलहन और तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में सरकार द्वारा की गई विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। ये उपाय विदेशी मुद्रा के भारी बहिर्वाह को कम करने और देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। यह न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा अपितु घरेलू प्रसंस्करण उद्योग के पुनरुत्थान की ओर भी ले जाएगा, जो भारी आयात के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।

भारत की प्रमुख फसलों की खेती, उत्पादन और उत्पादकता स्तर के अंतर्गत क्षेत्र निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1: प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज

फसलें	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)			उत्पादन (मिलियन टन)			उपज (किलो/हेक्टेयर)		
	2018-19	2019-20	2020-21*	2018-19	2019-20	2020-21*	2018-19	2019-20	2020-21*
चावल	441.56	436.62	450.67	116.48	118.87	122.27	2638	2722	2713
गेहू	293.19	313.57	316.15	103.60	107.86	109.52	3533	3440	3464
पोषक/मोटे अनाज	221.46	239.88	238.28	43.06	47.75	51.15	1944	1991	2146
दलहन	291.56	279.87	288.33	22.08	23.03	25.72	757	823	892
अनाज	1247.77	1269.95	1293.43	285.21	297.50	308.65	2286	2343	2386
तिलहन	247.94	271.39	287.88	31.52	33.22	36.10	1271	1224	1254
गन्ना	50.61	46.03	48.57	405.42	370.50	399.25	80105	80497	82205
कपास @	126.14	134.77	130.07	28.04	36.07	35.38	378	455	462
जूट एवं मेस्टा #	7.05	6.73	6.63	9.82	9.88	9.56	2508	2641	2595

(स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
** चौथा अग्रिम अनुमान*
@लाख 170 किलो के प्रत्येक गांठ में उत्पादन
 # लाख 180 किलो के प्रत्येक गांठ में उत्पादन

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अनुमान के अनुसार, गन्ने को छोड़कर, वर्ष 2020–21 के दौरान सभी प्रमुख फसलों का उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर से अधिक हुआ है। वर्ष 2020–21 के दौरान दलहन का अनुमानित उत्पादन स्तर 25.72 मिलियन मीट्रिक टन और तिलहन का 36.10 मिलियन मीट्रिक टन है। दलहन के उत्पादन में जहां 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं तिलहन के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाद्यान्न का उत्पादन 308.65 मिलियन मीट्रिक टन आंका गया है, यह भी अब तक की रिकार्ड उपलब्धि है और पिछले वर्ष की तुलना में 3.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

भारत को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से ''आत्मनिर्भर कृषि'' की दिशा में भारत सरकार की विभिन्न पहलों के कारण खाद्यान्न, तिलहन और दलहन का अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।

वर्ष 2010–11 से 2020–21 की अवधि के दौरान भारत की प्रमुख फसलों का श्रेणीवार उत्पादन

तालिका 2: भारत में अनाज का उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	रबी	खरीफ	कुल
2010-11	112.52	113.73	226.25
2011-12	116.98	125.22	242.20
2012-13	116.63	122.15	238.78
2013-14	123.09	122.70	245.79
2014-15	112.53	122.34	234.87
2015-16	115.66	119.56	235.22
2016-17	123.24	128.74	251.98
2017-18	128.44	131.16	259.60
2018-19	129.71	133.42	263.14
2019-20	138.59	135.89	274.48
2020-21	143.32	141.96	285.28
2021-22	140.09	146.68	286.77

(स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

रेखाचित्र 2: भारत में अनाज का उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

तालिका 3: भारत में दलहन का उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	रबी	खरीफ	कुल
2010-11	7.12	11.12	18.24
2011-12	6.06	11.03	17.09
2012-13	5.92	12.43	18.35
2013-14	6.00	13.26	19.26
2014-15	5.73	11.42	17.15
2015-16	5.53	10.79	16.32
2016-17	9.58	13.55	23.13
2017-18	9.31	16.11	25.42
2018-19	8.09	13.98	22.07
2019-20	7.72	15.44	23.16
2020-21	8.49	17.09	25.46
2021-22	8.25	19.50	27.75

(स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

रेखाचित्र 3: भारत में दलहन का उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

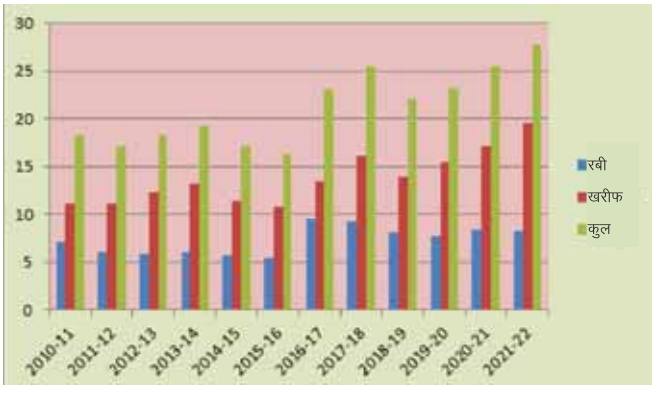

तालिका 4: भारत में तिलहन का उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक लाख में)

वर्ष	रबी	खरीफ	कुल
2010-11	105.57	219.22	324.79
2011-12	91.08	206.91	297.99
2012-13	101.50	207.91	309.41
2013-14	101.26	226.24	327.49
2014-15	82.90	192.21	275.11
2015-16	85.53	166.98	252.51
2016-17	97.50	215.26	312.76
2017-18	104.53	210.06	314.59
2018-19	108.46	206.76	315.22
2019-20	109.72	222.47	332.19
2020-21	122.24	237.23	359.47
2021-22	137.91	247.07	384.98

रेखाचित्र 4: भारत में तिलहन का उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक लाख में)

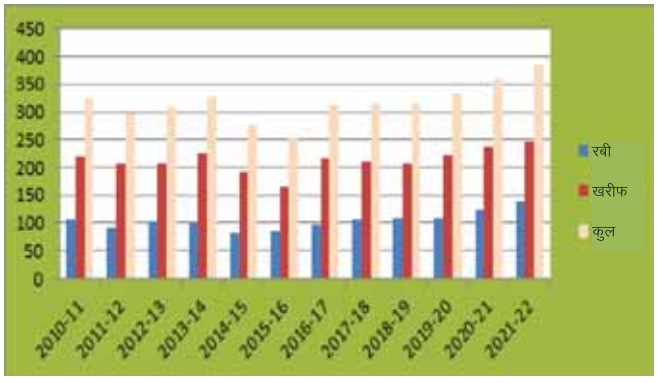

तालिका 5: भारत में दलहन का आयात

वर्ष	मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में	मूल्य करोड रुपये में
2010-11	2.78	7,512
2011-12	3.50	9,448
2012-13	4.02	13,357
2013-14	3.66	12,841
2014-15	4.63	17,273
2015-16	5.88	25,964
2016-17	6.66	28,751
2017-18	5.68	19,053
2018-19	2.60	8,290
2019-20	2.98	10,527
2020-21	2.51	12,154
2021-22	2.77	17,105

(स्रोत: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

रेखाचित्र 5(क): मात्रा के संदर्भ में भारत द्वारा दलहन का आयात

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

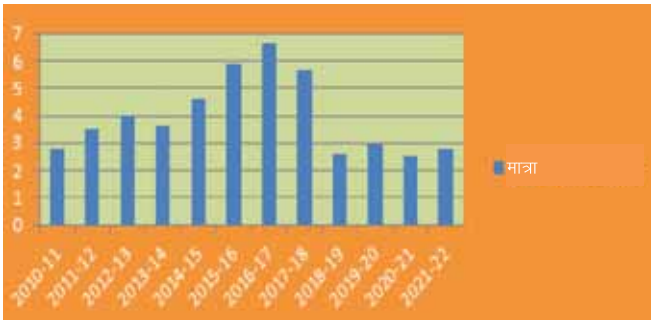

रेखाचित्र 5(ख): मूल्य के संदर्भ में भारत द्वारा दलहन का आयात

(मूल्य रुपये करोड़ में)

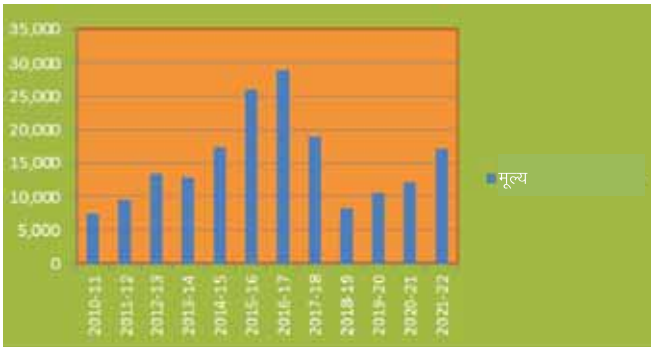

तालिका 6: भारत में दलहन के तुलनात्मक उत्पादन के सापेक्ष आयात

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	आयात	उत्पादन
2010-11	2.78	18.24
2011-12	3.5	17.09
2012-13	4.02	18.35
2013-14	3.66	19.26
2014-15	4.63	17.15
2015-16	5.88	16.32
2016-17	6.66	23.13
2017-18	5.68	25.42
2018-19	2.6	22.07
2019-20	2.98	23.16
2020-21	2.51	25.46
2021-22	2.77	27.75

स्रोत: उत्पादन डेटा: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

आयात डेटा: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

रेखाचित्र 6: भारत में दलहन के तुलनात्मक उत्पादन के सापेक्ष आयात

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

वनस्पति तेल का आयात (खाद्य एवं अखाद्य)

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

माह	2020-21			2019-20			प्रतिशत
	खाद्य	अखाद्य	कुल	खाद्य	अखाद्य	कुल	
नवम्बर–20	10,83,329	19,570	11,02,899	11,00,424	26,796	11,27,220	(-) 2%
दिसम्बर–20	13,28,161	28,424	13,56,585	11,07,380	20,901	11,28,281	(+) 20%
जनवरी–21	10,74,635	22,034	10,96,669	11,57,123	38,689	11,95,812	(-) 8%
फरवरी–21	7,96,568	42,039	8,38,607	10,89,661	22,817	11,12,478	(-) 25%
मार्च–21	9,57,633	22,610	9,80,243	9,41,777	13,645	9,55,422	(+) 2.6 %
अप्रैल–21	10,29,912	23,435	10,53,347	7,95,025	3,690	7,98,715	(+) 32%
मई–21	12,13,142	36,506	12,49,648	7,20,976	22,845	7,43,821	(+) 68%
जून–21	9,69,431	26,583	9,96,014	11,68,138	30,201	11,98,339	(-) 17%
जुलाई–21	9,17,336	63,288	9,80,624	15,17,350	47,995	15,65,345	(-) 37 %
अगस्त–21	10,16,370	37,440	10,53,810	13,08,405	62,052	13,70,457	(-) 23%
सितंबर–21	16,98,730	63,608	17,62,338	10,44,242	17,702	10,61,944	(+) 66%
अक्तूबर–21	10,46,264	14,285	10,60,549	12,24,945	41,839	12,66,784	(-) 16%
योग	**1,31,31,511**	**3,99,822**	**1,35,31,333**	**1,31,75,446**	**3,49,172**	**1,35,24,618**	**(+) 0.05%**

स्रोतः सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

भारत खाद्य तेलों का विश्व का अग्रणी उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता है। विश्व स्तर पर अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद, मांग और आपूर्ति (60 से 70 प्रतिशत) के बीच बहुत बड़ा अंतर है। हाल के वर्षों में भारत सरकार की विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, देश में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है किंतु तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने तक हमें अभी लंबा रास्ता तय करना होगा। पाम ऑयल, सोया और सूरजमुखी के बीज का तेल देश में आयात होने वाले प्रमुख तेलों में शामिल हैं। पाम ऑयल मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से प्राप्त होता है, सोया तेल अर्जेंटीना और ब्राजील से, जबकि यूक्रेन और अर्जेंटीना, भारत में सूरजमुखी के तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।

कृषिगत प्रौद्योगिकी, कृषि की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने एवं सरकार के समर्थन के साथ, भारतीय कृषि क्षेत्र, एक बड़े बदलाव तथा मात्रात्मक विकास के लिए तैयार है।

अध्याय 2

सहकारिता: बेहतर भारत का निर्माण

"आर्थिक विकास का सहकारी मॉडल ही एकमात्र ऐसा मॉडल है जो 130 करोड़ की आबादी वाले भारत के सर्वांगीण और सर्व समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल करने में काम करेगा।"

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

सर्वप्रथम सहकारिता के बारे में

सहकारी समितियां जन–केंद्रित उद्यम होती हैं जो संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन होती हैं और अपने सदस्यों द्वारा और अपने सदस्यों के लिए लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित की जाती हैं जिससे वे अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित उद्यमों के रूप में, सहकारी समितियां उद्यम के केंद्र में निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय का स्थान रखती हैं। विश्व भर में सहकारी समितियां लोगों को स्थायी उद्यमी बनाने के लिए एक साथ मिलकर इस तरह के काम कर रही हैं जो दीर्घकालिक रोजगार और समृद्धि पैदा करने वाले होते हैं।

सहकारिता लोगों को लोकतांत्रिक और समानता के आधार पर एक रखती है। सदस्य चाहे ग्राहक हों, कर्मचारी हों, उपयोगकर्ता हों या निवासी हों, सहकारी समितियों का प्रबंधन लोकतांत्रिक तरीके से "एक सदस्य, एक मत" नियम द्वारा किया जाता है। कोई सदस्य उद्यम में अधिक पूंजी लगाता हैं, फिर भी वह समान मतदान का अधिकार रखता है।

मूल्यों से संचालित व्यवसायों के रूप में, न केवल लाभ, सहकारी समितियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत सिद्धांतों को साझा करती हैं और सहयोग के माध्यम से एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए मिलकर कार्य करती हैं। सहकारिताएं लोगों को अपने आर्थिक भविष्य पर नियंत्रण करने की अनुमति देती हैं और, क्योंकि वे शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन नहीं होती हैं, उनकी गतिविधि के आर्थिक और सामाजिक लाभ उन समुदायों में निहत होते हैं जहां वे स्थापित हैं। समितियों में सृजित लाभ का या तो उद्यम में पुनर्निवेश किया जाता है या सदस्यों को प्रतिफल के रूप में दे दिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन और वैश्विक सहकारी आंदोलन (आईसीए)

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन विश्व भर में सहकारी समितियों की आवाज है। इसकी स्थापना वर्ष 1895 में सहकारी मॉडल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। आज सहकारी सदस्य विश्व की कम से कम 12 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि व्यवसाय मूल्यों से संचालित होते हैं न कि पूंजी के पारिश्रमिक से, तथापि विश्व भर में 3 मिलियन सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए मिलकर काम करती हैं।

सहकारिता आंदोलन एक सीमांत घटना न रहकर बहुत आगे बढ़ गया है। 12 प्रतिशत से अधिक लोग विश्व की 3 मिलियन सहकारी समितियों में से किसी एक का हिस्सा हैं। वर्ल्ड को–ऑपरेटिव मॉनीटर (2020) के अनुसार, सबसे बड़ी 300 सहकारी समितियाँ और म्युचुअल्स 2,146 बिलियन अमरीकी डालर का कारोबार करते हैं।

सहकारी समितियां स्थायी आर्थिक विकास और स्थिर, गुणवत्तापूर्ण रोजगार में बहुत बड़ा योगदान देती है, ये समितियां विश्व भर में 280 मिलियन लोगों दूसरे शब्दों में, विश्व की नियोजित 10 प्रतिशत आबादी को रोजगार या काम के अवसर प्रदान करती है।

समितियों में स्वामित्व रखने वाले सदस्य, कारोबार संचालित करने वाले सदस्य और कारोबार में सेवारत सदस्यं के रूप में, सहकारी समितियां लोगों को सामूहिक रूप से उनकी आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सशक्त बनाती हैं, जबकि उनकी सामाजिक और मानव पूंजी को मजबूत करती हैं और उनके समुदायों का विकास करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आज विश्व के सबसे बड़े गैर–सरकारी संगठनों में से एक है, यह विश्व भर में 3 मिलियन सहकारी समितियों में से 1 बिलियन से अधिक सहकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

आईसीए के अनुसार सहकारी समिति की परिभाषा

''सहकारी समिति व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है जो संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से मिलकर काम करती है।''

सहकारी मूल्य

सहकारिता स्व–सहायता, आत्म–उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, निष्पक्षता और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित होती है। अपने संस्थापकों की परंपरा में सहकारी सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की देखभाल के नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं।

सहकारी सिद्धांत

सहकारी सिद्धांत में वे दिशानिर्देश शामिल हैं जिनके द्वारा सहकारी समितियां अपने मूल्यों को व्यवहार में लाती हैं। आईसीए के अनुसार सहकारिता के सात सिद्धांत इस प्रकार हैं:

1. स्वैच्छिक और खुली सदस्यता

सहकारिता स्वैच्छिक संगठन हैं, जो अपनी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम और लिंग, सामाजिक, नस्लीय, राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना सदस्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों के लिए खुले होते हैं।

2. लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण

सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन हैं, जो अपनी नीतियों को निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कार्यरत पुरुष और महिलाएं सदस्यता के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों में सदस्यों को समान मताधिकार (एक सदस्य, एक मत) प्राप्त होता है तथा अन्य स्तरों पर सहकारी समितियों का आयोजन भी लोकतांत्रिक तरीके से होता है।

3. सदस्य आर्थिक सहभागिता

सदस्य अपनी सहकारी समिति की पूंजी में समान रूप से अंशदान करते हैं, और उसे लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित करते हैं। आमतौर पर, उस पूंजी का कम से कम हिस्सा सहकारी की सामान्य संपत्ति होती है। सदस्य, को सदस्यता की शर्त के रूप में अभिदत्त पूंजी पर आमतौर पर सीमित मुआवजा, यदि कोई हो, प्राप्त होता है। सदस्य इनमें से: यथासंभव आरक्षित निधि स्थापित करते हुए अपनी सहकारी समिति को विकसित करने, जिसका हिस्सा कम से कम अविभाज्य होगा सहकारिता के साथ उनके लेन–देन के अनुपात में सदस्यों को लाभान्वित करने और सदस्यता द्वारा अनुमोदित अन्य गतिविधियों का समर्थन करने में किसी एक या सभी उद्देश्यों के लिए अधिशेष आवंटित करते हैं।

4. स्वायत्तता और स्वतंत्रता

सहकारी समितियां स्वायत्त, स्वयं सहायता संगठन होती हैं जिनका नियंत्रण उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है। यदि वे सरकारों सहित अन्य संगठनों के साथ समझौते करते हैं, या बाहरी स्रोतों से पूंजी जुटाते हैं, तो वे ऐसा उन शर्तों पर करते हैं जो उनके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं और उनकी सहकारी स्वायत्तता बनाए रखते हैं।

5. शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना

सहकारी समितियां अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं ताकि वे अपनी सहकारी समितियों के विकास में प्रभावी योगदान दे सकें। वे आम जनता को– विशेष रूप से युवा लोगों और ओपिनियन लीडरों को– सहयोग की प्रकृति और लाभों के बारे में सूचित करते हैं।

6. सहकारी समितियों के बीच सहयोग

सहकारी समितियां अपने सदस्यों की सबसे प्रभावी ढंग से सेवा करती हैं और स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं के माध्यम से मिलकर काम करके सहकारी आंदोलन को मजबूत करती हैं।

7. समुदाय की चिंता

सहकारी समितियां अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के सतत विकास की दिशा में काम करती हैं।

सहकारिता क्यों

स्थानीय विकास के लिए सहकारिता महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे स्थानीय संसाधनों की पहचान करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, स्थानीय कौशल विकास में मदद करते हैं, आय सृजन में वृद्धि करते हैं और गरीबी उन्मूलन में योगदान करते हैं। वे बड़े शहरों में स्थानीय आबादी के प्रवास को रोकने के लिए अग्रणी सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को एकीकृत करके बाजार तक पहुंच बनाने और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में भी मदद करते हैं।

भारत में सहकारी आंदोलन

भारत में सहकारी समितियों का गठन पहली बार वर्ष 1890 के दशक के उत्तरार्द्ध में हुआ था जब पश्चिमी महाराष्ट्र के किसानों ने कृषि ऋण के लिए साहूकारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह

किया था। वर्ष 1904 में, भारत में ब्रिटिश सरकार ने महाराष्ट्र में गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए सहकारी समिति अधिनियम लागू किया।

आजादी के बाद भारत में सहकारिता आंदोलन ने गति पकड़ी। सरकार ने महसूस किया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहकारी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः सरकार ने अपनी पंचवर्षीय कार्य योजनाओं में इस क्षेत्र के लिए योजनाओं का प्रावधान किया। प्रत्येक गांव को कम से कम एक सहकारी समिति बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसने सहकारी खेतों की स्थापना में भी मदद की। कृषि बाजारों से, ये सहकारी समितियाँ ऋण क्षेत्र में, और बाद में अन्य बड़े पैमाने के क्षेत्रों जैसे आवास और विकास, मछली पकड़ने, बैंकिंग आदि में विविध हुईं। इससे विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का गठन हुआ। आर्थिक विकास और प्रयोग के लिए उपलब्ध आय में वृद्धि ने भारत में सहकारी समितियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सहकारिता: भारत के समग्र विकास के लिए आगे की राह

भारत ने अचानक सहकारिता में एक नए सिरे से अभिरुचि दिखाई है क्योंकि भारत सरकार ने एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है। कैबिनेट सचिवालय की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से तत्कालीन कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के व्यवसाय में सहयोग और सहकारिता से संबंधित मौजूदा प्रविष्टियों को स्थानांतरित करके मंत्रालय बनाया गया था।

मंत्रालय का नेतृत्व श्री अमित शाह, माननीय सहकारिता मंत्री कर रहे हैं और श्री बी.एल. वर्मा, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री सहयोगी के तौर पर नेतृत्व कर रहे हैं। सचिव, सहकारिता मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। एक अपर सचिव, दो संयुक्त सचिव और एक केंद्रीय सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार सचिव, सहकारिता की सहायता करते हैं।

मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, विधिक और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने वाले एक सच्चे जन–आधारित आंदोलन के रूप में जन–जन तक पहुंचाना है और सहकारी आधारित आर्थिक मॉडल विकसित करना है जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना से काम करे। मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों में सहकारी समितियों के लिए ''कारोबार करने में आसानी'' की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बहु–राज्य सहकारी समितियों के विकास को सुविधाजनक बनाना शामिल है। यह 'सहकार से समृद्धि" और इसके माध्यम से देश को समृद्ध बनाने के मंत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के हर वंचित का विकास तक पहुंच की चुनौती का सामना करने एवं हर गांव को सहकारिता से जोड़ने और हर गांव को समृद्ध बनाने में, पारदर्शिता लाने, आधुनिकीकरण,कम्प्यूटरीकरण, प्रतिस्पर्धी सहकारी समितियों के निर्माण, लगातार काम करने पर जोर देता है।

लोकल के लिए वोकल

भारतीय सहकारिता आंदोलन विश्व में सबसे बड़ा आंदोलन है जो भारत के लगभग 100 प्रतिशत गांवों को कवर करता है। सहकारी समितियां पूरे देश में समावेशी विकास और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देती रही हैं। वे व्यवसाय के लगभग हर क्षेत्र में मौजूद हैं और अब आर्थिक अवसरों के उद्भव और इसके सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विविध हो गए हैं। वे स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए, स्थानीय लोगों को रोजगार देने और अपने सदस्यों और समुदाय की भलाई के लिए धन पैदा करने वाले आत्मनिर्भर उद्यम बन गए हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से शहरी क्षेत्रों और औद्योगीकरण पर निर्भर नहीं हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र देश की अर्थव्यवथा में प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा और इसे सुगम बनाने के लिए सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसलिए यह नितांत आवश्यक होता जाता है कि इस क्षेत्र को पहचाना जाए और इसे बढ़ावा दिया जाए।

शीर्ष सहकारी संघ के रूप में नेफेड की भूमिका

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), भारत में कृषि जिंसों के लिए सबसे बड़ी खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक है। संघ किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का काम भी करता है। नेफेड घाटे में चल रही सहकारी संस्था से एक लाभदायक इकाई के रूप में 360 डिग्री के बदलाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी 130 करोड़ की आबादी को खाद्यान पहुंचाने के राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के मिशन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। नेफेड न केवल भारत में, अपितु विश्व भर में विकसित देशों के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई मानवीय प्रतिबद्धता को पूरा करने में भी सदैव सबसे आगे रहा है। जब भी देश में या विश्व में कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो भारत सरकार खाद्यान्न सहित आपातकालीन राहत सामग्री भेजती है, जिसे नेफेड सरकार के निर्देशों के अनुसार पूरी लगन और निष्ठा से निष्पादित करता आया है।

निदेशक मंडल

डॉ. बिजेन्दर सिंह
अध्यक्ष

डॉ. सुनील कुमार सिंह
उपाध्यक्ष

अन्य निदेशकगण

श्री दिलीप संघानी

डॉ. चन्द्र पाल सिंह यादव

श्री भंवर सिंह शेखावत

श्री आर. एस. जून

श्री जगजीत सिंह सांगवान

श्री नाना साहिब दत्ताजी पाटिल

श्री विशाल सिंह

श्री तरलोक सिंह

श्री रंजीत पाण्डेय

श्री पतंगे जयवंत राव

श्री आदित्य यादव

डॉ. के.वी.एस. कुमार

श्री प्रद्युम्न पी.एस., आईएएस

श्री पी. नरहरि, आईएएस

श्री अशोक ठाकुर
सरकार द्वारा नामित

निदेशक मंडल

श्री दिनेश कुमार, आईएएस
23.09.21 से

श्री संजीव कुमार चड्ढा, आईएफएस
प्रबंध निदेशक
20.01.2022 तक

श्री राजबीर सिंह, आईएफएस
प्रबंध निदेशक
20.01.2022 से

सह-चयनित निदेशक

श्री अजय कुमार राय

श्री मोहनभाई के. कुंदारिया

विशेष आमंत्रित

श्री मांगी लाल डांगा

कार्यकारी निदेशक

श्री सुनील कुमार सिंह
अपर प्रबंध निदेशक

श्री पंकज. के. प्रसाद
अपर प्रबंध निदेशक

श्री एस. के. वर्मा
अपर प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक)
(विशेष आमंत्रित)

श्री ए.के. रथ
अपर प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक)

श्री कमलेन्द्र श्रीवास्तव
कार्यकारी निदेशक

नेफेड की प्रबंधन टीम

श्री राजबीर सिंह, आईएफएस
प्रबंध निदेशक

श्री सुनील कुमार सिंह
अपर प्रबंध निदेशक

श्री पंकज कुमार प्रसाद
अपर प्रबंध निदेशक

श्री एस. के. वर्मा
अपर प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक)

श्री ए. के. रथ
अपर प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक)

श्री कमलेन्द्र श्रीवास्तव
कार्यकारी निदेशक

श्री अभिनव रावत
कार्यकारी निदेशक

अध्याय 5

नेफेड की बैठकें एवं सदस्यता (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022)

निदेशक मंडल	व्यवसाय समिति	कार्यकारी समिति	वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा	परियोजना एवं विकास समिति
28.04.2021	28.07.2021	28.07.2021	28.04.2021	15.09.2021
28.07.2021	21.12.2021	21.12.2021	24.08.2021	-
24.08.2021	02.01.2022	16.03.2022	-	-
15.09.2021	16.03.2022	-	-	-
17.09.2021	-	-	-	-
21.12.2021	-	-	-	-
16.03.2022	-	-	-	-

नेफेड की सदस्यता

वर्ष 2021–22 के दौरान नेफेड की सदस्यता पिछले वर्ष के 944 सदस्यों से बढ़कर 978 हो गई है।

उपरोक्त सदस्यता का विस्तृत संघटन इस प्रकार है:

क्र.सं	सदस्यों की श्रेणी	दिनांक 01.04.2021 को सदस्यों की कुल संख्या	दिनांक 31.03.2022 को सदस्यों की कुल संख्या
1.	राज्य स्तरीय विपणन संघ	26	26
2.	शीर्ष स्तरीय विपणन संघ	03	03
3.	राज्य स्तरीय जनजातीय एवं जिंस संघ	25	25
4.	प्राथमिक विपणन/प्रसंस्करण समितियां	888	922
5.	एनसीसीएफ एवं अन्य राष्ट्रीय स्तरीय सहकारी संगठन	02	02
	योग	**944**	**978**

त्रिस्तरीय ढांचे के माध्यम से जमीनी स्तर के किसानों तक संपर्क स्थापित करना

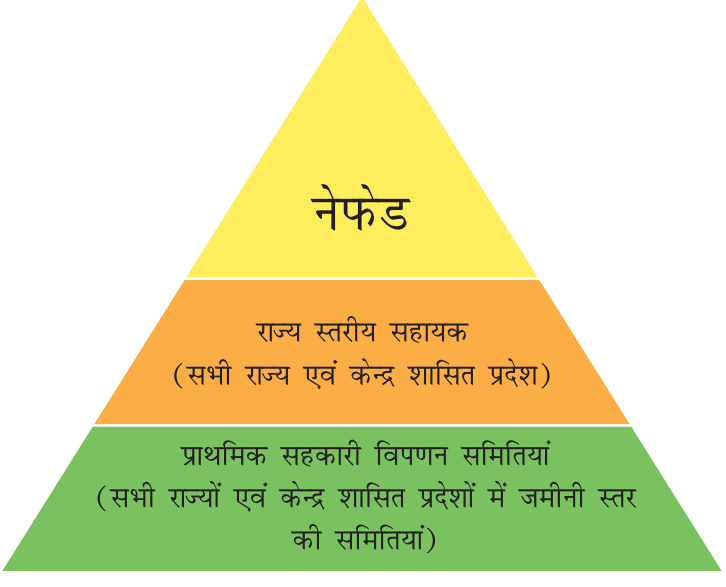

नेफेड की पहुंच

अध्याय 6

नेफेड के गत पांच वर्षों का वित्तीय वृंतात (वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक)

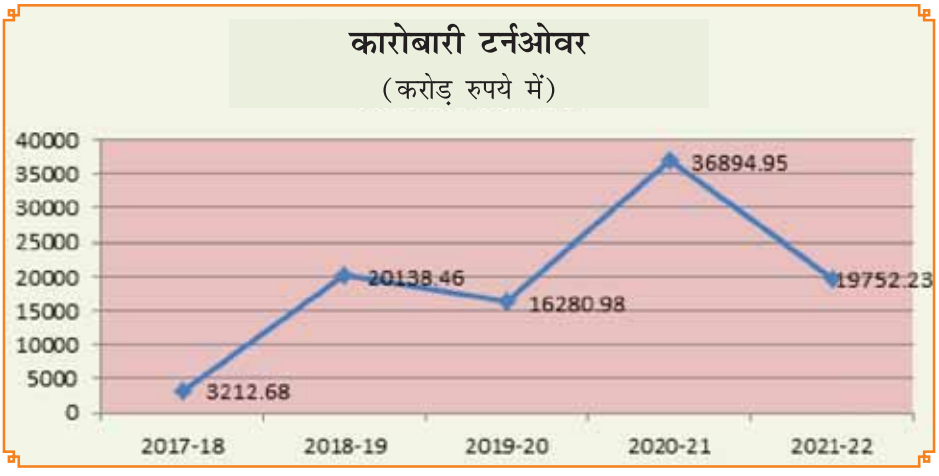

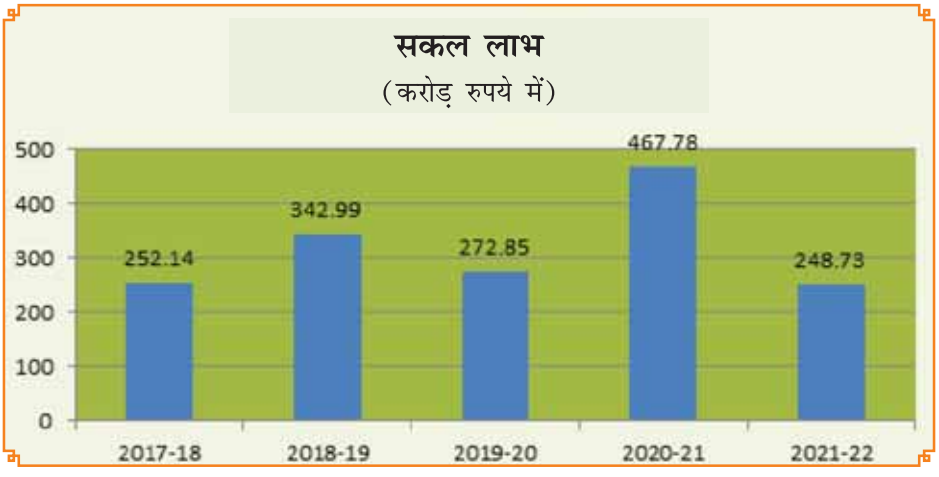

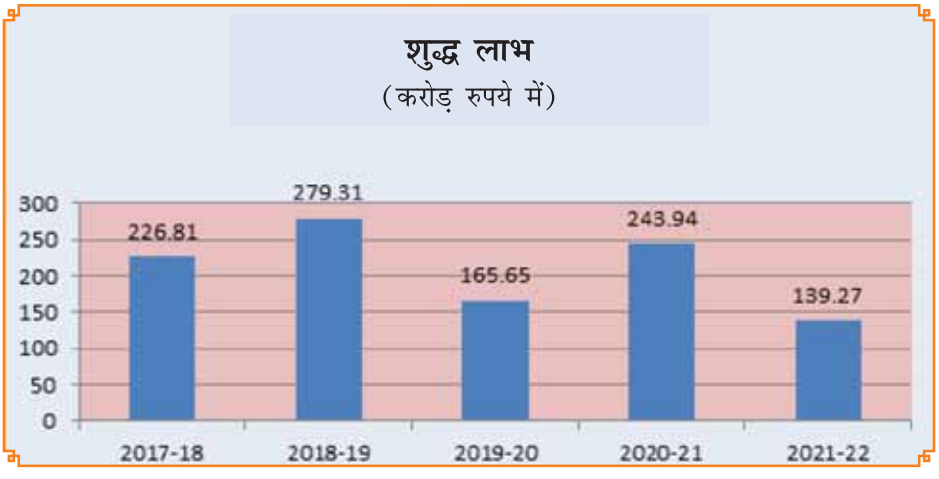

वित्त वर्ष 2021-22 की व्यावसायिक गतिविधियाँ

टर्नओवर	₹ 19752.23 करोड़
सकल लाभ	₹ 248.73 करोड़
शुद्ध लाभ	₹ 139.27 करोड़

8781.90 करोड़ रुपये मूल्य की 1502909.53 मीट्रिक टन दलहन (पीएसएस/पीएसएफ के अंतर्गत) एवं तिलहन (पीएसएस के अंतर्गत) की खरीद

823.67 करोड़ रुपये मूल्य की 374201.416 मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीद

10410.39 करोड़ रुपये की संस्थागत आपूर्ति

पीएसएफ के अंतर्गत 439.83 करोड़ रुपये मूल्य के 213904.509 मीट्रिक टन प्याज की खरीद

406.95 करोड़ रुपये का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

13.71 करोड़ रुपये का खुदरा कारोबार

3.36 करोड़ रुपये की जैव-कृषि आगत सहित जैव उर्वरक का कारोबार

81.62 करोड़ रुपये का बीज का कारोबार

नेफेड की सफलता के सूत्र

मूल्य समर्थन योजना
(पीएसएस)

एनएडीसीपी

किसानों को बीज की आपूर्ति

कीमत स्थिरीकरण कोष
(पीएसएफ)

सेना व अर्द्धसैनिक बलों
को आपूर्ति

सरकारी संस्थानों को आपूर्ति

जैव-उर्वरक

खुदरा कारोबार

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

जैव-सीबीजी

अध्याय 7.1

नेफेड एक नजर में

मिशन, उद्देश्य और कार्य

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) की स्थापना गांधी जयंती के शुभ दिन के अवसर पर 2 अक्तूबर 1958 को की गई थी तथा बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया है। नेफेड का मिशन किसानों के लाभ के लिए सहकारी विपणन को बढ़ावा देना है।

नेफेड के मुख्य उद्देश्यों में कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित करना, उसे बढ़ावा देना और विकसित करनाय कृषि मशीनरी, उपकरण और अन्य आदानों का वितरण करनाय यथास्थिति, थोक या खुदरा अंतर–राज्यीय, आयात और निर्यात व्यापार करना और भारत में मौजूद अपने सदस्यों, सहभागियों सहयोगियों और सहकारी विपणन, प्रसंस्करण और आपूर्ति समितियों के प्रचार और कामकाज करने के लिए कृषि उत्पादन में तकनीकी सलाह देना और सहायता करना शामिल है। नेफेड भारत सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय बफर के निर्माण के माध्यम से प्याज और दलहन जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

खेती करने वाले किसान नेफेड के मुख्य सदस्य हैं, जिन्हें नेफेड के कामकाज में सामान्य निकाय के सदस्यों के रूप में कहने का अधिकार है। नेफेड का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सम्मिलित हैं। मंडल की सहायता 2 स्थायी समितियां – कार्यकारी समिति और कार्य समिति करती हैं। इसके अलावा, मंडल एमएससीएस अधिनियम/नियमों और नेफेड के उप–नियमों के उपबधों के अनुसार दो और समितियों/उप–समितियों का भी गठन कर सकता है। नेफेड विगत 6 से अधिक दशकों से देश के किसानों और उपभोक्ताओं की निरंतर सेवा कर रहा है।

एक शीर्ष स्तरीय सहकारी समिति

भारत में, सहकारी समितियां किसानों की उपज के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इन सहकारी समितियों ने देश की कृषि में अद्वितीय स्थान बनाया है। देश के लगभग सभी द्वितीयक बाजारों में प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों की उपस्थिति है। जो राज्य विपणन संघों के सदस्य होते हैं जो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड के सदस्य हैं। इस प्रकार, नेफेड भारत में शीर्ष स्तरीय सहकारी विपणन संघ है, जिसकी देश भर के सुदूर हिस्सों में इसकी तीन स्तरीय संरचना के माध्यम से सीधी पहुंच है, जिसमें सबसे नीचे प्राथमिक सहकारी समितियाँ, मध्य में राज्य स्तरीय सहकारी समितियाँ और शीर्ष पर नेफेड शामिल है। नेफेड की गतिविधियाँ किसानों के हितों की रक्षा करके कृषि की बेहतरी में योगदान करती हैं। नेफेड अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) का भी सदस्य है।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, नेफेड के 978 सदस्य हैं, जिनका प्रतिनिधित्व शीर्ष स्तर के विपणन/उपभोक्ता सहकारी समितियां/अन्य राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य स्तरीय विपणन/जनजातीय/जिंस संघों और प्राथमिक सहकारी विपणन/प्रसंस्करण समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

नेफेड के कारोबारी कार्य

घरेलू प्रचालन

- मूल्य समर्थन कार्यों का कार्यान्वयनः नेफेड कीमत समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत तिलहन और दलहन की खरीद के लिए भारत सरकार की केंद्रीय नोडल एजेंसियों में से एक है। जब भी कीमतें भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिरती हैं तो नेफेड तिलहन, दलहन और छिलके वाले नारियल, मिलिंग/बॉल खोपरा की अधिसूचित फसलों की एमएसपी पर खरीद करता है।

- प्रत्यक्ष बजट आवंटन के विषय पर तिलहन एवं दलहन, खाद्यान्न, मसाले, बागवानी उत्पाद और सब्जियां जैसे प्याज, आलू, टमाटर आदि की खरीद और विपणन करना।
- भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना के अंतर्गत दलहन एवं प्याज की खरीद के लिए केंद्रीय एजेंसियों में से एक।
- एमएसपी पर गेहूं व धान की खरीद के लिए विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकारों की ओर से एक नोडल राज्य एजेंसी।
- पीडीएस, एमडीएम, आईसीडीएस कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सेना, सीपीएमएफ और राज्य सरकारों को सूखी दालों की आपूर्ति।
- टिकाऊ कृषि के लिए जैव उर्वरकों का उत्पादन व विपणन।
- विभिन्न प्रकार के कृषि एवं नगरपालिका कचरे का प्रशोधन करते हुए संपीडित बायो गैस (सीबीजी) का उत्पादन।
- कश्मीर में सेब की खरीद – बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के अंतर्गतवर्ष 2019–2020 एवं 2020–2021 के दौरान जम्मू और कश्मीर में सेब की खरीद के लिए भारत सरकार की नामित केंद्रीय नोडल एजेंसी।
- जैविक खेती: उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओड़िशा एवं उत्तराखंड में, 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 14 वर्षों का अनुभव।
- नेफेड के ब्रांड नाम से प्रमाणित बीजों का उत्पादन: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू), भारत सरकार के केंद्रीय बीज एजेंसियों में से एक नेफेड बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों को सामान्य आपूर्ति के सापेक्ष दलहन, तिलहन और अनाज के प्रमाणित बीज का उत्पादन, वितरण और विपणन करता है।
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) – मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उनके एफएमडी वब्रुसेला जनित रोगों के उन्मूलन के मिशन में मिलकर काम कर रहा है।
- औद्योगिक इकाइयाँ: नेफेड का देश भर में भूमि, भूखंड, आवासीय परिसरों, कार्यालय परिसर, गोदामों, शीत–भंडारण और औद्योगिक इकाइयों के रूप में विभिन्न संपत्तियों का स्वामित्व है।
- खुदरा व्यापार: नेफेड ने उपभोक्ता उत्पादों की अपनी श्रृंखला विकसित की है, जिनका विपणन नेफेड के ब्रांड नाम के अंतर्गत नेफेड बाजारों के खुदरा दुकानों के माध्यम से और ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार:** नेफेड के पास सभी प्रकार की कृषि जिंसों जैसे दलहन, खाद्यान्न, मसालों, खाद्य तेलों, बिना तेल का अर्क, जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री जैसे सेब, आम, कीनू, नारंगी, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, प्याज, एवं आलू इत्यादि सहित ताजे फलों और सब्जियों के आयात एवं निर्यात का दशकों का अपार अनुभव, विशेषज्ञता व बुनियादी ढांचा है।
- भारत सरकार की ओर से मानवीय राहत और अन्य सहायता का शिपमेंट: नेफेड भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से मानवीय सहायता के तौर पर विभिन्न देशों को कृषि जिंसों एवं अन्य जिंसों की आपूर्ति भी करता है।

नेफेड का बुनियादी ढांचा और पहुंच

नेफेड का बुनियादी ढांचा नेफेड शाखाओं, उप कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों, मार्केट यार्ड आदि के नेटवर्क और तीन स्तरीय सहकारी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में फैला हुआ है।

नेफेड का नेटवर्क

उत्तरी क्षेत्र (पांच राज्यों में पांच शाखाएं एवं तीन उप कार्यालय)
दक्षिणी क्षेत्र (पांच राज्यों में चार शाखाएं एवं दो उप कार्यालय)
पश्चिमी क्षेत्र (तीन राज्यों में पांच शाखाएं एवं दो उप कार्यालय)
पूर्वी क्षेत्र (पांच राज्यों में पांच शाखाएं एवं एक उप कार्यालय)
SRINAGAR [SUB-OFFICE]
JAMMU & KASHMIR
HIMACHAL PRADESH
SHIMLA [SUB-OFFICE]
PUNJAB
CHANDIGARH
UTTARAKHAND
HARYANA
[DELHI]
[HEAD-OFFICE]
RUDRAPUR [SUB-OFFICE]
AZADPUR
JAIPUR
LUCKNOW
RAJASTHAN
UTTAR PRADESH
BIHAR
PATNA
SIKKIM
GUWAHATI
ASSAM
NAGALAND
MEGHALAYA
MANIPUR
TRIPURA
MIZORAM
JHARKHAND
WEST BENGAL
KOLKATA
RANCHI [SUB-OFFICE]
AHMEDABAD
GUJARAT
RAJKOT [SUB-OFFICE]
INDORE
BHOPAL
MADHYA PRADESH
CHHATTISGARH
RAIPUR
NASHIK
NAGPUR [SUB-OFFICE]
BHUBNESHWAR
ODISHA
MUMBAI
MAHARASHTRA
ANDHRA PRADESH
HYDERABAD
VIJAYAWADA [SUB-OFFICE]
KALABURGI [SUB-OFFICE]
KARNATAKA
TELANGANA
BANGALORE
CHENNAI
LAKSHADWEEP
KAVARATTI
KERALA
TAMIL NADU
COCHIN
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
PORT BLAIR
MAP NOT TO SCALE

नेफेड का कारोबारी कार्यक्षेत्र

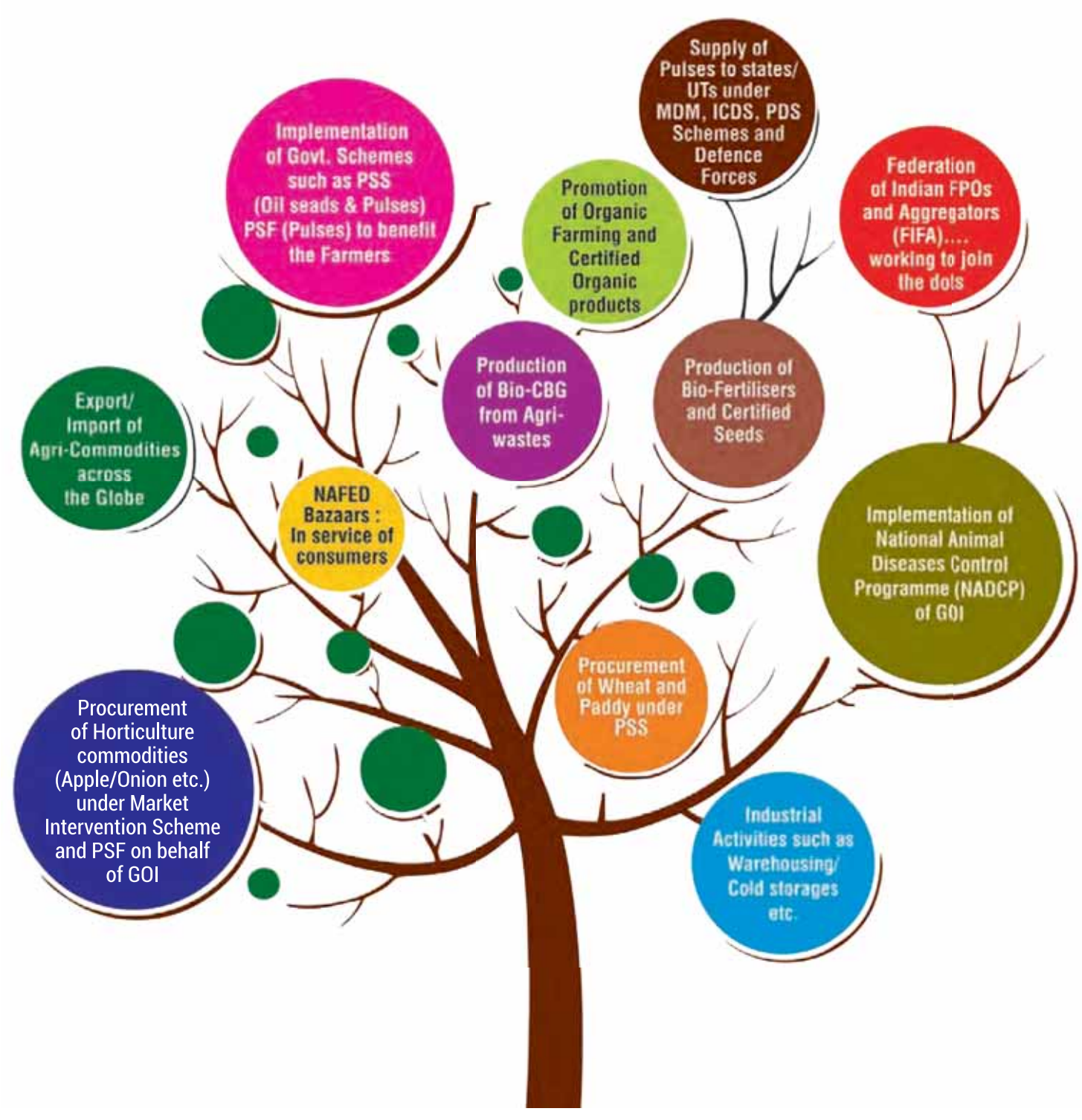

अध्याय 8.1

दलहन और तिलहन

नेफेड के पास देश भर में तिलहन और दलहन की भारी खरीद और विपणन का दशकों का अनुभव है। नेफेड के खरीद कार्यों से इन जिंसों की खेती करने वाले किसान वर्षों से काफी लाभान्वित हुए हैं।

भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन और तिलहन की खरीद

कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने और कृषि जिसों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, भारत सरकार प्रत्येक खरीफ और रबी फसल के मौसम के लिए 25 अधिसूचित कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है। नेफेड मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत तिलहन, दलहन और खोला गिरी की 15 अधिसूचित कृषि जिंसों की खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों में से एक है और तीन से अधिक दशकों से भारत सरकार की ओर से इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहा है। नेफेड पीएसएस के अंतर्गत छिलके वाले नारियल की खरीद के लिए नोडल एजेंसी भी है।

योजना के अंतर्गत, खरीद तभी की जाती है, जब उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) स्टॉक का बाजार मूल्य घोषित एमएसपी पर अथवा उससे कम हो एवं खरीद तब तक जारी रखी जाती है जब तक कि बाजार की कीमतें घोषित एमएसपी के अधिक कीमत पर स्थिर न हो अथवा फसल कटाई की अवधि को संबंधित राज्य सरकारों की घोषणानुसार 90 दिन हो गये हों जो भी पहले हो। नेफेड राज्य स्तर पर एवं प्राथमिक जमीनी स्तर पर अपने सहकारी नेटवर्क के माध्यम से किसानों से सीधे पीएसपी के अंतर्गत एफएक्यू स्टॉक खरीद रहा है।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) के निदेश एवं अनुमोदनानुसार, नेफेड ने वर्ष 2020–21 के दौरान पीएसएस के अंतर्गत 7,072.21 करोड़ रुपये की 12.62 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की है। इस खरीद से संघ को सेवा शुल्क के रूप में लगभग 69.07 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) योजना के अंतर्गत दालों की खरीद

भारत सरकार ने दालों के बफर स्टॉक के निर्माण के लिए पीएसएफ योजना आरंभ की है, जिसे वर्तमान में उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) के निदेश एवं अनुमोदनानुसार, नेफेड ने वर्ष 2021–22 के दौरान पीएसएफ के अंतर्गत 971.74 करोड़ रुपये की 1.41 लाख मीट्रिक टन दलहन खरीदी। इस खरीद से संघ को सेवा शुल्क के रूप में लगभग 33.83 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

- विगत पांच वर्षों के दौरान मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन और तिलहन की खरीद और लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

मात्रा लाख मीट्रिक टन में

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
दलहन	20.27	41.83	15.07	23.56	11.08
तिलहन	11.81	16.16	18.17	11.00	1.54
योग	**32.08**	**57.99**	**33.24**	**34.56**	**12.62**

विगत 5 वर्षों के दौरान पीएसएस के अंतर्गत खरीदी गई दलहन व तिलहन की मात्रा

मात्रा लाख मीट्रिक टन में

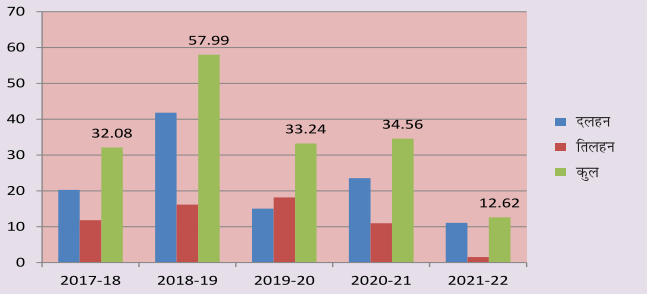

➢ विगत पांच वर्षों के दौरान पीएसएस/पीएसएफ के अंतर्गत दलहन और पीएसएस के अंतर्गत तिलहन की खरीद और लाभान्वित होने वाले कृषकों का ब्यौरा इस प्रकार हैं:

मात्रा लाख मीट्रिक टन में

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
दलहन	23.71	41.83	16.26	24.23	13.49
तिलहन	11.81	16.16	18.17	11.00	1.54
योग	**35.52**	**57.99**	**34.43**	**35.23**	**15.03**

विगत 5 वर्षों के दौरान पीएसएस/पीएसएफ के अंतर्गत खरीदी गई दलहन एवं पीएसएस के अंतर्गत खरीदी गई तिलहन

मात्रा लाख मीट्रिक टन

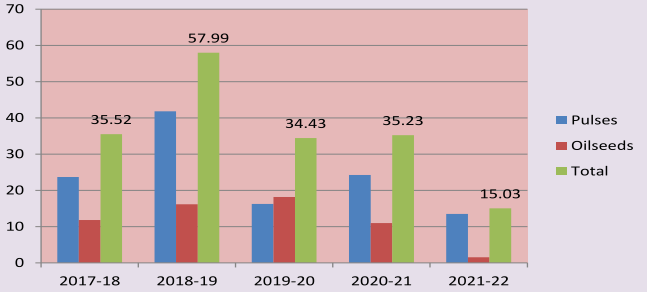

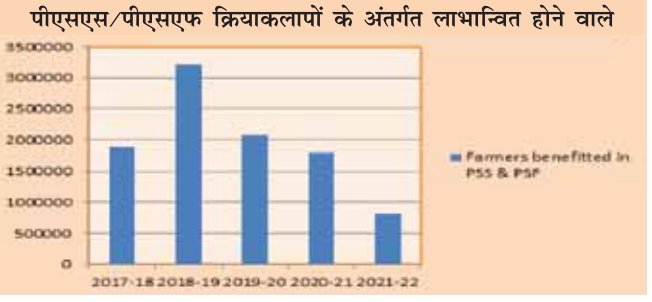

मूंगफली की खरीद

दलहन के राष्ट्रीय बफर के लिए नेफेड द्वारा खरीदे गये मसूर का एक लाख मीट्रिक टन आयातित स्टॉक

उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर नेफेड ने राष्ट्रीय दलहन बफर के लिए मसूर के लगभग एक लाख मीट्रिक टन आयातित स्टॉक के लिए सौदेबाजी की पुष्टि की। वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान ई–नीलामी के माध्यम से सौदे की पुष्टि की गई। इन सौदेबाजियों के सापेक्ष, नेफेड के विभिन्न स्थानों पर मौजूद गोदामों में लगभग 0.99 लाख मीट्रिक टन दलहन प्राप्त हुई।

मसूर के आयातित स्टॉक

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए दलहन की कीमतों में किसी भी असामान्य वृद्धि पर रोक लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में दलहन के राष्ट्रीय बफर का प्रबंधन नेफेड द्वारा किया जा रहा है।

मूंग की खरीद

चने की खरीद

खाद्यान्न

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, नेफेड ने देश के विभिन्न राज्यों में धान और गेहूं की खरीद की। गेहूं और धान के लिए विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की ओर से नेफेड को एक राज्य एजेंसी के रूप में नामित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नेफेड द्वारा निष्पादित खाद्यान्न संबंधी कारोबार

वर्ष के दौरान 82367.37 लाख रुपये के 374201.416 मीट्रिक टन खाद्यान्न का कारोबार किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान खाद्यान्न की राज्य–वार खरीद का सारांश इस प्रकार है:

जिंस	शाखा/राज्य	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (लाख रुपये में)
धान	लखनऊ शाखा, उत्तर प्रदेश	108164.037	31323.59
	गुवहाटी शाखा, असम	47289.307	8865.04
	रुद्रपुर, उत्तराखंड	26131.48	5069.51
	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	84163.092	15668.97
गेहूं	रुद्रपुर, उत्तराखंड	10346.40	2064.11
	जयपुर, राजस्थान	98107.100	19376.15
योग		**374201.416**	**82367.37**

नेफेड द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान निष्पादित खाद्यान्न संबंधी कारोबार

विगत पांच वर्षों के दौरान धान की खरीद

मात्रा मीट्रिक टन में/मूल्य लाख रुपये में

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
मात्रा	143744.11	259146.91	415644.51	421532.75	265747.92	1505816.196
मूल्य	22331.96	45365.61	75439.48	78796.43	60927.11	282860.59

विगत पांच वर्षों के दौरान गेहूं की खरीद

मात्रा मीट्रिक टन में/मूल्य लाख रुपये में

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
मात्रा	61438.96	90542.59	92761.52	201379.30	108453.50	554575.87
मूल्य	11608.79	15709.14	17253.64	38778.82	21440.26	104790.65

विगत पांच वर्षों के दौरान खाद्यान्न की मात्रा

(मात्रा मीट्रिक टन में)

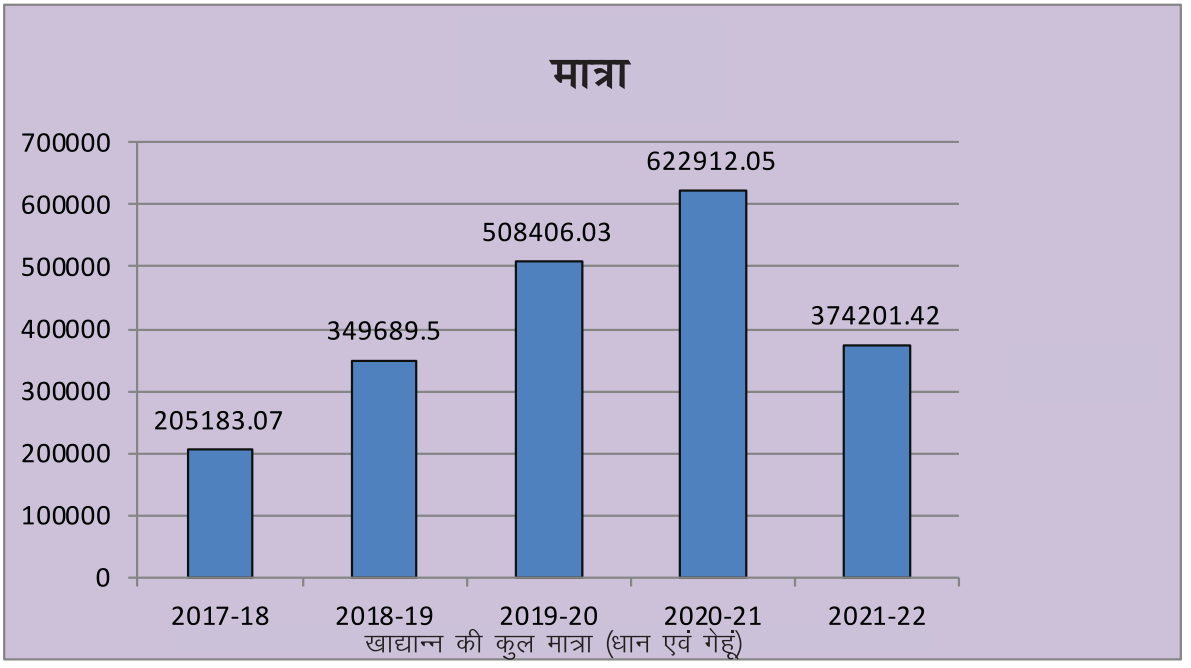

विगत पांच वर्षों के दौरान खरीदे गए खाद्यान्न का मूल्य

(मूल्य करोड़ रुपये में)

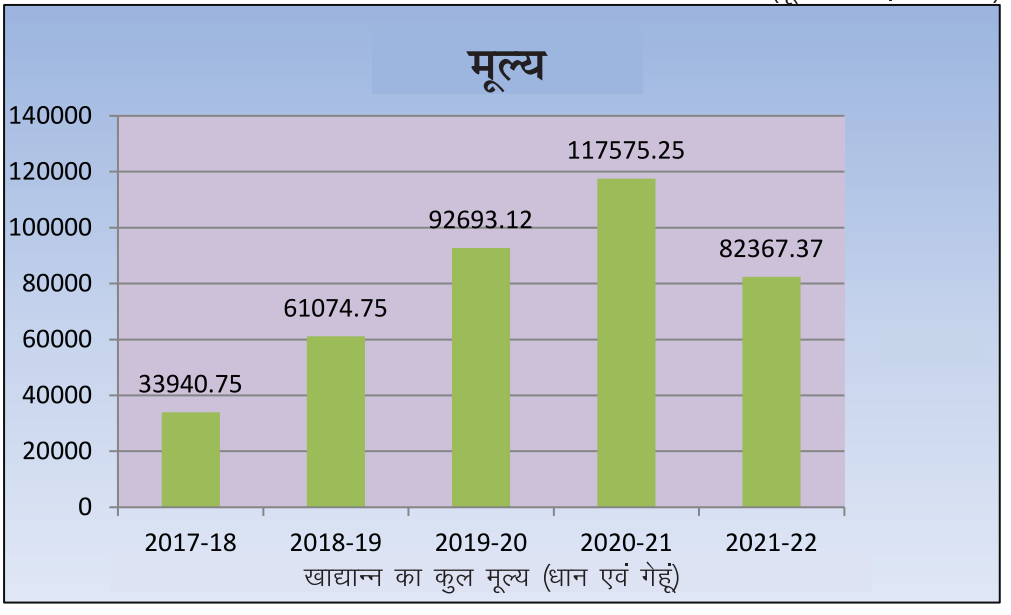

गेहूं की खरीद

धान की खरीद

बागवानी

वर्ष 2021-22 के दौरान पीएसएफ के अंतर्गत प्याज की खरीद और उसकी बिक्री

वर्ष 2021–22 के रबी और खरीफ फसल के दौरान, नेफेड ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के अंतर्गत बफर स्टॉक बनाने के लिए 439.83 करोड़ रुपये के 213904.509 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में रबी की फसल के दौरान 207142.660 मीट्रिक टन और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल के दौरान 6761.849 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की गई थी। यह खरीद सदस्य सहकारी समितियों, एफपीसी और एफपीओ सहित पैनल में सूचीबद्ध एजेंसियों कर सहायता से की गई थी। खरीदी एफपीसी और एफपीओ के माध्यम से फार्म गेट पर भी की गई थी।

पीएसएफ प्याज की प्री–कंडीशनिंग जैसे सॉर्टिंग और ग्रेडिंग के बाद प्राप्त स्टॉक को स्थानीय रूप से हवादार भंडारण संरचनाओं में संग्रहीत किया गया था। उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के अनुसार, बफर से प्याज दिल्ली, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, असम और हरियाणा राज्यों में खुदरा हस्तक्षेप के माध्यम से कैलिब्रेटेड तरीके से जारी किया गया था। साथ ही मदर डेयरी (सफल) को भी भंडारित प्याज भी उपलब्ध कराया गया।

फलों और सब्जियों की बिक्री

वर्ष के दौरान, आजादपुर शाखा ने 528.99 लाख रुपये के सकल मूल्य के फलों और सब्जियों की बिक्री की व्यवस्था और 29.13 लाख रुपये सेवा शुल्क के रूप में अर्जित किए।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार टमाटर, प्याज एवं आलू (टॉप) की खेती करने वाले किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने की दिशा में किसान उत्पादक संगठनों, कृषि, रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना 'ऑपरेशन ग्रीन्स' क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, नेफेड को जम्मू–कश्मीर में सेब और पंजाब में आलू जैसी फसलों के लिए अल्पकालिक मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस योजना के अंतर्गत नेफेड 2.5 प्रतिशत सेवा शुल्क लेने का पात्र है।

संस्थागत आपूर्ति

नेफेड अनुकूलित इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल nafed.agribazaar.com के माध्यम से दलहन और अन्य वस्तुओं की संस्थागत आपूर्ति करता है। इन संस्थानों को मिलिंग, पैकिंग और डिलीवरी के लिए पोर्टल के माध्यम से देश भर में 500 से अधिक मिल वालों को सूचीबद्ध किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों को नेफेड द्वारा की गई आपूर्ति का विवरण इस प्रकार है:

नेफेड द्वारा प्रसंस्कृत दालों की आपूर्ति

समयबद्ध आपूर्ति को क्रियान्वित करने में अच्छी गुणवत्ता और पेशेवर योग्यता के कारण नेफेड को सम्मानित सशस्त्र बलों से बार–बार आपूर्ति हेतु कार्यादेश मिलते रहे।

वर्ष के दौरान 6,043.41 लाख रुपये की लगभग 6.05 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्कृत दालों की आपूर्ति की गई जिसका विवरण इस प्रकार है:

संस्थान	आपूर्तित मात्रा (मीट्रिक टन में)
सेना	39282.32
सीपीएमएफ	1954.85
राज्य (कल्याणकारी योजना के अंतर्गत)	564068.40
योग	**605305.57**

सशस्त्र बलों को नेफेड द्वारा प्रसंस्कृत दालों की आपूर्ति

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दलहन, खाद्य तेल, चीनी, नमक की आपूर्ति

नेफेड ने राष्ट्रीय बफर से अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे आईसीडीएस, एमडीएम, पीडीएस आदि के अंतर्गत राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को मिल्ड/साफ दालों के विभिन्न प्रकारों की आपूर्ति जारी रखी। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को उनकी पूर्वोक्त योजनाओं के अंतर्गत वितरण के लिए 5650.37 करोड़ रुपये के लगभग 5.640 लाख मीट्रिक टन मिल वाली/साफ की गई दालों की आपूर्ति की गई थी। नेफेड ने वर्ष के दौरान विभिन्न राजकीय विभागों की मांग के अनुसार खाद्य तेल, नमक और चीनी की आपूर्ति भी की।

राज्यों को चीनी की आपूर्ति

वर्ष के दौरान, नेफेड ने पीडीएस के अंतर्गत लाभार्थियों के बीच वितरण के लिए केंद्र शासित प्रदेश को यथा जम्मू को 3064.749 मीट्रिक टन, लेह, लद्दाख को 70.440 मीट्रिक टन और दमन को 25.84 मीट्रिक टन चीनी की आपूर्ति की।

उत्तर प्रदेश सरकार को आईसीडीएस के अंतर्गत किराना की आपूर्ति

महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत चना दाल, फोर्टिफाइड गेहूं दलिया और फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति के लिए नेफेड को कार्य आदेश दिए। इस व्यवस्था में लगभग 14329 मीट्रिक टन चना दाल, 5970 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड खाद्य तेल और 15723 मीट्रिक टन गेहूं दलिया और किट बैग की मासिक आपूर्ति की जानी थी। इन कार्यादेशों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया और राज्य भर में ग्रामीण और शहरी आंगनवाड़ी केंद्रों तक आपूर्ति की व्यवस्था की गई।

पीडीएस आपूर्ति प्रगति पर

उत्तर प्रदेश सरकार को पीडीएस के अंतर्गत किराना की आपूर्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से भी पीडीएस योजना के अंतर्गत 1 किलो की पैकिंग में चना साबुत, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड आयोडीन नमक की आपूर्ति के लिए वितरण के लिए कार्यादेश प्राप्त हुए थे। इन प्रतिष्ठित आदेशों के सापेक्ष 35000 मीट्रिक टन चना साबुत, 35000 किलो लीटर मीट्रिक टन परिष्कृत सोयाबीन तेल और 35000 मीट्रिक टन परिष्कृत आयोडीन नमक की मासिक आपूर्ति की जानी थी। इन कार्यादेशों की सफल आपूर्ति की गई एवं राज्य के पीडीएस आउटलेट्स के माध्यम से एनएफएसएम लाभार्थियों को आगे वितरण के लिए ब्लॉक स्तर तक डिलीवरी की गई।

अध्याय 8.5

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और संघ के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजित करने की उद्देश्यपरक कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने की दृष्टि से, नेफेड विदेशों से/विदेशों को विभिन्न कृषि–जिसों और सामग्रियों का निर्यात/आयात करता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, नेफेड ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित निम्नलिखित कारोबारी गतिविधियाँ कीः –

1. सरकार से सरकार स्तर पर (जी2जी) पहल के अंतर्गत बांग्लादेश सरकार को 150000 मीट्रिक टन (+/-10%) गैर-बासमती चावल का निर्यात।

नेफेड भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अनुसार एक राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) है। जी2जी पहल के अंतर्गत विदेशों से व्यापार आदेश प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

नेफेड को बांग्लादेश को चावल के निर्यात के लिए बड़ा कार्यादेश मिला है। नेफेड और डीजी (खाद्य), खाद्य मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार के बीच जी2जी व्यवस्थाओं के अंतर्गत बंग्लादेश के चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों को 150000 मीट्रिक टन (+/-10%) भारतीय गैर–बासमती चावल के शिपमेंट के लिए संविदा निष्पादित की गई थी। इस संविदा के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बल्क वेस्सल्स एवं बार्जेज के माध्यम से कुल 50.23 मिलियन अमरीकी डालर की 123229.73 मीट्रिक टन भारतीय गैर–बासमती चावल की खेप भेजी गई। शेष की शिपमेंट प्रगति पर है। यह संविदा 65.29 मिलियन अमरीकी डॉलर की है।

बांग्लादेश को चावल का शिपमेंटः कोलकाता बंदरगाह पर कार्गो लोडिंग

2. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग, समाज कल्याण, राहत और निपटान मंत्रालय, म्यांमार सरकार को मानवीय सहायता के रूप में 10000 मीट्रिक टन चावल और 200 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति

एक सद्भावना संकेत के रूप में, भारत सरकार नियमित रूप से विकासशील और अल्प विकसित देशों को खाद्य सहायता और अन्य मदों के रूप में मानवीय सहायता/आपातकालीन राहत प्रदान करती आर रही है। आवश्यक गुणवत्ता और वितरण मानकों के अनुसार ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए नेफेड की क्षमताओं में विश्वास व्यक्त करते हुए, विदेश मंत्रालय ने नेफेड को यांगून बंदरगाह, म्यांमार को 10000 मीट्रिक टन चावल और 200 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति करने का काम सौंपा। आपूर्ति 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी थी। नेफेड ने कोलकाता और हल्दिया समुद्री बंदरगाहों से 3 जहाजों में समयानुसार पूरी मात्रा के शिपमेंट की व्यवस्था की। यह कार्यादेश 32.18 करोड़ रुपये का था।

म्यांमार को चावल और गेहूं की शिपमेंटः कोलकाता बंदरगाह पर विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) और नेफेड के अधिकारियों द्वारा कार्गो का संयुक्त निरीक्षण

अध्याय 8.6

प्रत्यक्ष कारोबार

नेफेड के सक्षम प्राधिकारी के बजट आवंटन/अनुमोदन के अधीन नेफेड अपने स्वयं की निधि का उपयोग करके प्रत्यक्ष कारोबार करता है। विगत कुछ वर्षों में, नेफेड के प्रत्यक्ष कारोबार में गिरावट आई है, क्योंकि सुनिश्चित लाभ/आय के साथ शून्य जोखिम वाले कारोबार को लागू करने पर अधिक जोर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान, नेफेड ने अपने खाते में 14.86 करोड़ रुपये की 2093.666 मीट्रिक टन दलहन और विविध/मसाले की खरीद की, जिसका विवरण इस प्रकार है:

मात्रा मीट्रिक टन में/मूल्य करोड़ रुपये में

दलहन	2004.566	13.32
विविध /मसाले	89.100	1.54
योग	**2093.666**	**14.86**

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)

किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक प्रमुख पहल के रूप में, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पशुओं में प्रचलित खुरपका एवं मुंहपका (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की शुरूआत 11 सितंबर 2019 को मथुरा, उत्तर प्रदेश से की गई थी।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए केंद्र सरकार से 12,652 करोड़ रुपये के 100 प्रतिशत के वित्तपोषण वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सूअरों के मुंहपका व खुरपका रोग का उपचार सहित देश में 500 मिलियन से अधिक पशुधन का टीकाकरण करना है। इस कार्यक्रम में ब्रुसेलोसिस बीमारी के विरुद्ध अपनी लड़ाई में प्रतिवर्ष 36 मिलियन मादा गोजातीय बछड़ों का टीकाकरण करने कर लक्ष्य भी रखा गया है।

नेफेड को 30 अक्टूबर 2019 को नामांकन के आधार पर इस महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मिशन के लिए प्रोग्राम लॉजिस्टिक एजेंसी (पीएलए) के रूप में नियुक्त किया गया था। नेफेड मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इन बीमारियों के उन्मूलन के मिशन को साकार करने में सहायता कर रहा है। नेफेड को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कुल खरीदी का 0.5 प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त होता है।

31 मार्च, 2022 तक, पीएलए के रूप में नेफेड ने एफएमडी टीकों की 23.02 करोड़ खुराक, 2.12 करोड़ ब्रूसेलोसिस वैक्सीन और छोटे और बड़े जानवरों के लिए 21.90 करोड़ कान के बड़े बिल्ले और 22.35 करोड़ कान के छोटे बिल्ले पूरे भारत में राज्य पशुपालन विभागों को खरीद और आपूर्ति की।

एफएमडी विनिर्माण स्थल का दौरा

एफएमडी विनिर्माण स्थल में शीशियों की पैकेजिंग

क्षेत्र में कान बिल्ले लगाते हुए

क्षेत्र में टीकाकरण

कृषक संपर्क एवं सुविधा (एफओएफ)

नेफेड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार के अंतर्गत 10,000 एफपीओ योजना के गठन और संवर्धन के लिए चौथी राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है और मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020–21 और 2021–22 में 28 राज्यों में 557 एफपीओ आवंटित किए गए थे। आगामी वर्षों में और अधिक एफपीओ आवंटित किए जाने की उम्मीद है। नेफेड ने फीफा का अधिग्रहण केवल एफपीओ और समितियों को ऊष्मायन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया है।

वर्ष के दौरान एफओएफ प्रभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार हैं:

10,000 एफपीओ की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत एफपीओ गठन और संवर्धन प्रगति

557 एफपीओ के आवंटन के सापेक्ष, नेफेड ने 31 मार्च, 2022 तक कुल 421 एफपीओ पंजीकृत किए हैं। इन पंजीकृत एफपीओ में लगभग 1,08,000 किसान जुटाए गए हैं। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार ईओआई जारी करके और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके 71 क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) को सूचीबद्ध किया गया है। पैनल में सूचीबद्ध 71 सीबीबीओ में से 56 सीबीबीओ को उनके अनुभव के आधार पर कार्य आवंटित किया गया है।

जिंस–वार कार्य–निष्पादन का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ग	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		योग	
	आवंटन	पंजीकृत	आवंटन	पंजीकृत	आवंटन	पंजीकृत
बांस	29	29	-	-	29	29
कृषि वानिकी	7	7	-	-	7	7
तिलहन	37	33	-	-	37	33
विशिष्ट	125	120	100	69	225	189
शहद	5	5	60	51	65	56
जैविक	43	43	1	1	44	44
गैर विशिष्ट	-	-	150	63	150	63
योग	246	237	311	184	557	421

10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत समान इक्विटी अनुदान जारी करना:

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी, 2022 को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत 10000 एफपीओ के गठन के लिए नेफेड द्वारा प्रवर्तित 42 एफपीओ को रु. 203 लाख का मिलान इक्विटी अनुदान जारी किया। माननीय प्रधान मंत्री ने नेफेड द्वारा गठित भरतपुर हनी एफपीओ के सदस्यों के साथ भी बातचीत की और ऐसे एफपीओ को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए देश भर में शहद क्लस्टर स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के अंतर्गत शहद प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना

नेफेड को एनबीएचएम के अंतर्गत एनबीबी द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5 शहद प्रसंस्करण संयंत्र और 30 संग्रह केंद्र स्थापित करने का काम दिया गया है। नेफेड के पहले शहद प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास और भूमि पूजन 1 जुलाई 2021 को मुरैना, मध्य प्रदेश में माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया था। माननीय मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री के ''मधुक्रांति'' के विजन को प्राप्त करने की दिशा में नेफेड की भूमिका और प्रतिबद्धता की सराहना की, जिसका उद्देश्य शहद उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि करना है। नेफेड को 20 हनी बी कीपर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सौपें गए हैं जो नेफेड द्वारा गठित और प्रचारित सदस्य मधुमक्खी पालकों के लिए आयोजित किए जाएंगे।

माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा शहद प्रसंस्करण संयंत्र का भूमि पूजन

अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी से जैविक कीवी के लिए फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज का निर्माण

अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी के कीवी अपनी मिठास और स्वाद के लिए अत्यंत लोकप्रिय हैं। यह फल अपने उच्च पोषण की महत्ता के लिए भी जाना जाता है। अपनी नवीनतम पहलों में से एक में, नेफेड ने एफपीओ के साथ सफलतापूर्वक भागीदारी करके अपनी कीमत वसूली में सुधार लाने के उद्देश्य से क्षेत्र के कीवी उत्पादकों को बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। जीरो वैली से ऑर्गेनिक कीवी की पहली खेप नवंबर, 2021 को प्रचार और विपणन के लिए दिल्ली भेजी गई थी। राज्य के कृषि मंत्री श्री तागे टाकी ने इस नई पहल की शुरुआत करते हुए खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 27 नवंबर, 2021 को दिल्ली पहुंचने पर, श्री किरण रिजिजू, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, श्री कैलाश चौधरी, कृषि राज्य मंत्री के साथ, दिल्ली हाट में पोषक तत्वों से भरपूर इस स्वादिष्ट फल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री पी.के.स्वैन, अतिरिक्त सचिव, कृषि, श्री नरेश कुमार, मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार, नेफेड के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। देश के बड़े रिटेल/बिजनेस हाउस जैसे बिग बास्केट, स्पेंसर रिटेल, मेट्रो और अन्य ने भी इस आयोजन में भाग लिया। लॉन्च इवेंट के बाद मेहमानों के लिए एक लाइव कुकिंग सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें कीवी–आधारित व्यंजनों के कई व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया और उसके बाद सैंपल–चखने का कार्य किया गया।

अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी से जैविक कीवी का शुभारंभ

डिजिटलीकृत गुणवत्ता मूल्यांकन ने फल की निरीक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अंतिम उपभोक्ताओं को एक पूर्ण ट्रेसबिलिटी रिपोर्ट प्रदान करने में मदद की। इस प्रक्रिया से किसानों के साथ–साथ उपभोक्ताओं का भी सशक्तिकरण होता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर मूल्य प्राप्ति होती है और मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के बीच अधिक विश्वास और पारदर्शिता का निर्माण होता है। भारतीय कृषि की क्षमता को सही मायने में भुनाने, किसानों की आय बढ़ाने और गुणवत्ता–आधारित व्यापार को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने में वृद्धि करना आवश्यक है।

चेरी, केसर और शहद उत्पादकों के लिए बाजार से जुड़ाव

नेफेड ने जम्मू–कश्मीर के चेरी और केसर उत्पादकों को बाजार संपर्क प्रदान किया और उनके उत्पादों को दिल्ली सहित भारत के विभिन्न बाजारों में उपलब्ध कराया। यह शहद एफपीओ के शहद उत्पादकों को बाजार संपर्क भी प्रदान किया जा रहा है। उत्पादों को नेफेड बाजार के खुदरा दुकानों और निपटान के अन्य चैनलों के माध्यम से बेचा जा रहा है।

चेरी, केसर और शहद उत्पादकों के लिए बाजार से जुड़ाव

बायो रिफाइनरी की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत नेफेड, असम बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड (एबीआरपीएल) और असम की राज्य बांस विकास एजेंसी (एसबीडीए) के बीच समझौता ज्ञापन

नेफेड और असम बायो रिफाइनरी के बीच समझौता ज्ञापन का निष्पादन

नेफेड ने 5 अक्टूबर, 2021 को असम बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड (एबीआरपीएल) और असम की राज्य बांस विकास एजेंसी (एसबीडीए) के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत भारत में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लिए अपनी तरह की पहली बायो रिफाइनरी की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हरित ईंधन–जैव इथेनॉल, अन्य

मूल्यवान रसायन और बांस बायोमास से हरित ऊर्जा। एबीआरपीएल को इस व्यवस्था के अंतर्गत इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रति वर्ष 5 लाख मीट्रिक टन हरे बांस की आवश्यकता होगी।एबीआरपीएल नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, फिनलैंड की मेसर्स केमपोलिस ओए और नीदरलैंड की मैसर्स फोर्टम 3 बीवी की संयुक्त उद्यम कंपनी है। एसबीडीए विभिन्न हस्तक्षेपों जैसे एफपीसी/एफपीओ के माध्यम से संगठित तरीके से वित्तीय सहायता के विस्तार, आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और परियोजना की निगरानी के माध्यम से क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान कर रहा है।

सतत गुणवत्ता और कीमत वाली बांस की निरंतर आपूर्ति के साथ एबीआरपीएल रिफाइनरी का समर्थन करने के लिए, नेफेड और एसबीडीए बांस किसानों को जुटाने के लिए मिलकर काम करेंगे। सरकार और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं के अभिसरण के माध्यम से 4000 से 5000 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में हजारों छोटे और सीमांत किसानों को शामिल करके बांस की आवश्यक गुणवत्ता के संगठित वैज्ञानिक वृक्षारोपण के लिए मौजूदा एफपीओ/एफपीसी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम उन सात प्रमुख कारकों में से एक है जिन्हें माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2030 तक भारत के ऊर्जा मानचित्र लक्ष्य 450 जीडब्ल्यू और सरकार के लिए पहचाना है। भारत सरकार इस संबंध में देश भर में कई इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम (ईबीपी) लागू कर रही है। बांस, कृषि और अन्य कचरे से जैव ईंधन के उत्पादन में नेफेड का प्रवेश भारत के ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने, कल हरियाली के निर्माण और किसानों की आय में वृद्धि में योगदान देता है।

बांस और कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन

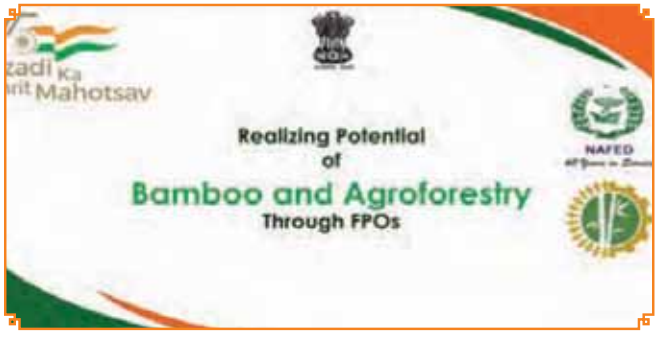

आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, नेफेड ने 31 जनवरी, 2022 को बांस और कृषि वानिकी पर एफपीओ के गठन पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में राज्य मिशन निदेशकों, सीबीबीओ, एफपीओ के सदस्यों और अन्य हितधारकों ने सहभागिता की। श्रीमती छवि झा, संयुक्त सचिव, (एनआरएम और आरकेवीवाई) ने बांस और कृषि वानिकी वृक्षारोपण की अपार संभावनाओं और हितधारकों को प्रदान किए गए अवसरों से अवगत कराया।

नेफेड की शाखाओं ने बांस और कृषि वानिकी पर एफपीओ के गठन पर आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया।

नेफेड और मैसर्स ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ) के बीच समझौता ज्ञापन का निष्पादन

नेफेड ने ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से बाघ/वन्यजीव संरक्षण को सुरक्षित करते हुए बाघ/वन्यजीव परिदृश्य में कृषक समुदायों के लिए एक उन्नत आजीविका पोर्टफोलियो प्रदान करना है।

एफपीओ को ऋण प्रदान करने के लिए नेफेड एवं सम्मुन्नति फाइनेंस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

7 दिसंबर, 2021 को नेफेड एवं सम्मुन्नति फाइनेंस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य एफपीओ को क्रेडिट लिंकेज की सुविधा प्रदान करना है। सम्मुन्नति एक एनबीएफसी है, जिसका कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण है और वित्तीय और गैर–वित्तीय समाधान प्रदान करके सभी हितधारकों के मूल्यों को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन

एएससीआई कृषि, बागवानी, डेयरी, पशुधन, कृषि–उद्यमिता आदि में विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए 182 योग्यता पैक, प्रशिक्षण मॉड्यूल और मूल्यांकन प्रणाली के विकास के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जुड़े किसानों, दिहाडी मजदूरों, स्व–नियोजित और एक्सटेंशन वर्करों के अंतर को पाटने और कौशल का उन्नयन करके क्षमता निर्माण की दिशा में काम करता है।

सेवा प्रदाताओं (एसपी) के साथ साझेदारी में कृषि आदानों और नेफेड उत्पादों की आपूर्ति के लिए नेफेड ग्रामीण मार्ट (एनआरएम) का कार्यान्वयन

नेफेड ने नेफेड में वर्चुअल इनपुट मार्केट प्लेटफॉर्म (वीआईएमपी) के विकास और फीफा के सदस्य एफपीओ, नेफेड के सदस्य समितियों, किसानों और इनपुट मार्केट प्लेटफॉर्म पर आदान आपूर्तिकर्ताओं को ऑन बोर्डिंग और पंजीकरण में सहायता प्रदान करने के लिए चयनित सेवा प्रदाताओं में से एक, मैसर्स स्टार एग्री के साथ समझौता किया। एफपीओ/समितियां एमओए एंड एफडब्ल्यू के कृषि–इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के अभिसरण के माध्यम से एनआरएम की स्थापना करेंगी। एसपी प्लेटफार्म संचालित करेगा और कृषि आदानों और नेफेड उत्पादों के लिए एफपीओ और समितियों से कुल मांग करेगा। फीफा–नेफेड के समर्थन से एसपी प्रतिष्ठित निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति की व्यवस्था करेगा। फीफा इन निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सतत आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन में प्रवेश करेगा। सेवा प्रदाता एनआरएम के माध्यम से कृषि–आदानों और अन्य आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करेगा।

विभिन्न सीएसआर और कौशल विकास गतिविधियों के लिए एजेंसियों का पैनल बनाना

नेफेड ने विभिन्न सीएसआर और कौशल विकास गतिविधियों के लिए 16 एजेंसियों को पैनल में सूचीबद्ध किया है। इस उद्देश्य के लिए एक ईओआई मंगाई गई थी। चयनित कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) किसानों, एफपीओ और अन्य लोगों के लिए विभिन्न कौशल विकास, क्षमता निर्माण और अन्य सीएसआर परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए नेफेड के साथ काम करेगी।

फीफा के साथ नेफेड किसानों और एफपीओ के लिए कौशल और उद्यमिता विकास, कृषि सलाहकार, एफपीओ के ऊष्मायन, बाजार लिंकेज, कृषि–बुनियादी ढांचा विकास, आजीविका, डिजिटल साक्षरता, सतत कृषि, उत्पादन और आय वृद्धि आदि के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशेगा।

उपभोक्ता विपणन

1. संक्षिप्त विवरण

नेफेड ने उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर किराने का सामान, चाय, तेल, मसाले आदि जैसी दैनिक जरूरतों की आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए उपभोक्ता विपणन में कदम रखा। उत्पादों को नेफेड बाजार नामक विभिन्न खुदरा दुकानों के माध्यम से ''नेफेड'' ब्रांड नाम के अंतर्गत बेचा जा रहा है। उपभोक्ता विपणन प्रभाग इन स्टोरों को अपने प्रबंधन के साथ–साथ फ्रेंचाइजी व्यवस्था के अंतर्गत संचालित कर रहा है। हाल के वर्षों में, पूरे भारत में नए स्टोर खोलने के साथ खुदरा उपस्थिति का विस्तार किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता विपणन प्रभाग लगातार विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं और पहलों का समर्थन करने के लिए काम करता है, जैसे कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम), जम्मू–कश्मीर के केसर किसानों को बढ़ावा देने के लिए पीएम–किसान योजना, और एफएमसीजी क्षेत्र के सूक्ष्म खाद्य प्रोसेसर को औपचारिक रूप देने के लिए पीएम एफएमई और माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के *आत्मनिर्भर भारत* के दृष्टिकोण में योगदान देता है।

2. मौजूदा उत्पाद श्रृंखला और जोड़े गये नए उत्पादों का विवरण

नेफेड की मौजूदा उत्पाद श्रृंखला में दलहन, मसाले, चाय, अंडे का पाउडर, बेसन, चावल, शहद, केसर, चेरी, चावल की भूसी का तेल, सरसों का तेल, मखाना और अन्य उत्पाद शामिल हैं। ये उत्पाद नेफेड की ई–कॉमर्स वेबसाइट और नेफेड बाजार स्टोर्स पर कई किस्मों में उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2021–2022 के दौरान, नेफेड ने अपनी उत्पाद श्रेणी में विविधता लाने के प्रयास में अपनी मौजूदा श्रृंखला में कुछ नए उत्पाद जोड़े हैं।

3. नेफेड बाजार के मौजूदा आउटलेट और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जोड़े गए नए आउटलेट

प्रभाग देश भर में स्व–स्वामित्व वाले और फ्रैंचाइज आउटलेट मॉडल दोनों में नेफेड बाजार स्टोर चला रहा है।

क्र.सं.	मौजूदा नेफेड बाजार स्टोर
1	आश्रम चौक, नई दिल्ली
2	कृषि भवन, नई दिल्ली
3	न्यू मोती बाग क्लब, नई दिल्ली
4	लारेंस रोड, नई दिल्ली
5	मोहन कोओपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड़, नई दिल्ली
6	एलबीएसएनएए मसूरी, उत्तराखंड
7	ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली
8	सेक्टर–5, पंचकुला, हरियाणा
9	पंचायत भवन बिल्डिंग, शिमला, हिमाचल प्रदेश
10	एसएडी कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश
11	जीटीबी हॉस्पिटल, नई दिल्ली
12	फरीदाबाद, आईओसीएल
13	गुरुग्राम, एचआईपीए

क्र. सं.	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नये जोड़े गए नेफेड बाजार स्टोर
1	दिल्ली पुलिस मुख्यालय, पुलिस कॉलोनी, नई दिल्ली
2	नाथुपुर डीएलएफ फेज–3, सेक्टर 70, गुरुग्राम, हरियाणा
3	अहमदाबाद, गुजरात
4	लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली
5	शॉप सं. 3 एवं 4, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली
6	छतरपुर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली
7	रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली
8	लुधियाना, पंजाब
9	कपूरथला, पंजाब

4. नई पहलें

विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उत्पादों का समर्थन करने के लिए नेफेड बाजार में समर्पित स्थान

शहद और केसर क्षेत्र का समर्थन करने के लिए, नेफेड ने देश भर में नेफेड बाजार स्टोरों में समर्पित कॉर्नर स्थापित किए हैं।

शहद और मधुमक्खी के छत्ते के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना ''राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)'', *आत्मनिर्भर भारत* के अंतर्गत हनी कॉर्नर की स्थापना की गई है। जम्मू–कश्मीर के केसर की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए पीएम–किसान योजना के अंतर्गत केसर कॉर्नर स्थापित किया गया है।

नेफेड द्वारा उत्पादों की ओडीओपी श्रृंखला का शुभारंभ

नेफेड समूचे भारत में प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम गठन (पीएम एफएमई) योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) अवधारणा के अंतर्गत विकसित उत्पादों के विपणन और ब्रांडिंग के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यान्वयनकर्ता सहभागी है। इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत, नेफेड ने 9 राज्यों के 10 जिलों में काम किया और 20 उत्पादों वाले 10 ब्रांडों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इन ब्रांडों को पीएम एफएमई योजना के अंतर्गत रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया था। ब्रांड श्री पशुपति कुमार पारस, माननीय केंद्रीय मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ लॉन्च किए गए थे। उत्पादों का निर्माण सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (एमएफपीई) द्वारा किया जाता है। एक गहन उपभोक्ता वरीयता सर्वेक्षण के आधार पर, नेफेड ने एफएसएसएआई दिशानिर्देशों का पालन करते हुए इन उत्पादों की अवधारणा और विकास किया है।

जनवरी 05,2022 को दिल्ली में 5 ओडीओपी उत्पादों का शुभारंभः बाएं से दाएंः श्री प्रहलाद सिंह पटेल, माननीय राज्यमंत्री (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय), श्री पशुपति कुमार पारस, माननीय केंद्रीय मंत्री (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय), श्रीमती अनीता प्रवीण, (आईएएस) सचिव (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय), श्री मिन्हाज आलम (आईएएस) संयुक्त सचिव (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) और श्री पंकज कुमार प्रसाद, अपर प्रबंध निदेशक (नेफेड)।

श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से चेरी का शुभारंभ

श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय कृषि और किसान

कल्याण मंत्री ने नेफेड ब्रांड के अंतर्गत एफपीओ से खरीदे गए कश्मीर चेरी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

पंपोर, जम्मू-कश्मीर के किसानों की ओर से केसर का शुभारंभ

माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कश्मीर के किसानों से खरीदे गए 10 सितंबर, 2021 को नेफेड के ब्रांड के अंतर्गत केसर का शुभारंभ किया। श्री कैलाश चौधरी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एमओए और एफडब्ल्यू, श्रीमती शोभा करंदलाजे, माननीय राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एमओए एंड एफडब्ल्यू और श्री संजीव कुमार चड्ढा, तत्कालीन एमडी, नेफेड के साथ भारत सरकार और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

अरुणाचल प्रदेश से जैविक कीवी का शुभारंभ

श्री तागे टिकी, माननीय राज्य कृषि मंत्री, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 21 नवंबर, 2021 को जीरो वैली में दिल्ली के लिए फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक कीवी की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। श्री किरण रिजिजू, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और श्री कैलाश चौधरी, राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 27 नवंबर, 2021 को दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी की भारत की पहली प्रमाणित ऑर्गेनिक फ्रेश कीवी लॉन्च की। नेफेड ने अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड (एपीएएमबी), अरुणाचल प्रदेश सरकार की इस पहल का समर्थन किया।

भविष्य का रोड मैप

बिहार में मखाना और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना

नेफेड पटना शाखा ने बिहार में मखाना और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 10 दिसंबर, 2021 को मैसर्स अतुल्य को–ऑप सोसाइटी लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया।

बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की पहल का समर्थन

कृषि भवन, नई दिल्ली में बाजरा वेंडिंग मशीन

आत्मनिर्भर भारत के माननीय प्रधान मंत्री के विजन का समर्थन करने और बाजरा पहल को आगे बढ़ाने के लिए, नेफेड ने नेफेड बाजार स्टोरों में बाजरा आधारित उत्पादों की बिक्री की शुरूआत की और साथ ही कृषि भवन, नई दिल्ली में एक वेंडिंग मशीन स्थापित करके एक पायलट परियोजना शुरू की।

वेंडिंग मशीन में ग्राहकों को यूपीआई या ई–वॉलेट के माध्यम से कैशलेस भुगतान प्रदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी है।

इस वेंडिंग मशीन की स्थापना को कृषि भवन के अधिकारियों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है और साथ ही दैनिक आगंतुक भारी संख्या में इस पहल की ओर आकर्षित हो रहे है क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को कृषि भवन, नई दिल्ली में पौष्टिक और ताजा बाजरा उपलब्ध हो रहा है।

अध्याय 8.10

जैविक खेती

जैविक कृषि एक अनूठी उत्पादन प्रबंधन प्रणाली है जो जैव–विविधता, जैविक चक्र और मिट्टी की जैविक गतिविधि सहित कृषि–पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देती है और बढ़ाती है, और यह सभी सिंथेटिक खेतीत्तर आगमों को छोड़कर खेत पर कृषि विज्ञान, जैविक और यांत्रिक विधियों का उपयोग करके पूरा किया जाता है।

जैविक खेती की आवश्यकता

जनसंख्या में वृद्धि के साथ हमारी मजबूरी न केवल कृषि उत्पादन को स्थिर करना होगा अपितु इसे टिकाऊ तरीके से और बढ़ाना होगा। वैज्ञानिकों ने महसूस किया है कि उच्च इनपुट उपयोग के साथ ''हरित क्रांति'' एक स्थिर स्थिति में पहुंच गई है और अब गिरते लाभांश का गिरता प्रतिफल के साथ स्थिर हो गई है। इस प्रकार, जीवन और संपत्ति के अस्तित्व को बचाने के लिए हर कीमत पर एक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके लिए स्पष्ट विकल्प वर्तमान युग में अधिक प्रासंगिक होगा, जब ये कृषि रसायन जो जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होते हैं और नवीकरणीय नहीं हैं और उपलब्धता में कम हो रहे हैं।

नेफेड टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और पर्यावरण की रक्षा करने में अपना योगदान देने की दृष्टि से जैविक खेती में हमेशा विविधता लाने पर जोर देता आया है। नेफेड को उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और मणिपुर राज्यों में भारत सरकार की पीकेवीवाई, आरकेवीवाई, एमआईडीएच (एनएचएम) एवं एमओवीसीडीएनईआर योजनाओं के अंतर्गत 50,500 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में गोद लेने और प्रमाणन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगभग 15 वर्षों का अनुभव है।

नेफेड द्वारा पूर्व में कार्यान्वित परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

i) आरकेवीवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में 12,783 किसानों को लाभ पहुंचाते हुए 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती का अंगीकरण और प्रमाणन।

ii) एनएचएम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में 12,469 किसानों को लाभ पहुंचाते हुए 20,400 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती और प्रशिक्षण का अंगीकरण और प्रमाणन।

iii) एनएचएम के अंतर्गत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के 2111 किसानों को लाभ पहुंचाते हुए 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में लीची की जैविक खेती और प्रशिक्षण का अंगीकरण और प्रमाणन।

iv) एमआईडीएच (एनएचएम) के अंतर्गत ओडिशा के 5 जिलों में 1850 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती और प्रशिक्षण का अंगीकरण और प्रमाणन।

v) पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) के अंतर्गत इंफाल ईस्ट, मणिपुर में 1500 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले ग्रोअर ग्रुप/फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का कार्यान्वयन।

वर्ष 2021-2022 में कार्यान्वयनाधीन जैविक खेती परियोजनाएं

नेफेड वर्तमान में ओडिशा राज्य में 1850 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती परियोजना लागू कर रहा है। परियोजना को ओडिशा के 5 जिलों, कोरापुट, रायगडा, कालाहांडी, बोलांगीर और नयागढ़ में आरोपण के लिए बागवानी विभाग, ओडिशा द्वारा आबंटित किया गया था। परियोजना को नेफेड द्वारा अपने तकनीकी भागीदारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

ओडिशा में परियोजना कार्यान्वयन की झलकियां

अध्याय 8.11

बीज कारोबार

नेफेड कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार की केंद्रीय बीज एजेंसियों में से एक है, जो दलहन, तिलहन और अनाज के प्रमाणित बीज के उत्पादन और वितरण के लिए है। तिलहन और दलहन के प्रमाणित बीज का उत्पादन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)–दलहन/तिलहन योजना के अंतर्गत किया जाता है। भारत सरकार की बीज मिनीकिट वितरण योजना (दाल और तिलहन) के अंतर्गत देश भर के किसानों को सीधे वितरित किया गया। इसके अलावा, नेफेड सामान्य आपूर्ति के अंतर्गत राज्य सरकारों को निविदाओं और सीधे आदेशों के माध्यम से प्रमाणित बीजों की शेष मात्रा (डीए एंड एफडब्ल्यू की मांग पूरा करने के बाद) की आपूर्ति भी करता है।

नेफेड की प्रमुख बीज फसलें

तिलहनः मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, अलसी, तिल आदि।

दलहनः चना, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, अरहर आदि।

खाद्यान्नः गेहूं, धान, मक्का, जौ आदि।

सब्जियांः प्याज, टमाटर, खीरा, लौकी, लौकी, करेला, भिंडी, बैगन, मिर्च, धनिया, पालक, मेथी, आलू, भिंडी आदि।

चारा फसलेंः बरसीम, जई, बाजरा

बागवानी रोपण सामग्रीः अमरूद, आम, नारियल के बीज, संतरा और केले की खेती

बीज उत्पादन प्रणाली में आम तौर पर तीन उत्पादन शामिल होती हैं जैसे बीज प्रजनक, मूल बीज और प्रमाणित बीज। नेफेड बीज गुणन श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करता है ताकि किस्म की शुद्धता को बनाए रखा जा सके क्योंकि यह ब्रीडर से किसान तक जाती है। नेफेड अपने बीज नोडल अधिकारियों और तकनीकी टीम के माध्यम से बीज उत्पादन कार्यक्रमों का क्षेत्र निरीक्षण करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीज उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों का पालन किया जा रहा है। अंतिम उत्पाद को फिर से निर्धारित बीज मानकों के अनुरूप परीक्षण किया जाता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, नेफेड ने कृषि एवं किसाल कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से आईसीएआर संस्थानों से 160.11 क्विंटल प्रजननक (ब्रीडर) बीज की खरीदी की, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। नेफेड के पैनल में सूचीबद्ध बीज उत्पादकों द्वारा उठाए गए ब्रीडर बीज को मूल बीज में मिलाया गया है जिसका वर्ष 2022–23 के दौरान प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम में उपयोग किया जाएगा।

वर्ष 2021–22 के दौरान, नेफेड को 29250 क्विंटल तिलहन और दलहन फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में 731.25 लाख रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हुआ। इसके अलावा, 80161 क्विंटल प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में 4008.05 लाख रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हुआ। बीज उत्पादन कार्यक्रम के सफल निष्पादन के बाद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त कुल प्रयोज्य वित्तीय सहायता का 75 प्रतिशत नेफेड द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पंजीकृत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नेफेड ने कुल 8162.19 लाख रुपये का बीज का कारोबार था। नेफेड ने बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे विभिन्न राज्यों को तिलहन मिनीकिट वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत 149.21 लाख रुपये के लगभग 1599.56 क्विंटल तिलहन के प्रमाणित बीज, दलहन बीज मिनीकिट वितरण योजना के अंतर्गत 1177.09 लाख रुपये 11420.20 क्विंटल दलहन के प्रमाणित बीज की आपूर्ति की। इसके अलावा, नेफेड ने राज्य वितरण योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों को 923.83 लाख रुपये के दलहन, तिलहन और खाद्यान्नों के 14153.80 क्विंटल प्रमाणित बीजों की आपूर्ति भी की। वित्त वर्ष 2021–22 के

दौरान नेफेड द्वारा किए गए बीजों के कुल कारोबार में से सब्जी के बीज, औषधीय फसलों की रोपण सामग्री के बीज और अन्य संकर बीजों की बिक्री लगभग 50 हिस्सेदारी थी।

क्र.सं.	विवरण	मात्रा क्विंटल में	मूल्य लाख रुपये में	सकल लाभ लाख रुपये में
i.	राज्य कृषि विभागों को सामान्य आपूर्ति/खुली	14,153.81	923.83	46.19
ii.	तिलहन मिनीकिट आपूर्ति	1,599.56	149.21	7.46
iii.	दलहन मिनीकिट आपूर्ति	11,420.20	1,177.09	58.85
iv.	चारा बीज/हरित खाद	10,598.10	747.52	30.02
v.	सब्जी के बीज / औषधीय / रोपण सामग्री / अन्य संकर बीज	29,706.240	4,624.80	197.71
vi.	प्राप्त एनएफएसएम-बीज उत्पादन सब्सिडी*	-	-	-
vii.	प्याज के बीज कारोबार	291.434	539.74	87.92
	कुल योग	**67,769.344**	**8,162.19**	**428.15**

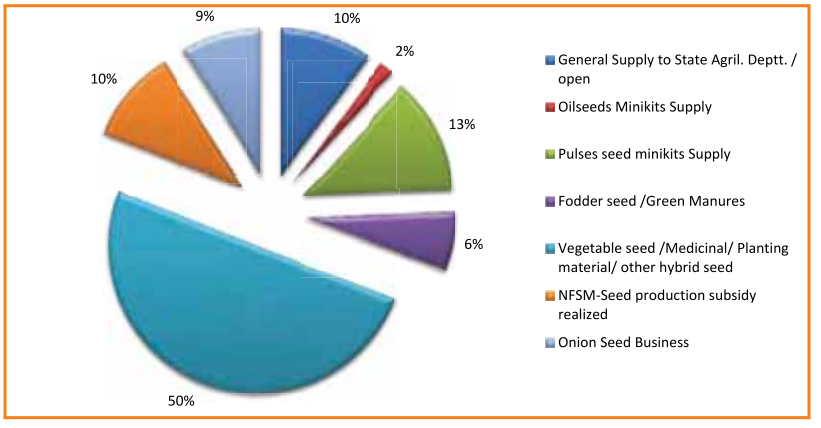

बीज कारोबार के घटकों की हिस्सेदारी

उत्तर प्रदेश सरकार को आपूर्तित सब्जी के बीज

संपत्ति और औद्योगिक इकाईयां

नेफेड के देश भर में कार्यालय परिसर, गोदामों, औद्योगिक इकाइयों, भूखंडों, प्याज भंडारण संरचनाओं, कोल्ड स्टोरेज और आवासीय परिसर के रूप में कुल 53 संपत्तियां हैं। इनमें से बत्तीस (32) संपत्तियां कार्यालय/आवासीय परिसर के रूप में हैं, जिनका प्रबंधन नेफेड के संपत्ति प्रभाग द्वारा किया जाता है।

अधिकांश खाली संपत्तियों को किराए पर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पूरे किराए की संपत्ति से 955.14 लाख रुपये की वार्षिक राजस्व की प्राप्ति हुई, जो कि वित्त वर्ष 2020–21 की तुलना में 28.48 प्रतिशत अधिक है।

नेफेड ने हाल ही में मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, भुवनेश्वर, रायपुर और लखनऊ में संपत्तियां खरीदी हैं और बैंगलोर, पटना, रांची और गुवाहाटी में परिसर खरीदने की प्रक्रिया चल रही है।

रायपुर (छत्तीसगढ़) शाखा कार्यालय

मुंबई शाखा कार्यालय

चंडीगढ शाखा कार्यालय

भोपाल शाखा कार्यालय

नेफेड की औद्योगिक इकाई संपत्तियां अधिकांशतः भूमि, खुले भूखंड, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और औद्योगिक इकाइयों के रूप में हैं जो औद्योगिक इकाई प्रभाग के कार्यक्षेत्र में आती हैं। कुछ संपत्तियां नेफेड के स्वयं के उपयोग के लिए हैं जबकि कुछ को संघ को किराये की आय सृजित करने के लिए पट्टे पर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, संपत्तियों के प्रभावी उपयोग से 6.05 करोड़ की किराये की आमदनी हुई।

शाखा–वार किराया आमदनी (लाख रुपये में)

शाखा	आय
मुंबई	204.16
कोचीन	33.45
चेन्नई	84.97
लखनऊ	35.73
जयपुर	24.18
भोपाल	98.76
नासिक	123.69
औद्योगिक इकाईयों की कुल आय	**604.94**

- **वाशी, नवी मुंबई में शीत भंडारण परियोजनाएं:** वाशी (नवी मुंबई) के भूखंडों को सेक्टर–19एफ और सेक्टर–18 में क्रमशः 2400 मीट्रिक टन और 3000 मीट्रिक टन क्षमता के शीत भंडारण के निर्माण के लिए बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर पट्टे पर दिया गया है। उक्त कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं को आरकेवीवाई अनुदान से सहायता प्राप्त है। इस परियोजना में 2400 मीट्रिक टन क्षमता का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।

- **प्याज भंडारण परियोजनाएं:** मध्य प्रदेश राज्य में 9000 मीट्रिक टन और 1500 मीट्रिक टन प्याज के भंडारण की क्षमता वाली प्याज भंडारण संरचनाएं निर्माण के अग्रिम चरण में हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य में नेफेड की 4500 मीट्रिक टन की अपनी प्याज भंडारण संरचना भी विद्यमान है।

- **गंजबासौदा परियोजना:** 4000 मीट्रिक टन के मौजूदा गोदाम की मरम्मत और नवीनीकरण और बुनियादी सुविधाओं के साथ 10,000 मीट्रिक टन के सामान्य गोदाम का प्रस्तावित अतिरिक्त निर्माण प्रक्रियाधीन है। भोपाल शाखा द्वारा डीपीआर तैयार करने और निर्माण एजेंसी के चयन के लिए पीएमसी की नियुक्ति की गई है।

- **भिवाड़ी रीको परियोजना:** 8,000 मीट्रिक टन की संभावित क्षमता के सामान्य/औद्योगिक गोदाम का निर्माण प्रक्रियाधीन है। जयपुर शाखा द्वारा डीपीआर तैयार करने और निर्माण एजेंसी के चयन के लिए पीएमसी की नियुक्ति की गई है।

- **मूंगफली तेल मिल का स्थापन:** गुजकोमासोल के साथ संयुक्त उद्यम में नेफेड गुजरात के अमरेली में एक आधुनिक 80 टीपीडी क्षमता वाली मूंगफली तेल मिल स्थापित कर रहा है। पीएमसी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

- **रायचूर, कर्नाटक:** नेफेड के बीओडी ने सीडब्ल्यूसी के सहयोग से 30 साल की लीज अवधि के मुकाबले रायचूर में नेफेड की 4 एकड़ भूमि पर 10,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले अत्याधुनिक गोदाम के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

- **महाराष्ट्र में पीपीपी आईएडी (एकीकृत कृषि विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना) परियोजना:** महाराष्ट्र राज्य में 25 स्थानों पर प्याज के भंडारण और प्रबंधन के लिए एक पीपीपी आईएडी बुनियादी ढांचा परियोजना निर्माणाधीन है। परियोजना के अंतर्गत राज्य में विभिन्न स्थानों पर निर्माण के लिए 1000 मीट्रिक टन क्षमता के 25 गोदामों की योजना बनाई गई थी। यह परियोजना नेफेड के माध्यम से भारत सरकार/राज्य सरकारों के विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए प्याज की खरीद, भंडारण और निपटान गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगी। मार्च 2022 तक लगभग 19000 मीट्रिक टन क्षमता का निर्माण पूरा हो चुका है।

पीपीपी आईएडी की परियोजना संरचना

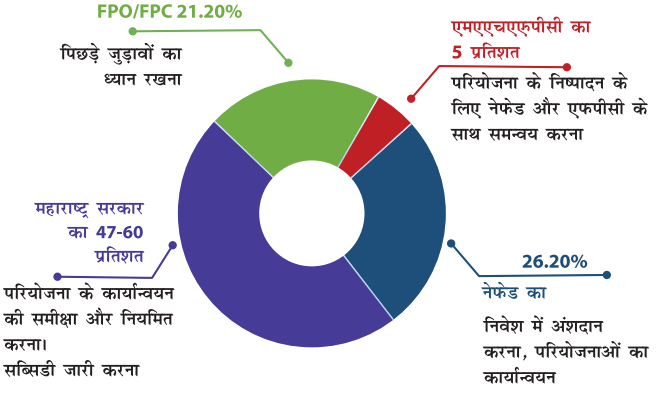

नेफेड की औद्योगिक इकाईयों की सूची

क्र. सं.	स्थान	शाखा	संपत्तियों की प्रकृति
1	बख्शी का तालाब (शेड-1) एवं (शेड-2)	लखनऊ	पट्टे वाली
2	मट्टनचेरी (कार्यालय सह गोदाम)	कोचीन	स्वामित्वाधीन
3 (a)	गोदाम, गांधीनगर, कोचीन	कोचीन	स्वामित्वाधीन
(b)	गोदाम, गांधीनगर, कोचीन	कोचीन	स्वामित्वाधीन
(c)	कार्यालय स्थल, गांधीनगर, कोचीन	कोचीन	स्वामित्वाधीन
4	पुणे गोदाम	नासिक	पट्टे वाली
5 (a)	आधुनिक प्याज गोदाम, पिंपलगांव	नासिक	पट्टे वाली
(b)	नेफेड प्याज पैकिंग शेड, पिंपलगांव	नासिक	पट्टे वाली
(c)	प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज सह पैक हाउस पिंपलगांव	नासिक	स्वामित्वाधीन
6 (a)	दो स्तरीय प्याज गोदाम, लसलगांव	नासिक	पट्टे वाली
(b)	नेफेड प्याज पैकिंग शेड, लसलगांव	नासिक	पट्टे वाली
7	नेफेड रायचुर गोदाम	बंगलौर	स्वामित्वाधीन
8	भिवंडी (फैक्ट्री आउटलेट)	जयपुर	पट्टे वाली
9	रीको, श्रीगंगानगर	जयपुर	पट्टे वाली
10	भरतपुर गोदाम	जयपुर	पट्टे वाली
11	माधवरम (5 गोदाम)	चेन्नई	स्वामित्वाधीन
12	नागापट्टीनम (3 गोदाम एवं 50 प्रतिशत खुला क्षेत्र)	चेन्नई	स्वामित्वाधीन
13	द्रोणागिरी/कंटेनर यार्ड	मुंबई	पट्टे वाली
14 (a)	वाशी नवी मुंबई/कोल्ड स्टोरेज	मुंबई	पट्टे वाली
(b)	वाशी नवी मुंबई/बांड गोदाम	मुंबई	पट्टे वाली
15	प्लॉट सं. 4-ए, सेक्टर 19 एफ, वाशी नवी मुंबई	मुंबई	पट्टे वाली
16 (a)	वाशी नवी मुंबई/साधारण गोदाम	मुंबई	पट्टे वाली
(b)	वाशी नवी मुंबई/मिल गोदाम	मुंबई	पट्टे वाली
17	नेफेड गोदाम सिया, औद्योगिक क्षेत्र, देवास	भोपाल	पट्टे वाली
18	नेफेड गोदाम बैतोली, गंजबसोड़ा, जिला विदिशा	भोपाल	पट्टे वाली
19	उमरानाला और मेहरखापा सोसर, छिंदवाड़ा में 500 मीट्रिक टन प्रत्येक की दो पैक हाउस परियोजनाएं	भोपाल	स्वामित्वाधीन
20	मड़वाड़ा, उज्जैन में प्याज गोदाम	भोपाल	पट्टे वाली
21	आस्था, सिहोर में प्याज गोदाम	भोपाल	पट्टे वाली

पीपीपी आईएडी परियोजना के अंतर्गत निर्मित भंडारण इकाईयां

अध्याय 8.13

जैव उर्वरक

जैव उर्वरक जीवित या सुप्त सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने, अनुपलब्ध फॉस्फेट को घुलनशील बनाने या कृषि अपशिष्ट को खाद बनाने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं।

- नेफेड ने वर्ष 1984–85 में जैव उर्वरक के क्षेत्र में कदम रखा जब नेफेड ने इंदौर, मध्य प्रदेश में 450 मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली अपनी पहली जैव उर्वरक विनिर्माण इकाई स्थापित की।

- क्षमता का उपयोग, गुणवत्ता नियंत्रण, विस्तार और इस अत्यंत उपयोगी जैव प्रौद्योगिकी के संवर्धन के संदर्भ में नेफेड के जैव उर्वरकों के निष्पादन को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (भारत सरकार) ने अभी तक 11 बार प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन पुरस्कार देकर विधिवत मान्यता दी।

- नेफेड की जैव उर्वरकों की शोध एवं विकास टीम के अनवरत प्रयासों से नेफेड द्वारा निम्नलिखित उत्पाद श्रृंखला का उत्पादन किया गया जो नेफेड के ब्रांड नाम से बेची जा रही हैं।

  फलीदार फसलों के लिए राइजोबियम

  अनाज, बाजरा, सब्जियों और अन्य बागवानी फसलों के लिए एजोटोबैक्टर

  मक्का, बाजरा, आलू, आदि के लिए अजोस्पिरिलम

  सभी फसलों के लिए पीएसबी

  जैविक कचरे के अपघटन के लिए कम्पोस्टिंग कल्चर

  सभी फसलों के लिए ट्राइकोडर्मा विराइड बायो फंजीसाइड्स

- नेफेड ब्रांड जैव उर्वरक व्यापार में मौजूदा गला काट प्रतिस्पर्धा के बावजूद किसानों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। खरीददारों को उचित और समय पर वितरण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इन जैव उर्वरकों का विपणन देश भर में फैली नेफेड की शाखाओं के माध्यम से किया जाता है। नेफेड की इन जैव–उर्वरक इकाईयों में तरल जैव–उर्वरकों का उत्पादन और विपणन भी आरंभ कर दिया गया है। नेफेड के ये उत्पाद किसानों को उनकी फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने में काफी हद तक मदद कर रहे हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान जैव–उर्वरक श्रेणी में नेफेड जैव–उर्वरक इकाई, इंदौर ने 17.85 लाख रुपये के सकल लाभ के साथ लगभग कुल 48.21 लाख रुपये का कारोबार किया। इसी अवधि में बैक टू बैक बायो–एग्री इनपुट में लगभग 11.34 लाख के सकल लाभ के साथ कुल 2.12 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

नेफेड के स्वयं के निर्मित उत्पादों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नए उत्पादों को जोड़ने के साथ जैव उर्वरक उत्पादन सुविधाओं के उन्नयन की प्रक्रिया के साथ एनएसबीडी इंदौर का नवीनीकरण कार्य शुरू किया जाना है। ट्राइकोडर्मा विराइड (जैव–कवकनाशी) के उत्पादन के लिए सीआईबी से स्थायी पंजीकरण लाइसेंस शीघ्र ही प्राप्त होने की उम्मीद है।

अध्याय 8.14

जलवायु अनुकूल नवाचार (सीआरआई)

नेफेड ने हरित भविष्य और ''स्वच्छ भारत'' के निर्माण में योगदान देने के उद्देश्य से कृषि और नगरपालिका कचरे से कम्प्रेस्ड बायो गैस/ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन के हरित व्यवसाय में कदम रखा है। इस मिशन को प्राप्त करने के लिए, नेफेड का लक्ष्य पूरे भारत में जैव–ईंधन संयंत्र स्थापित करना है। मेसर्स टरकोइस नेचुरल बायो एनर्जी के सहयोग से नेफेड द्वारा शुरू की गई पहली जैव ईंधन संयंत्र परियोजना को 20 मार्च, 2021 को गुजरात के भरूच में चालू किया गया। संयंत्र में फीडस्टॉक के 150 टीपीडी की प्रसंस्करण क्षमता है। नेफेड ने अपने तकनीकी और वित्तीय भागीदारों के संयंत्रों से उत्पादित जैविक खाद का विपणन और बिक्री भी आरंभ कर दिया है।

नेफेड अब देश के अन्य हिस्सों में भी जैव ईंधन संयंत्र शुरू करने के लिए तैयार है। 19 जनवरी, 2019 को नेफेड और अहमदाबाद नगर निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद नेफेड अहमदाबाद नगर निगम और अपने तकनीकी और वित्तीय भागीदार के बीच 27 जनवरी, 2022 को अहमदाबाद में नगरपालिक का ठोस कचरे से 500 टीपीडी जैव ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेफेड ने 15 फरवरी 2022 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ संपीड़ित बायो–गैस, इथेनॉल, बायोडीजल के उत्पादन, पौधों के लिए फीडस्टॉक की सोर्सिंग एवं सीबीजी, किण्वित कार्बनिक खाद (एफओएम), तरल किण्वित जैविक खाद, घुलनशील (डीडीजीएस) के साथ सूखे डिस्टिलर अनाज आदि जैसे तैयार उत्पादों के विपणन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन में पशु आहार, समृद्ध खाद उत्पादन आदि जैसे विभिन्न उत्पादों के प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन के लिए संयंत्रों की स्थापना और इंडियन ऑयल के खुदरा नेटवर्क और नेटवर्क के परिसर में नेफेड स्टोर्स की स्थापना/बायो–सीबीजी की स्थापना शामिल है। नेफेड ने चेन्नई में 3 (तीन) संपीड़ित बायो गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए मैसर्स स्पार्क बायो गैस के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिसे चेन्नई नगर निगम संयंत्रों द्वारा सम्मानित किया गया था, जो दिसंबर 2022 के अंत तक चालू हो जाएगा। नेफेड ने श्रीनगर में डल एवं नागिन झील में उत्पन्न होने वाली खरपतवार और लिली को दबाने हेतु संयत्र स्थापित करने के लिए जे एण्ड के कंजर्वेशन एण्ड मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ एक रियायत समझौता हस्ताक्षरित किया है। डल और नागिन झील से निकलने वाले कचरे से श्रीनगर में संयंत्र स्थापित करने के लिए नेफेड और नेफेड के तकनीकी और वित्तीय भागीदार के बीच एक विशिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

ग्रीन फील्ड प्लांट

अध्याय 9

विधि और टाई अप

1. नेफेड के सभी प्रभागों और शाखाओं को विधि प्रभाग द्वारा सक्रिय रूप से सहायता प्रदान की जा रही है। यह प्रभाग पैनल में सूचीबद्ध अधिवक्ताओं और विधि फर्मों, प्रधान कार्यालय के सभी प्रभागों एवं शाखाओं के साथ गहन समन्वय स्थापित करते हुए अखिल भारतीय आधार पर सभी लंबित टाई–अप व विधिक मामलों की गहनता से निगरानी कर रहा है।

2. वर्ष के दौरान टाई–अप और विधि प्रभाग के कार्य निष्पादन एवं संबंधित सकारात्मक परिणामों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

   क. नेफेड द्वारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (एनसीडीआरसी), नई दिल्ली के समक्ष दायर किया गया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीडीआरसी के दिनांक 18.12.2018 नेफेड के पक्ष में दिये गये निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए एसएलपी (सी) संख्या 6048/2019 में पारित दिनांक 04.03.2022 निर्णय के अंतर्गत नेफेड के निर्यात किए गए वस्तुओं को हुई क्षति के लिए बीमा दावा गया है। इस निर्णय के अनुसार, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा नेफेड को 59321385/– रुपये (टीडीएस के बाद) का भुगतान किया गया है।

   ख. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अलीमेंटा एस.ए. द्वारा दायर समीक्षा याचिका जिसमें सीए संख्या 667/2012 में निर्णय दिनांक 22.04.2020 की समीक्षा की मांग की गई थी, को दिनांक 04.08.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

   ग. मुंबई अलीमेंटा के मामले में अंतिम बहस समाप्त हो गई थी और निर्णय दिनांक 03.02.2020 तक के लिए सुरक्षित रखा गया था। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीए संख्या 667/2012 में दिनांक 22.04.2020 पारित निर्णय मामला आगे की सुनवाई के लिए रखा गया है।

   घ. हैदराबाद में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की व्यापक निगरानी में टाई–अप चूककर्ता हैंडम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संबंध में दिवाला कार्यवाही चल रही है।

   ङ. व्यापार परिपत्र संख्या 142 और आगे के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.12.2020 के अनुपालन में विधि प्रभाग द्वारा संकलन कार्य और रजिस्ट्री संख्या जारी करने का कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय रजिस्ट्री में जमा किए गए सभी मूल करारों/संविदाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया चालू वर्ष में आरंभ की गई थी और यह अभी भी जारी है।

   च. मुंबई में मेगा मॉल के संबंध में नीलामी प्रक्रिया, जो निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.07.2019 आदेश के कारण रोकी गई थी, को बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ के दिनांक 30.03.2021 के आदेशानुसार पुनः आरंभ की गई है।

   छ. निदेशक मंडल द्वारा यथा निदेशित ब्याज और सेवा शुल्क पर छूट के अलावा मूल राशि पर छूट की मांग करने वाले टाई–अप चूककर्ताओं के ओटीएस प्रस्तावों के संबंध में भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।

   ज. विधि और टाई–अप प्रभाग संघ के मामलों का बारीकी से अध्ययन करने में उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्याय 10

जनसंपर्क

नेफेड का जनसंपर्क प्रभाग किसानों, उपभोक्ताओं, जनता और अन्य हितधारकों के बीच संघ की अनुकूल कॉर्पोरेट छवि बनाने के उद्देश्य से नेफेड के उत्पादों, सेवाओं, संचालन और अन्य गतिविधियों के बारे में प्रभावी संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रभाग इस उद्देश्य के लिए पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है जिसमें विभिन्न आयोजनों/मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन/उनमें सहभागिता करना विभिन्न रिपोर्टों/विशेष प्रकाशनों, पुस्तकों, विज्ञापन–प्रसार, विज्ञापनों और प्रेस विज्ञप्तियों का प्रकाशन ब्रोशर, लीफलेट, पैम्फलेट और बैनर की छपाई नेफेड के कारोबार से संबंधित वृत्तचित्र की तैयारी, डिजिटल मीडिया का उपयोग और अन्य प्रचालन/ गतिविधियां शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, प्रभाग ने नेफेड का विस्तार करने एवं लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप पूर्ण किए हैं।

प्रिंट मीडिया

- त्रैमासिक समाचार पत्र – नेफेड के त्रैमासिक समाचार पत्र का प्रकाशन व वितरण।
- वार्षिक प्रतिवेदन– सांविधिक अपेक्षानुसार अंग्रेजी और हिंदी में नेफेड की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन।
- नेफेड की विभिन्न कारोबारी गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए नववर्व की डायरी और कैलेंडरों का प्रकाशन व वितरण।
- प्रमुख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में नेफेड की सफलता की कहानियों और नए कार्यो प्रकशन तथा कृषि से संबंधित वेब पोर्टलों में उसे होस्ट करना।
- नेफेड के संबंधित प्रभागों की अपेक्षाओं के अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन/निविदा नोटिसों का प्रकाशन।

ऑनलाइन प्रचार/सोशल मीडिया अभियान

- नेफेड के बैनर विज्ञापनों, न्यूजलेटर्स, वेब पोर्टल्स ऑफ इंडिया कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर टुडे आदि पर सफलता की कहानियों को होस्ट करना।
- जनता और हितधारकों को लाभ पहुंचाने और सोशल मीडिया पर नेफेड का विस्तार करने के लिए नए आयामों/उत्पाद लान्चिग/कार्यक्रमों और नेफेड की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का नियमित ट्वीट करना।

क्रार्यक्रमों में सहभागिता

- प्रभाग ने देश भर में विभिन्न प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में नेफेड की सहिभागिता सुनिश्चित की, जो इस प्रकार हैं:
  - भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2021 प्रगति मैदान, नई दिल्ली
  - एनसीयूआई द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सहकारी मेला
  - वाव–अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव नई दिल्ली
  - प्री–वाइब्रेंट गुजरात, आनंद, गुजरात
  - सहकार भारती 2021, लखनऊ
  - कृषि–दृष्टिकोण 2021, लखनऊ
  - फ्रेश इंडिया शो 2021, नई दिल्ली
  - उत्थान फाउंडेशन द्वारा आयोजित बाल महोत्सव
  - मेक इन उत्तराखंड, देहरादून

ऑडियो-विजुअल मीडिया

- किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डालने वाली एक लघु वृत्तचित्र फिल्म बनाई गई थी।
- डीडी न्यूज, डीडी किसान, ऑल इंडिया रेडियो, आदि में नेफेड की सफलता की कहानियों के मीडिया कवरेज की व्यवस्था

एजीएम संबंधी

- स्थानीय मीडिया और समाचार चैनलों में नेफेड की वार्षिक आम बैठक (23 सितंबर, 2021 को आयोजित) का प्रचार और मीडिया कवरेज।

नेफेड में आमूलचूल बदलावों पर रिपोर्ट का प्रकाशन

जन संपर्क प्रभाग ने नेफेड के बेहद प्रभावशाली वित्तीय बदलाव का विवरण देते हुए रिपोर्ट संकलित और प्रकाशित की। यह रिपोर्ट वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक सरकार और निदेशक मंडल के समन्वय में नेफेड के प्रबंधन द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों का लेखा–जोखा प्रस्तुत करती है, जिसने नेफेड को सतत बदलाव की ओर अग्रसर होने में सक्षम बनाया और भविष्य के लिए अपने कारोबारी मॉडल को नया रूप दिया। इस रिपोर्ट में नेफेड द्वारा संघ के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले लगभग एक दशक के लिए भारी वित्तीय नुकसान के कारणों पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

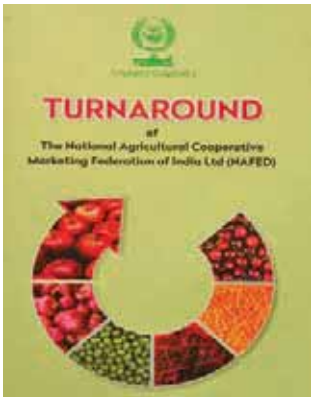

प्रमुख आयोजनों में नेफेड की सहभागिता की झलकियां

आईआईएफटी (भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021), नई दिल्ली

प्री-वाइब्रेंट गुजरात, आनंद, गुजरात

सहकार भारती 2021, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

वाव-अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2021, नई दिल्ली

एग्रो विजन 2021, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

अध्याय 11

कार्मिक और सतर्कता

कार्मिक

भर्ती

एक सफल संगठन के लिए कर्मचारी वास्तविक संपत्ति होती हैं। कर्मचारियों की उचित संख्या को उचित समय और उचित स्थान पर उपलब्ध कराना और उन्हें सुव्यवस्थित करना कार्मिक विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है।

जनशक्ति के मूल्यांकन और योजना बनाने के उपरांत, संगठन के कारोबारी मामलों के सुचारू संचालन के लिए वामिनीकॉम के माध्यम से सहायक प्रबंधकों (लेखा) की भर्ती की गई। इसके अलावा, संघ में एक्सआईएमबी, भुवनेश्वर, वैमनिकोम, पुणे और एनआईएएम, जयपुर से प्रबंधन प्रशिक्षु चयनित किए गए थे।

प्रसूति छुट्टी नियमों में संशोधन

फेडरेशन के मौजूदा मैटरनिटी लीव रूल्स में मैटरनिटी एक्ट के अंतर्गत जरूरी संशोधन किए गए हैं।

ऑनलाइन एचआरएमएस का स्वचालन

डिजिटल होना समय की मांग है इसलिए, वर्ष के दौरान मानव संसाधन से संबंधित प्रणाली को स्वचालित बनाने पर अत्यंत ध्यान दिया गया है। संघ में वार्षिक संपत्ति लाभ, एपीएआर, प्रशिक्षण और कार्य–निर्वाह निर्माण, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि जैसे आवेदन एचआरएमएस पर लेना आरंभ किया गया।

कोरोना वायरस से मौत के मामले में मुआवजा

कोविड–19 महामारी के बीच, नेफेड ने अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे आईसीडीएस, एमडीएम, पीडीएस इत्यादि के अंतर्गत राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय बफर से विभिन्न प्रकार की मिल वाली/ साफ की गई दालों की आपूर्ति करना जारी रखा। इन सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए संघ के कर्मचारियों ने महामारी के दौरान भी अथक परिश्रम किया। अतः इन योजनाओं के कार्यान्वयन की आवश्यता को देखते हुए संघ ने एक नीति बनाई थी कि कोरोना वायरस के कारण किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके नामित व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 40 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।

कोविड–19 के कारण श्री कमल भूषण के निधन पर परिवार को मुआवजा राशि सौंपते हुए।

पुरस्कार और सम्मान

कर्मचारियों के अथक परिश्रम और सेवाभाव, जिन्होंने विशेष रूप से कोविड–19 के कठिन और अभूतपूर्व समय के दौरान जब सरकार द्वारा देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की गई थी, के सराहनीय प्रदर्शन को सराहा और सम्मान दिया गया। एजीएम–2021 के दौरान अठारह कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन से सम्मानित किया गया था। पात्र कर्मचारियों को इंपलॉई ऑफ द मंथ का पुरस्कार प्रदान किया गया।

सतर्कता

नेफेड का सतर्कता प्रभाग कर्मचारियों में कोई अनुचित भय या मनोबल गिराए बिना सतर्कता कार्य का निर्वहन करने संघ के हित को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के बीच नौकरी की जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार के मामलों का पता लगाना और जांच करना

और प्रबंधन को निवारक कार्रवाइयों पर सलाह देना ताकि भ्रष्टाचार और कदाचार की संभावना को कम किया जा सके। के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम कर रहा है।

सत्यनिष्ठा समझौता

केंद्रीय सतर्कता आयोग की संस्तुति पर, सभी बड़ी खरीदी के संबंध में संघ में ऐसे सत्यनिष्ठा समझौता का अंगीकरण किया गया था, जिसमें संभावित विक्रेताओं, बोलीदाताओं और खरीदारों के बीच अनिवार्य रूप से समझौते की परिकल्पना की गई है और जो दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को संविदा के किसी भी पहलू पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारी प्रभाव का इस्तेमाल न करने के लिए प्रतिबद्ध बनाता है। सत्यनिष्ठा समझौता के आवश्यक तत्वों को रेखांकित करते हुए आयोग द्वारा तैयार एसओपी को भी बखूबी अपनाया गया। सत्यनिष्ठा समझौते में स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता (आईईएम) के एक पैनल की परिकल्पना की गई है जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करेगा कि क्या और किस हद तक पार्टियों ने सत्यनिष्ठा समझौता के अंतर्गत अपने दायित्वों का अनुपालन किया है। आयोग से प्राप्त नामांकन के अनुसार आईईएम की नियुक्ति के अनुपालन में श्री हेम पांडे, आईएएस (सेवानिवृत्त) को नेफेड और इसकी शाखाओं/कार्यालयों/उप कार्यालयों/समितियों द्वारा अपनाए गए सत्यनिष्ठा समझौते को लागू करने के लिए स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया गया था।

छुटी सूची

गलती करने वाले और चूक करने वाले बोलीदाताओं, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए, संघ में छुट्टी सूची नीति आरंभ की गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा घोषित 26 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाते हुए, नेफेड ने भ्रष्टाचार से लड़ने और संगठन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को पुनः दोहराया। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने यइ सप्ताह ''स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता'' विषय के साथ मनाने का निर्णय लिया। प्रबंध निदेशक, नेफेड ने मौजूदा कोविड –19 रोकथाम दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कर्मचारियों को 26 अक्तूबर, 2021 को मुख्यालय, नई दिल्ली में सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इसी दौरान पूरे भारत के अन्य कर्मचारियों ने भी अपने–अपने स्थानों से शपथ ली। इसी क्रम में नेफेड में 28 अक्तूबर 2021 को सतर्कता से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें संघ के कर्मचारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। इसके अलावा, 1 नवंबर, 2021 को ''प्रबंधन उपकरण के रूप में सतर्कता की प्रासंगिकता'' विषय पर वाद–विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें संघ के कर्मचारियों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। इस प्रश्नोत्तरी एवं वाद–विवाद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 5000/– रुपये, 3000/–रुपये और 2000/–रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

नेफेड के अधिकारीगण व कर्मचारीगण सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हुए

अपर प्रबंध निदेशक (सतर्कता), नेफेड के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान

अध्याय 12

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

जीवन के लगभग हर पहलू में तकनीकी विधा को आत्मसात करने के स्तर के साथ, आईटी प्रभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है और किसी भी संगठन की सफलता के लिए आईटी प्रभाग एक अभिन्न अंग होता है। नेफेड का आईटी प्रभाग बेहद कुशल व सक्रिय है। नेफेड के प्रधान कार्यालय एवं इसकी शाखाओं के विशाल नेटवर्क में अधिष्ठापित कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क सिस्टम का अधिष्ठापन एवं रखरखाव के नियमित काम के अलावा, यह प्रभाग नेफेड के सिस्टमों को जब भी आवश्यक हो, अपग्रेड करने के लिए तकनीकी प्रगति के साथ स्वयं को भी पूरी तरह से अपडेट रखता है।

प्रभाग, इस बात से भली भांति परिचित है कि नियमित कार्यों को स्वचालित करने की योग्यता संगठन की समग्र दक्षता बढ़ाने का एक शानदार तरीका है, इसलिए प्रभाग आवश्यक तकनीकी सहायता/समाधान प्रदान करने के लिए पूर्णतया सक्रिय रहता है एवं व्यावसायिक प्रभागों की तकनीकी आवश्यकताओं के साथ स्वयं को सदैव तत्पर रखता है। प्रभाग का उद्देश्य न केवल कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना है अपितु बेहतर निगरानी, जांच और नियंत्रण को सुगम बनाना है। प्रभाग ने बढ़ी हुई दक्षता और बेहतर उत्पादकता पर जोर देने के उद्देश्य के साथ बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने में आईटी समाधानों को वितरित/कार्यान्वित करके नेफेड की मुख्यधारा की गतिविधियों के लिए उन्नत एवं उच्च तकनीकी आईटी सक्षम सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा विभिन्न पहलें की गईं जो इस प्रकार हैं:

- **एनएडीसीपी परियोजना का समर्थन करने के लिए क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का रखरखाव और समर्थन**

  आईटी प्रभाग ने क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के रखरखाव और समर्थन की सुविधा प्रदान की है। यह प्रणाली देश भर में आपूर्ति श्रृंखला और पशु टीकों आदि की डिलीवरी को नजर करने में सक्षम है। यह प्रासंगिक सूचनाओं और रिपोर्टों की निगरानी और उन तक पहुंचने के लिए सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप एक्सेस के रूप में कार्य करता है। पूरे भारत में लाखों जानवरों के टीके इस प्रणाली का उपयोग करके वितरित किए गए और उन पर नजर रखी गई।

- **कोविड-19 के दौरान संघ की सहायता**

  कई विशेषताओं के साथ एसएएएस आधारित ई–मेल सुविधा के कार्यान्वयन जैसे आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करके लॉकडाउन के दौरान नेफेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए घर से काम की सुविधा, जो कर्मचारियों को दस्तावेजों पर मिलकर काम करने, दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज, ऑडियो और वीडियो कांफ्रेंसिंग शेड्यूलिंग आदि की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रणाली को ब्राउजर और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान लागू किए गए अन्य घर से काम करने की सुविधा में वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा और विभिन्न शाखाओं और मुख्यालय में स्थापित वीसी के साथ उनका एकीकरण था। वीसी सुविधा ने कर्मचारियों को लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से अपने घरों से वीसी बैठकों में शामिल होने की सुविधा प्रदान की और इस प्रकार कोविड –19 के प्रकोप के दौरान सामाजिक दूरी को भी सुगम बनाया। आईटी प्रभाग की पहल ने इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान नेफेड में निर्बाध कार्य करना सुनिश्चित किया है।

- **ई-नीलामी के लिए मल्टी पोर्टल प्रबंधन प्रणाली (एमपीएमएस) का रखरखाव और समर्थन**

  आईटी प्रभाग ने मल्टी पोर्टल प्रबंधन प्रणाली के रखरखाव और समर्थन की सुविधा प्रदान की है। एमपीएमएस एक क्लाउड आधारित प्रणाली है जो एक साथ कई पैनल वाले ई–नीलामी पोर्टलों पर कृषि–वस्तुओं के एक ही स्टॉक की ई–नीलामी चलाने संचालित करने में सक्षम है। कई शाखाओं में स्टॉक के निपटान के लिए यही प्रणाली लागू की गई है। संघ के एमपीएमएस पोर्टल पर 75,000 से अधिक नीलामी की गई हैं।

- **ऑनलाइन एजीएम और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन**

  कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण, सभाओं में प्रतिभागियों को सीमित करने के सरकारी प्रतिबंधों के कारण केवल फिजीकल वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन संभव नहीं था। आईटी प्रभाग ने देश भर में फैले 25 स्थानों के साथ समन्वय करके, भौतिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, हाइब्रिड मोड के माध्यम से नेफेड की एजीएम का आयोजन किया। आईटी प्रभाग का यह प्रयास रहा है कि उपयोगकर्ताओं को विभिन्न आयोजनों में भाग लेने में मदद की जाए क्योंकि महामारी ने अधिकारियों की यात्रा को सीमित करने के लिए मजबूर किया है। आईटी प्रभाग ने नए नेफेड बाजार/कार्यालय परिसर का उद्घाटन, सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शपथ ग्रहण समारोह, विभिन्न उत्पादों, योजनाओं का शुभारंभ और ऐसे कई अन्य कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर सफल बनाया।

- **ई-निविदा प्लेटफॉर्म का उपयोग (जीईएम और सीपीपी प्लेटफॉर्म)**

  नेफेड ने जेम प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया है और जेम प्लेटफॉर्म से ही खरीद भी आरंभ कर दी है। नेफेड निविदाओं की ई–निविदा के लिए भी सीपीपी पोर्टल का उपयोग करता है।

- **नेफेड के लिए ई-पोर्टल का विकास**

  नेफेड ने कृषि–जिसों की बिक्री के लिए एवं खरीद व बिक्री के लिए विभिन्न प्रकार की फॉरवर्ड और रिवर्स नीलामी संचालित करने के उद्देश्य से क्लाउड–आधारित ई–नीलामी पोर्टल विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसका विकास कार्य जोरों पर है और जल्द ही यह पोर्टल आरंभ हो जाएगा।

- **हाइब्रिड ई-मेल सुविधा की स्थापना**

  नेफेड ने हाइब्रिड ई–मेल समाधान की स्थापना का कार्य पूरा कर लिया है जिसमें क्लाउड होस्टेड ई–मेल सर्वर के साथ एसएएएस–आधारित ई–मेल सेवा नियोजित की गई है। ऐसे नियोजन के साथ समाधान की समग्र लागत में कमी लाते हुए ई–मेल सेवाओं की उपलब्धता, सुरक्षा, लचीलेपन में वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है।

- **एंटीवायरस समाधान और सुरक्षा का उन्नयन**

  नेफेड ने अपनी ग्राहक मशीनों की निगरानी और प्रभावी आईटी नीति के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए उन्हें केंद्रीय सर्वर के साथ जोड़ते हुए उनमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालकर उन्नत किया है। इस प्रणाली को मुख्यालय में नियोजित किया गया है और देश भर में विभिन्न नेफेड स्थानों के साथ एकीकरण करने का परीक्षण वर्तमान में प्रक्रिया में है। आईटी प्रभाग विभिन्न आईटी उपकरणों और सेवाओं के लिए डेटा सुरक्षा, आपदा वसूली, लागत अनुकूलन आदि की संभावित वृद्धि के लिए समय–समय पर विभिन्न पीओसी भी करता है। हाइब्रिड ई–मेल समाधान की स्थापना ऐसे ही पीओसी से अस्तित्व में आया है।

अध्याय 13

हिंदी

Hindi, the official language strongly connects all states of India. Acknowledging this fact, though NAFED is a commercial organization, but the work is also done in Hindi. Apart from this, correspondence with Non-Hindi branches is also done in Hindi.

Presently, translation of important official documents viz, meetings of BOD, and General Body, Office Orders, Advertisement of Tender Notices, Forms etc. were outsourced.

वर्ष 2021–2022 के दौरान हिंदी में किए गए कार्य

हिंदी एक अधिकारिक भाषा है जो दृढ़ता से भारत के सभी राज्यों को जोड़ती है। इस तथ्य को मद्देनज़र रखते हुए, नेफेड एक वाणिज्यिक संगठन होने के बावजूद भी यहां हिंदी में भी कार्य किया जाता है। गैर–हिंदी शाखाओं के साथ पत्राचार भी हिंदी में किया जाता है। महत्वपूर्ण अधिकारिक दस्तावेजों का अनुवाद जैसे बोर्ड एवं सामान्य निकाय की बैठकों, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञापन, निविदा सूचना, फॉर्म, इत्यादि हिंदी में भी किए जाते हैं।

अध्याय 14

राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ)

भूमिका

राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) का एक शोध स्कंध है और इसकी स्थापना 3 नवंबर, 1977 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत की गई थी।

एनएचआरडीएफ कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के एनएचएम–एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एसएमएसपी और एमपीआरएनएल योजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है।

एनएचआरडीएफ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) – सब्जी की फसल संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआइसीआरपी–वीसी) एवं आईसीएआर–प्याज और लहसुन संबंधी अखिल भारतीय नेटवर्क अनुसंधान परियोजना (एआईएनआरपीओजी), नई दिल्ली का स्वैच्छिक केन्द्र भी है।

परिकल्पना

एनएचआरडीएफ का दृष्टिकोण भारत को बागवानी क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार करके भारतीय बागवानी को समृद्ध करना है। यह विशेष रूप से प्याज, लहसुन आदि निर्यात योग्य सब्जियों की फसलों को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। यह प्याज, लहसुन और अन्य बागवानी फसलों के उत्पादन, उत्पादकता और कटाई के बाद के नुकसान को कम करके प्राप्त किया जाएगा, जिससे घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी और भारत को निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा।

मिशन

एनएचआरडीएफ का मिशन भली भांति प्रशिक्षित जनशक्ति और सुव्यवस्थित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और वैज्ञानिक रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने और फसल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए कुशल विस्तार नेटवर्किंग प्रदान करते हुए किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। एनएचआरडीएफ अप्रयुक्त भूमि की 75 प्रतिशत क्षमता का उपयोग करके और तकनीकी हस्तक्षेप से 25 प्रतिशत प्याज और लहसुन की मांग को पूरा करने का कार्यक्रम बनाएगा।

ढांचागत सुविधाएं

क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और विस्तार केंद्र

जहां तक बुनियादी सुविधाओं का संबंध है, एनएचआरडीएफ ने 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चितगांव और सिन्नार (महाराष्ट्र), करनाल (हरियाणा), बौध (ओडिशा), कोम्बई (तमिलनाडु) में हैं और 13 विस्तार केंद्र नई दिल्ली, प्रधान कार्यालय (दिल्ली, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और उत्तराखंड), लासलगांव (महाराष्ट्र), कुरनूल (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना), पटना (बिहार, झारखंड और उत्तर–पूर्वी राज्य), राजकोट और महुआ (गुजरात), हुबली (कर्नाटक), इंदौर (मध्य प्रदेश) और छत्तीसगढ़), भटिंडा (पंजाब), कोटा (राजस्थान), कोयंबटूर और कोम्बई (तमिलनाडु और केरल), देवरिया (उत्तर प्रदेश) आईसीएआर–केवीके दिल्ली स्थापित किए है।

आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं

इसके अलावा, इस प्रतिष्ठान ने आरआरएस नासिक और करनाल में प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, मृदा परीक्षण, जैव–रसायन, कीटनाशक अवशेष विश्लेषण और वाइन में परीक्षण करने के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। नासिक में कीटनाशक अवशिष्ट विश्लेषण प्रयोगशाला को प्रयोगशालाओं के परीक्षण और अंशांकन संबंद्ध राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता मिली हुई है और एपीडा और एगमार्क द्वारा अनुमोदित है। अंगूर के लिए इसकी निगरानी एनआरएल और आईसीएआर–एनआरसी पुणे द्वारा की जाती है। वाइन परीक्षण प्रयोगशाला को यूरोपीय संघ द्वारा भी मान्यता प्राप्त है।

भंडारण गोदाम और शेड

एनएचआरडीएफ ने लासलगांव, नासिक में फसलोपरांत अनुसंधान मॉडल परिसर भी स्थापित किया है, जिसमें प्याज उत्पादकों को ढांचागत सहायता प्रदान करने के लिए 100 टन क्षमता के 10 प्रबंधन शेड और 50 टन क्षमता के 20 आधुनिक भंडारण गोदाम हैं। इसके अलावा, प्रतिष्ठान ने लहसुन की गांठों के भंडारण के लिए करनाल, बौध और इंदौर में और प्याज की गांठों के भंडारण के लिए हरियाणा के आरआरएस सिन्नार, चितगांव, महाराष्ट्र, उजवा, दिल्ली और करनाल में गोदाम भी स्थापित किए हैं।

बीज प्रसंस्करण इकाइयाँ

एनएचआरडीएफ ने लासलगांव और चितगांव, नासिक (महाराष्ट्र), करनाल (हरियाणा), इंदौर (मध्य प्रदेश), राजकोट (गुजरात), बौध (ओडिशा), कुरनूल (आंध्र प्रदेश), देवरिया, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तापमान और सापेक्ष आर्द्रता नियंत्रित बीज भंडारण सुविधाओं के साथ बीज प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की हैं।

केवीके दिल्ली में सौर फार्म प्रदर्शन इकाई

केवीके, उजवा, पूर्णतया आईसीएआर द्वारा वित्त पोषित परियोजना है, जिसका संचालन और प्रबंधन एनएचआरडीएफ द्वारा किया जाता है। यह केंद्र दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले किसानों को उपयोगी तकनीकी और विस्तार सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। हाल ही में, केवीके, उजवा ने उजवा परिसर में 110 किलोवाट क्षमता की सौर फार्म प्रदर्शन इकाई स्थापित की है।

एनएचआरडीएफ द्वारा विकसित अत्याधुनिक प्याज भंडारण

एनएचआरडीएफ द्वारा विकसित किया अत्याधुनिक प्याज भंडारण

एनएचआरडीएफ नासिक ने एक उन्नत प्याज भंडारण ढांचा विकसित किया है जिसे पूरे भंडारण अवधि में निरंतर तापमान और सापेक्ष आर्द्रता बनाए रखने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। छह महीने के भंडारण के उपरांत एनएचआरडीएफ में इस अत्याधुनिक प्याज भंडारण सुविधा से अच्छे व ताजे गांठों की प्राप्ति (21.40 टन), कम से कम सड़न (0.69 प्रतिशत), वजन में कम हानि (13.83 प्रतिशत) और कुल हानि (14.52 प्रतिशत) दर्ज की गई और इस प्रकार अच्छे व ताजे गांठों की प्राप्ति अच्छा लाभ भी हुआ। एनएचआरडीएफ बेहतर प्याज भंडारण संरचना में कोल्ड स्टोरेज संरचना, पारंपरिक हवादार भंडारण संरचना और किसान भंडारण संरचना पर अनेक फायदे हैं। इस तरह के नवाचार शोध पत्रिका ''वेजिटेबल साइंस'' में भी प्रकाशित हुए हैं।

श्री एकनाथ दावले, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, कृषि, महाराष्ट्र सरकार ने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, सिन्नार (नासिक) का दौरा किया और इस नए अत्याधुनिक प्याज भंडारण को देखकर इस तरह के नवाचार की प्रशंसा की।

उल्लेखनीय शोध कार्य

अपने अस्तित्व के चार दशकों से अधिक की अवधि के दौरान, एनएचआरडीएफ ने बागवानी फसलों, विशेषकर प्याज और लहसुन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। इन वर्षों में, एनएचआरडीएफ ने लहसुन और प्याज के बीजों की 18 और 14 नई किस्में विकसित की हैं, जिनमें से लहसुन की 11 किस्में और प्याज की 6 किस्में भारत सरकार द्वारा पहले ही अधिसूचित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, एनएचआरडीएफ ने प्याज और लहसुन उत्पादन और कटाई के बाद प्रबंधन से संबंधित 290 प्रौद्योगिकियां भी विकसित की हैं।

प्याज और लहसुन की दो किस्में, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, उपज और कृषि–जलवायु परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता की दृष्टि से उनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं:

एनएचआरडीएफ फुरसुंगी किस्म

- अच्छी गुणवत्ता वाले गांठ लाल रंग के, गोल आकार के, व्यास 5.80 से 6.25 सेमी, जिसका छिलका दिखने में अच्छा लगता है।
- गांठ में 12–14^0 ब्रिक्स कुल घुलनशील ठोस और 13–15 प्रतिशत शुष्क पदार्थ होते हैं।
- रोपाई के उपरांत 110–120 दिनों में फसल पक जाती है।
- यह किस्म 380–400 क्विंटल/प्रति वर्ग हेक्टेयर की औसत उपज देती है।
- यह स्टेमफिलियम कुम्हालने बीमारी से मुक्त है।
- जोन–II (दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और पंजाब), जोन – V (गुजरात और महाराष्ट्र) में खेती के लिए जारी किया गया।

यमुना पर्पल-10 (जी-404)

- गांठें मलाईदार गुदा के साथ ठोस, आकर्षक हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। गांठ का व्यास 4.8 से 5.5 सेमी तक होता है, प्रत्येक गांठ का तना 25–30 सेमी लंबा होता है।
  - ❖ गांठ में 40^0 ब्रिक्स कुल गलने योग्य तत्व होते हैं, 42.9 प्रतिशत शुष्क अवयव और 26.8 माइक्रो मोल/जी पाइरुविक एसिड होता है।
  - ❖ इसकी फसल बुवाई के 165–175 दिनों में पक जाती है।
  - ❖ इस किस्म की औसत उपज 200–225 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बीच होती है।
  - ❖ जोन–II (दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और पंजाब) और जोन–IV (पंजाब, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड) में उगाने के लिए जारी किया गया।

अध्याय 15

वार्षिक लेखे

अध्याय सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
15.1	वित्तीय विवरण	66
15.2	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	74
15.3	लेखा परीक्षक के अवलोकनों पर अनुपालन	79
15.4	तुलन पत्र	86
15.5	लाभ एवं हानि विवरण	87
15.6	अनुसूचियां	89
15.7	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	106

वित्तीय विवरण

अनुबंध - I

विगत पांच वर्षों के दौरान शेयर पूंजी एवं स्वाधिकृत निधि की स्थिति

(मूल्य लाख रुपये में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-2022
शेयरपूंजी अंशदाताः सहकारी समितियां	2467.18	2540.91	2705.08	3069.38	4101.60
योग	**2467.18**	**2540.91**	**2705.08**	**3069.38**	**4101.60**
गत वर्षों की संचित हानियों के समायोजनोपरांत आरक्षित एवं अन्य निधियां (शुद्ध) लाभ (+) / हानि (-)	(-)70230.24 22681.40	(-)47912.32 27931.38	(-)10555.18 16565.03	9056.05 24394.70	26981.67 13927.16
कुल स्वाधिकृत निधियां	**(-)45081.65**	**(-)17440.03**	**8714.93**	**36520.13**	**45010.43**

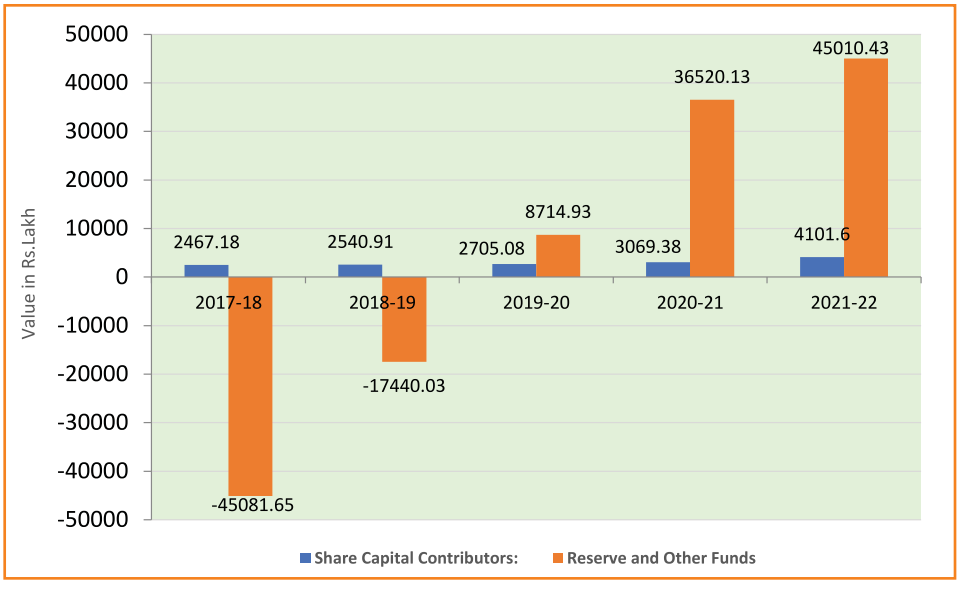

विगत पांच वर्षों के दौरान कारोबार

(मूल्य लाख रुपये में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-2022
(क) आंतरिक व्यापारः					
1. प्रत्यक्ष व्यापार	153433.31	316244.47	185850.24	1668867.47	1288918.47
2. औद्योगिक इकाईयां एवं बीज, जैव उर्वरक	4248.70	6580.99	3352.92	3605.01	6855.63
3. भारत सरकार के खाते में पीएसएस / पीएसएफ / बिक्री	163585.64	1688200.96	1437598.20	2003381.11	638753.50
योग	**321267.65**	**2011026.42**	**1626801.36**	**3675853.59**	**1934527.60**
(ख) विदेशी व्यापारः					
1. प्रत्यक्ष निर्यात	---	2819.29	1296.99	13640.94	40694.80
योग	**---**	**2819.29**	**1296.99**	**13640.94**	**40694.80**
कुल कारोबार (क+ख)	**321267.65**	**2013845.71**	**1628098.35**	**3689494.53**	**1975222.40**

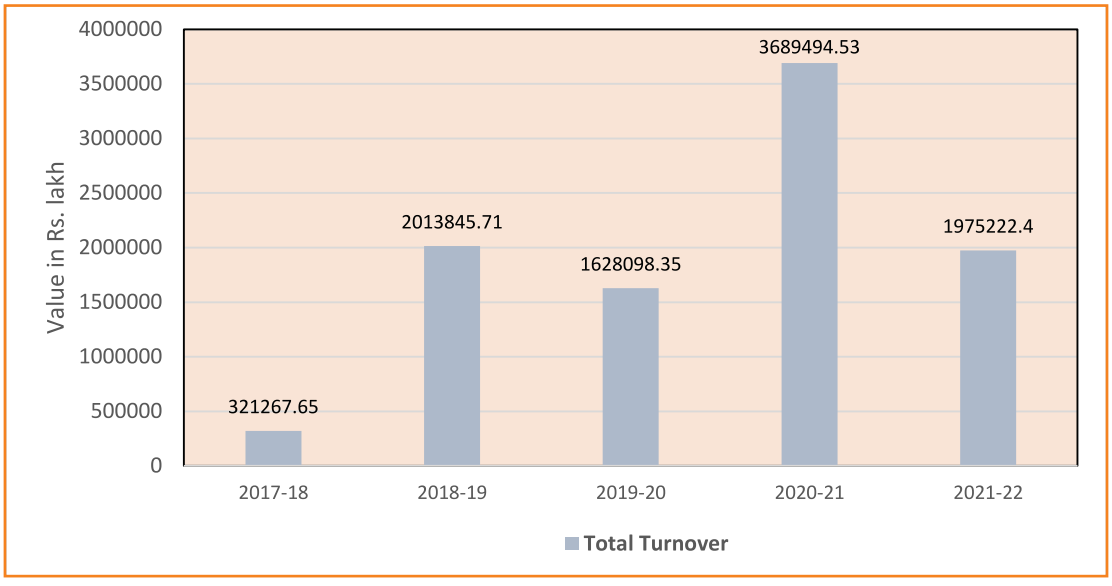

विगत पांच वर्षों के दौरान आंतरिक व्यापार

(मूल्य लाख रुपये में)

जिंस	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
प्रत्यक्ष खाते से*					
खाद्यान्न	31089.46	55123.08	79094.10	110905.95	123841.73
दलहन	240511.58	1268732.33	751953.20	2550522.53	443073.65
तिलहन एवं तेल	34673.99	660222.94	704513.96	964943.77	173319.64
मसाले	266.66	432.10	136.00	73.59	163.35
फल व सब्जियां	2359.53	1836.64	13478.83	14470.21	23103.56
जूट के उत्पाद	712.82	--	--	--	514.28
पॉल्ट्री उत्पाद	231.23	250.03	205.89	94.62	155.51
उर्वरक	--	1104.54	608.85	16.23	336.15
बीज	774.97	5476.45	2744.07	6086.58	8162.19
विविध उत्पाद (रबड़, चीनी, चायपत्ती, नमक इत्यादि)	6398.71	20668.86	75363.45	28740.12	1202552.34
कृषि आगत	--	--	--	--	--
औद्योगिक इकाईयां	4248.70	--	--	--	--
कुल आंतरिक व्यापार	**321267.65**	**2013846.97**	**1628098.35**	**3675853.60**	**1975222.40**

*पीएसएस/पीएसएफ बिक्री सहित

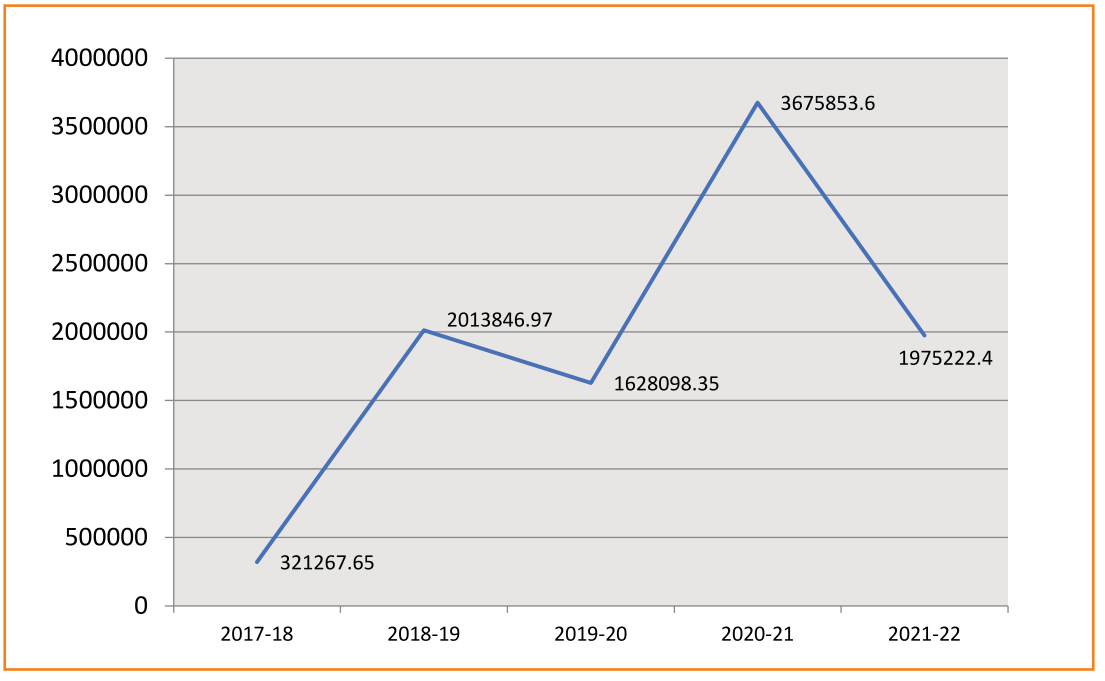

विगत पांच वर्षों के दौरान नेफेड का जिंस-वार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

(मात्रा मीट्रिक टन में/मूल्य लाख रुपये में)

जिंस	2017-18		2018-19		2019-20		2020-2021		2021-2022	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रत्यक्ष खाते में निर्यात										
1. फल एवं सब्जियां										
प्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. खाद्यान्न एवं दलहन										
चावल	शून्य	शून्य	2250	859.29	10000	393.00	36897.40	13640.94	135333.60	40633.41
राजमा	शून्य	शून्य	300	323.10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गेहूं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	200.00	61.39
योग	शून्य	शून्य	**2550**	**1182.39**	**10000**	**393.00**	**36897.40**	**13640.94**	**135533.60**	**40694.80**
3. अन्य										
कंबले/स्वेटरें	शून्य	शून्य	4.25 नग	1636.90	शून्य	903.99	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	शून्य	शून्य	**4.25 नग**	**1636.90**	शून्य	**903.99**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रत्यक्ष खाते में कुल निर्यात	शून्य	शून्य	2550.00 एवं 4.25 नग	2819.29	10000	1296.99	36897.40	13640.94	शून्य	शून्य
कुल विदेशी कारोबार	शून्य	शून्य	**2550.00 एवं 4.25 नग**	**2819.29**	**10000**	**1296.90**	**36897.40**	**13640.94**	शून्य	शून्य

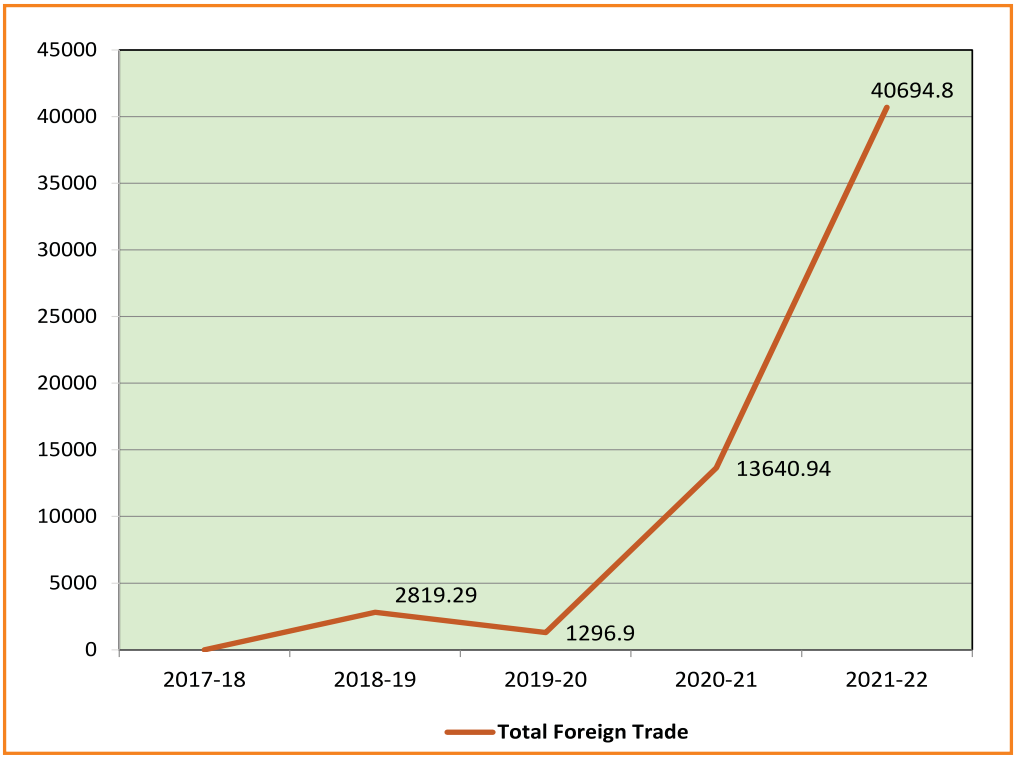

वर्ष 2021-22 में जिंस-वार लाभ/हानि विवरण

(मूल्य लाख रुपये में)

क्र. सं.	जिंस/समूह	सकल लाभ/हानि
1.	खाद्यान्न	922.25
2.	दलहन	-194.59
3.	मसाले	9.04
4.	पॉल्ट्री, रबड़, चायपत्ती, नमक, चीनी, बीज, उर्वरक इत्यादि सहित विविध एवं फुटकर वस्तुएं	12940.08
5.	सेवा शुल्क/पीएसएस/पीएसएफ/विविध इत्यादि	11196.22
6.	अन्य आय/व्यय इत्यादि	-
	सकल लाभ/हानि	**24873.00**

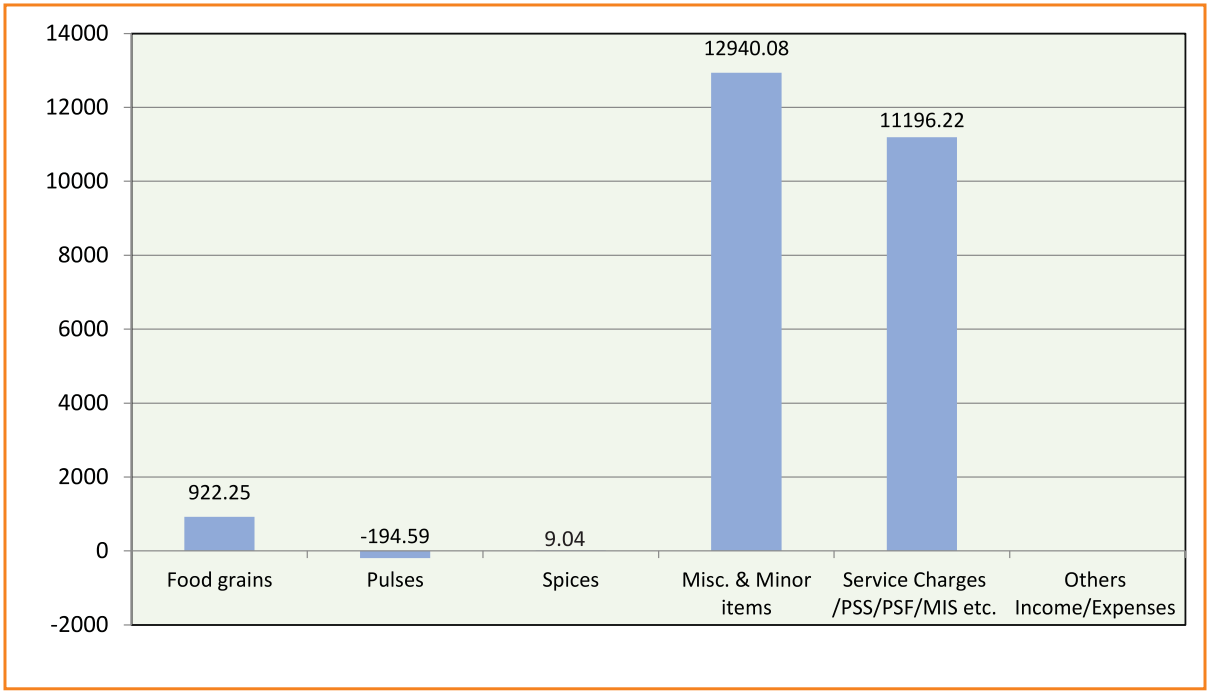

नेफेड द्वारा पीएसएस के अंतर्गत तिलहन एवं दलहन की खरीद

जिंस	वर्ष	समर्थन मूल्य एमएसपी + बोनस	खरीद की मात्र (मीट्रिक टन में)	एमएसपी + बोनस् (मूल्य लाख रुपये में)	खरीदी के प्रमुख राज्य
1. सोयाबीन	2016-17	2775	164.09	43.89	महाराष्ट्र
	2017 K	2850+200	72280.731	22045.62	महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना
	2018 K	19483.02	66.22	1.43	महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना
	2020 K	3880.00	3.687		महाराष्ट्र,
2. मूंगफली	2013-14	4000	338567	145732.02	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं ओडिशा
	2014-15	4000	8817.68	5105.97	आंध्र प्रदेश, ओडिशा
	2016-17	4120+100	210732.02	86821.59	गुजरात
	2017 K	4250+200	1044255.391	464693.65	गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
	2018 R	4250+200	16.828	7.49	तेलंगाना
	2018 K		717384.17	3508.01	गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश
	2019 R		130.76	0.64	ओडिशा
	2019 K		721074.28	3670.27	गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश
	2020 R	5090	2007.997	1022.07	ओडिशा
	2020 K	5275	283044.735	149306.10	गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा
	2021 R	5275	2203.110	1162.14	ओडिशा
	2021 K	5550	149464.387	82952.73	गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
3. सरसों के बीज	2014-15	3050	1714.821	558.56	राजस्थान
	2017-18	3900+100	13682.669	5473.07	हरियाणा, राजस्थान
	2019R	4425	1089036.00	4573.95	हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश
	2020 R	4425	785947.679	347781.85	हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश
	2021 R	4650	0.650	0.30	मध्य प्रदेश
4. सूरजमुखी के बीज	2012-13	3700	1499	554.67	कर्नाटक
	2013-14	3700	4383	1634.22	कर्नाटक
	2014-15	3750	4153.213	1655.28	ओडिशा एवं हरियाणा
	2015-16	3750	4237.684	1589.13	ओडिशा एवं हरियाणा
	2016-17	3850+100	4949.268	1880.72	ओडिशा एवं हरियाणा
	2017-18	3850+100	6539.042	2582.92	ओडिशा, हरियाणा एवं तेलंगाना
	2019 R	-	3336.33	17.98	तेलंगाना, ओडिशा एवं हरियाणा
	2020 R	5650	5257.881	2970.70	ओडिशा, हरियाणा एवं तेलंगाना
	2021 R	5885	3885.727	2286.75	ओडिशा, हरियाणा
5. नारियल	2012-13	5100 (Milling)	64962	35322.94	तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्ष द्वीप
	2013-14	5350 (Milling)	9275	5199.35	कर्नाटक, केरल
		5250 (Milling)	4117	2463.41	तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्ष द्वीप एवं अंडमान व निकोबार
		5500 (Ball)	29490	17284.74	कर्नाटक
	2016-17	6240 (Ball)	1837	1146.20	तमिलनाडु एवं कर्नाटक
		5950 (Milling)	4487	2669.81	तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश
	2019-20	9960 (Milling)	29.779	29.66	तमिलनाडु
		10300 (Ball)	5051.750	5203.30	तमिलनाडु एवं कर्नाटक
	2020-21	10335-Milling	32.950	34.05	तमिलनाडु
6. चना	2013-14	3000	34306	10736.57	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
	2014-15	3100	279611.125	94123.66	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक
	2017-18	4250+150	115453.362	50799.48	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
	2019R		776360.24	3586.78	तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात

जिंस	वर्ष	समर्थन मूल्य एमएसपी + बोनस	खरीद की मात्र (मीट्रिक टन में)	एमएसपी + बोनस् (मूल्य लाख रुपये में)	खरीदी के प्रमुख राज्य
	2020R	4875	2138416.17	1042477.88	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक
	2021R	5100	628826.046	320701.25	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात
7. उड़द	2012-13	3300	1.57	0.63	राजस्थान
	2013-14	4300	77050.806	34543.75	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान कर्नाटक, झारखंड
	2014-15	4300 4300	7453.262 6.70	3611.45 6.56	झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश
	2017 K	5200+200	268178.981	144816.65	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक,
	2017 S	4575+425	15747.647	7873.82	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना
	2018 R	5200+200	95.010	51.31	मध्य प्रदेश
	2018 K		423527.51	2371.75	तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान
	2019 R		18240.92	102.15	महाराष्ट्र, ओड़िशा, तमिलनाडु
	2019 K		132.31	0.75	राजस्थान, गुजरात
	2020 K	6000	137.15	82.29	महाराष्ट्र
	2021 K	6300	1621.303	1021.45	महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान
	2021 S	6000	959.75	575.85	मध्य प्रदेश
8. अरहर	2012-13	3850	16004.835	6328.15	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश
	2013-14	4300	42693	18755.12	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
	2014-15	4300	1079.648	1069.87	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश
	2016 K	4625+425	196207.900	99084.99	महाराष्ट्र, गुजरात एवं कर्नाटक
	2017 K	5250+200	603158.686	328721.48	महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटक
	2018 K		275673.52	1564.45	मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना
	2019 K		536413.25	3111.20	महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात
	2020 K	6000	10353.757	6212.25	गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,, महाराष्ट्र
	2021 K	6300	20259.230	12763.31	गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना
9. मूंग	2016-17	4800+425	8267.58	3968.43	महाराष्ट्र, कर्नाटक
	2017 K	5375+200	293672.932	163722.66	महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
	2017 S	4800+425	112407.165	58732.74	मध्य प्रदेश, ओड़िशा,
	2018K		296073.980	2065.12	कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात
	2019R		26033.03	181.58	ओड़िशा, तमिलनाडु
	2019K		140018.46	987.13	राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक
	2020R	7050	7111.93	5013.91	ओड़िशा, तमिलनाडु
	2020K	7196	12596.628	9064.53	राजस्थान, तमिलनाडु, हरियााणा, महाराष्ट
	2021 R	7196	6407.600	4610.91	तमिलनाडु, ओड़िशा
	2021 K	7275	75258.700	54750.70	आंध्र प्रदेश, हरियााणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक
	2021 S	7196	147250.001	105961.10	मध्य प्रदेश
10. मसूर	2020R	4800	1425.181	684.09	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
	2021R	5100	18.298	9.33	मध्य प्रदेश
11. तिल	2017 K	4800+200	3739.767	1869.88	पश्चिम बंगाल

टिप्पणीः के – खरीफ के मौसम को दर्शाता है।
आर – रबी के मौसम को दर्शाता है।
एस – गर्मी के मौसम को दर्शाता है।

नेफेड द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत कृषि जिंसों की खरीद

जिंस	वर्ष	समर्थन मूल्य प्रति कुंतल	खरीद की मात्रा (मीट्रिक टन में)	(मूल्य लाख रुपये में)	खरीदी के प्रमुख राज्य
1. आलू	1997-98 2003-04	125-130/350 190	4697 733	159.27 21.48	उत्तर प्रदेश, कर्नाटक उत्तर प्रदेश
2. प्याज	1996-97	300	60	1.98	कर्नाटक
3. अंडे (मात्रा लाख में)	1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1999-2000 2000-01 2001-02	65/100 75/100 75/100 82/100 110/100 100/100 90/100 100/100	26.99 91.02 28.21 34.82 141.43 85.89 34.93 31.75	17.19 61.63 37.61 32.96 137.51 87.00 31.20 32.70	आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश, पंजाब आंध्र प्रदेश, पंजाब आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश
4. कीनू/माल्टा	1992-93 1993-94	325A 350A	1703 3133	46.88 49.49	पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा
5. काली मिर्च	1993-94	3300	1491	495.25	केरल
6. मिर्च	1993-94 1996-97 1997-98	1500 2200 2250	5000 126 8123	806.64 29.48 190.01	आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश
7. धनिया	1998-99 2004-05	1250 1450	378 80	45.88 12.48	राजस्थान राजस्थान
8. सेब	2020-21	3600	1.605	0.58	जम्मू एवं कश्मीर

वित्तीय वर्ष के दौरान एमआईएस प्रचालन शून्य है।

दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
ए–115, विकास मार्ग,
शक्करपुर, दिल्ली–110092

सतीश के. कपूर एंड कं.
सनदी लेखाकार
डी–49, प्रथम तल, पांडव नगर,
मदर डेयरी प्लांट के सामने, नई
दिल्ली–110092

एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
ई–21, बेसमेंट, जंगपुरा
एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड)

नई दिल्ली

अभिमत

1. हमने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (इसके उपरांत 'संघ' के तौर पर संदर्भित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं अन्य विस्तृत सूचना के सारांश सहित 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उस वर्ष को समाप्त लाभ व हानि विवरण एवं नगदी प्रवाह विवरण एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणों में समाविष्ट मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, बाजार हस्तक्षेप योजना एवं पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से जिंसों के किये गये कार्यों कीं सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है एवं हमनें उन पर भरोसा किया है।

2. वे मामले जिनका वर्ष के लाभ पर एवं 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर प्रभाव अस्वीकार्य है, सहित, नीचे दिए गए पैरा 3 में अनुमोदित अभिमत को आधार बनाकर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारे अभिमत में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ–साथ उसमें दी गई टिप्पणियां बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 एवं बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं एवं 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार संघ के कार्यों की, उस तिथि को समाप्त वर्ष में उसके लाभ व उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

3. योग्य अभिमत के लिए आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अतंर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खंड में उल्लेख किया गया है। हम उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार संस्था से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायिवों का पूर्णतया निर्वहन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त हैं।

I. निम्नलिखित तथ्यों को आधार मानकर हम यह पता लगाने एवं रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं कि तुलन पत्र एवं लाभ व हानि विवरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है:

कं) 1,015.10 करोड़ रुपये के कुल टाई–अप की प्राप्य राशि 10 वर्ष से अधिक की लंबी अवधि (गत वर्ष 1,015.12 करोड़ रुपये) से बकाया है जिसमें से 279.03 करोड़ रुपये (गत वर्ष 279.03 करोड़ रुपये) को वसूली योग्य और प्रवर्तनीय प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत वर्णित किया गया है जिनके लिए हमें इस तरह की प्रतिभूतियों के संबंध में कोई ऐसे पर्याप्त एवं समुचित साक्ष्य नहीं प्रदान किये गये जैसे नवीनतम भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन रिपोर्ट। 1,015.12 करोड़ रुपये के बकाया के लिए महज 4.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो

कि हमारे अभिमत में वास्तव में कम करके बताया गया है क्योंकि इसकी वसूली दर्शाने वाले कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किये गये।

ख) फुटकर देनदारों के पास 26.66 करोड़ रुपये (गत वर्ष 19.48 करोड़ रुपये) (टाई–अप और बैक टू बैक कारोबार से भिन्न) सम्मिलित है जो 3 वर्ष से अधिक समयाविध से बकाया है और उन पार्टियों से वसूली नहीं की गई है। वसूली की इस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, संघ को आईसीएआई द्वारा जारी राजस्व मान्यता पर एएस–9 के दृष्टिगत उक्त बकाया के संबंध में उचित प्रावधान करना चाहिए था।

ग) हैदराबाद के गोदाम में वर्ष 2005–06 से 89.22 करोड़ (गत वर्ष 89.22 करोड रुपये) के स्टॉक के मूल्य में कमी के सापेक्ष कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसे लागत पर दर्शाया गया है। दिनांक 31.03.2022 की नवीनतम भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, इस स्टॉक की स्थिति अच्छी नहीं है और इस पर पूरी तरह से जंग लग गया है तथा इसके वजन करने की व्यवस्था भी नहीं है जिसके कारण इसे स्थल पर तौला नहीं जा सका और भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः संघ की आय का उस सीमा तक अधिक उल्लेख हुआ है।

घ) फुटकर लेनदारों/व्यापार प्राप्यों में 53.97 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं जो गत 3 से अधिक वर्षों से बकाया हैं और इन पार्टियों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। जो राशि देय नहीं है संघ को उसके प्रतिलेखन के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

ङ) भारत सरकार ने 302.19 करोड़ रुपये (गत वर्ष 301.68 करोड़ रुपये) के दावों को नामंजूर कर दिया गया है एवं संघ ने इसका दावा पुनः किया है लेकिन आज तक इसकी वसूली नहीं की जा सकी है। संघ के पास इसकी वसूली के कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं इस वसूली को संदिग्ध के तौर पर माना जाना चाहिए तथा इसका प्रावधान किया जाना चाहिए।

च) कुछ शाखाओं में 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार लेखा बहियों में दर्शाए गएं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देयता/परिसंपत्ति का जीएसटीएन पोर्टल के साथ मिलान नहीं किया गया है। इसका मिलान न होने के कारण वर्ष के लिए लाभ/हानि पर इसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया सका।

छ) वर्ष के दौरान पीएसएस प्रचालन पर समायोजित न किये गये जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित 5.40 करोड़ रुपये (गत वर्ष 37.56 करोड़ रुपये) लाभ और हानि लेखा में जीएसटी व्यय के रूप में दर्शाई गई है और इसका भारत सरकार से खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में दावा किया गया है और साथ ही इसे बहियों में आईटीसी प्राप्य और चालू देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुछ शाखाओं में, यह देखा गया है कि उपरोक्त में से जीएसटी आईटीसी की कुछ राशि जिसे जीएसटी आउटपुट देयता के सापेक्ष पहले ही समायोजित किया जा चुका है, उसे जीएसटी व्यय में समायोजित न किये गये जीएसटी आईटीसी के रूप में दर्शाया गया है।

ज) पीएसएफ प्रचालन–प्याज से संबंधित सेवा शुल्क बही में 2.5 प्रतिशत की दर से लिखा जा रहा है जिसकी अभी तक भारत सरकार द्वारा संपुष्टि नहीं की गई है।

जैसा कि ऊपर पैराओं (क से ज) में प्रकटीकरण के प्रभाव का सटीक रूप से आकलन नहीं किया जा सका एवं केवल अभिनिर्धारित राशि के कुल प्रभाव को प्रस्तुत करना समीचीन नहीं होगा, अतः हम लाभ, परिसंपत्तियां व देयताएं पर अभिनिर्धारित राशि के कुल प्रभाव को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रबंधन एवं वित्तीय विवरण हेतु सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

4. संघ का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो संघ को यथा लागू आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक एवं बहु राज्य सहकारी समिति

अधिनियम, 2002, बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 सहित आमतौर परभारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संघ की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

इस उत्तरदायित्व में संघ की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, युक्तियुक्त एवं विवेकसम्मत निर्णय व अनुमान लगानाएवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता व पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे तथा जो ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और तात्विक दुरुपयोग से मुक्त हैं चाहे वह प्रवंचना से हो या त्रुटि के कारण। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन संस्थान की चालू संस्था के तौर पर जारी रखने की योग्यता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटीकरण करने एवं लेखांकन के आधार पर चालू संस्था का उपयोग करने के लिए भी उत्तरदायी है जब तक प्रबंधन या तो संस्था का परिसमापन करने या बंद करने का इरादा न रखता हो अथवा इसके अलावा कोई विकल्प न हो।

शासन द्वारा नियुक्त वे व्यक्ति भी वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

5. हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ीपूर्ण हों या त्रुटि के कारण एवं लेखापरीक्षक की ऐसीरिपोर्ट जारी करने है जिसमें हमारी अभिमत भी शामिल है। युक्तियुक्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है किएसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक मिथ्याकथनों को पकड़ लेगी जब भी यह घटित हो। ये मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटिवशहो सकते हैं एवं तभी तात्विक माने जाते हैं यदि इनसे अलग–अलग या कुल मिलाकर वे इन वित्तीय विवरणेों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को युक्तियुक्त रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें एवं वित्तीय विवरणों के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाये एवं निष्पादन करें कि क्या वे तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटीकरणों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निवर्हन शामिल होता है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के तात्विक मिथ्याकथन, चाहे वह प्रवंचना से हो या त्रुटिवश, के जोखिमों का आकलन सहित लेखापरीक्षक के बोध पर निर्भर करती हैं। उन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से संघ की तैयारी व वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए आंतरिक नियंत्रण को प्रासंगिक मानता है जो परिस्थिति में उपयुक्त हैं, लेकिन इसका उद्देश्य संघ के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अभिमत व्यक्त करना नहीं है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमनें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वे हमारी लेखापरीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

6. अन्य मामले

(क) देनदारों, लेनदारों और ऋणों और अग्रिमों के संबंध में शेष राशि संपुष्टि और मिलान के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि संघ द्व ारा लेनदारों और ऋणों और अग्रिमों से संपुष्टि की मांग नहीं की गई है। इस प्रकार वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव का आकलन

नहीं किया जा सका। (अनुसूची 15ख – टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी संख्या 8 देखें)

(ख) संघ अलग–अलग शाखाओं द्वारा ओटीआर के तहत प्राप्त एवं की गई आपूर्ति के लिए देय के साथ–साथ प्राप्य राशि को भी दर्शा रहा है। इसे एक दूसरे से अलग–अलग नहीं किया गया है, अतः देय राशि और प्राप्य राशि दोनों का अधिक उल्लेख हुआ है।

(ग) संघ द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था क्योंकि हमें कोई भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट/रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये गये थे एवं हमने संबंधित पार्टियों/सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/संघ द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है। (अनुसूची 15ख–टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण ों की टिप्पणी 12 देखें)।

(घ) हमने स्टॉक रिकॉर्ड के रखरखाव में कुछ कमियां देखी हैं क्योंकि कुछ शाखाओं में डब्ल्यूएचआर/स्टॉक रिकॉर्डो का अद्यतन नहीं किया गया था/उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किए गये थे। हमारे अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, मालसूची रिकॉर्ड के रखरखाव पर नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है। (अनुसूची 15ख–टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी 12 देखें)।

(ङ) संघ के पक्ष में 0.18 करोड़ रुपये की संपत्तियों का स्वत्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।

(च) संघ ने 2407.11 करोड़ रुपये के बकाये वाले ऋणों के लिए ऋणदाता बैंकों के साथ 'एकबारगी निपटान करार' किया है जिसमे मेगा मॉल, अंधेरी, मुंबई में चूककर्ता पार्टी की संपत्तियों का "जैसा है जहां है'' नीलामी अधिकार के हस्तांरण के साथ–साथ 478.00 करोड़ रुपये का निपटारा किया गया है। देखें 27.03.2018 का करार। चूंकि निपटान करार का हिस्सा अभी भी लंबित है, अतः संघ ने लेखा बहियों में इसका प्रभाव नहीं दर्शाया है। इसे उस वर्ष में दर्शाया जाएगा जब संघ ऋणदाता बैंकों से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। यह अंतिम निपटान के वर्ष में संघ की लाभप्रदता पर काफी प्रभाव डाल सकता है। (अनुसूची 15ख–टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी 14 देखें)।

(छ) संघ ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 8 के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं से प्रासंगिक घोषणा के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार भुगतानों को वर्गीकृत नहीं किया है। (अनुसूची 15 ख–टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी 17 देखें)।

(ज) संघ के कारोबार के आकार, प्रचालन एवं प्रकृति को देखते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002, बहु–राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 के अनुसार तैयार किये गये हैं।

8. उपर्युक्त अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा सीमाओं के अधीन तथा बहु राज्य समिति अधिनियम 2002 की धारा 73 (4) की अपेक्षानुसार तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमें वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुई जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे ज्ञान व विश्वास के लिए अत्यावश्यक थे एवं उन्हें संतोषजनक पाया है

ख) हमारे अभिमत में, संघ ने अभी तक विधिक अपेक्षानुसार उचित लेखा बहियां रखी हैं, जैसा कि उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है

ग) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं

घ) योग्य अभिमत के लिए आधार अनुच्छेद में उल्लिखित विषय को छोड़कर, तुलन पत्र, लाभ व हानि एवं नकदी प्रवाह विवरण जब तक कि अन्यथा न कहा जाए, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

FOR DINESH JAIN & ASSOCIATES **CHARTERED ACCOUNTANTS** **FRN: 004885N**	**FOR SATISH K. KAPOOR & CO.** **CHARTERED ACCOUNTANTS** **FRN: 016222N**	**FOR HDSG & ASSOCIATES** **CHARTERED ACCOUNTANTS** **FRN: 002871N**
CA Dinesh Kumar Jain **PARTNER** **M No: 082033** **UDIN:** 22082033AOAIXI4534	**CA Satish K. Kapoor** **PARTNER** **M No: 094823** **UDIN:** 22094823AOAJGI1111	**CA Harbir Singh Gulati** **PARTNER** **M No: 084072** **UDIN:** 22084072AOAHDG8657

Place : New Delhi

Date : 01.08.2022

वर्ष 2021-22 हेतु लेखापरीक्षक की टिप्पणियों का अनुच्छेद-वार अनुपालन

लेखापरीक्षा टिप्पणी	अनुपालन
अभिमत	
1. हमने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (इसके उपरांत 'संघ' के तौर पर संदर्भित) के वित्तीय विवरण ों की लेखापरीक्षा की है जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं अन्य विस्तृत सूचना के सारांश सहित 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उस वर्ष को समाप्त लाभ व हानि विवरण एवं नगदी प्रवाह विवरण एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणों में समाविष्ट मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, बाजार हस्तक्षेप योजना एवं पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से जिंसों के किये गये कार्यों कीं सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है एवं हमनें उन पर भरोसा किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2. वे मामले जिनका वर्ष के लाभ पर एवं 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर प्रभाव अस्वीकार्य है, सहित, नीचे दिए गए पैरा 3 में अनुमोदित अभिमत को आधार बनाकर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारे अभिमत में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ–साथ उसमें दी गई टिप्पणियां बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 एवं बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं एवं 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार संघ के कार्यों की, उस तिथि को समाप्त वर्ष में उसके लाभ व उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
3. योग्य अभिमत के लिए आधार हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अतंर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खंड में उल्लेख किया गया है। हम उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार संस्था से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायियों का पूर्णतया निर्वहन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त हैं।	

लेखापरीक्षा टिप्पणी	अनुपालन
I) निम्नलिखित तथ्यों को आधार मानकर हम यह पता लगाने एवं रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं कि तुलन पत्र एवं लाभ व हानि विवरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है:	
क) 1,015.10 करोड़ रुपये के कुल टाई–अप की प्राप्य राशि 10 वर्ष से अधिक की लंबी अवधि (गत वर्ष 1,015.12 करोड़ रुपये) से बकाया है जिसमें से 279.03 करोड़ रुपये (गत वर्ष 279.03 करोड़ रुपये) को वसूली योग्य और प्रवर्तनीय प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत वर्णित किया गया है जिनके लिए हमें इस तरह की प्रतिभूतियों के संबंध में कोई ऐसे पर्याप्त एवं समुचित साक्ष्य नहीं प्रदान किये गये जैसे नवीनतम भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन रिपोर्ट। 1,015.10 करोड़ रुपये के बकाया के लिए महज 4.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि हमारे अभिमत में वास्तव में कम करके बताया गया है क्योंकि इसकी वसूली दर्शाने वाले कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किये गये।	वर्ष 2003–04 से 2005–06 के दौरान, नेफेड ने कृषि और गैर–कृषि/गैर–पारंपरिक वस्तु दोनों में निजी पार्टियों के साथ टाई–अप/ बैक टू बैक कारोबार किया। इस कारोबारी मॉडल के तहत अधिकांश धनराशि पार्टियों को खरीद एवं इसके उपरांत नेफेड के पक्ष में स्टॉकों का दृष्टिबंधक के लिए उपलब्ध कराई गई थी। कुछ मामलों में, कुछ टाई–अप पार्टियों ने एमओयू/करार में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस राशि का उपयोग किया। अन्य मामलों में, कुछ टाई–अप पार्टियों ने कथित तौर पर बाजार की स्थितियों के कारण नुकसान उठाया एवं नेफेड के बकाये का भुगतान करना बंद कर दिया। टाई–अप चूककर्ताओं से बकाये की इस भारी राशि की वसूली के लिए, नेफेड ने पार्टियों द्वारा नेफेड के पक्ष में जारी चेकों के डिसओनर होने में मध्यस्थों, सिविल न्यायालयों और परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआईए) की धारा 138 के तहत आपराधिक मामलों के तहत दावे की याचिका दायर करके उनके विरुद्ध दीवानी व आपराधिक कार्यवाही आरंभ की। नेफेड ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कई मामले दर्ज किए हैं। नेफेड ने कुछ पार्टियों के विरुद्ध सीबीआई/ईओडब्ल्यू के समक्ष भी आपराधिक शिकायतें दर्ज कराईं हैं। नेफेड द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए किए गए ठोस प्रयासों के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। ऐसे मामलों में जहां पार्टियों से संबंधित संपत्ति की डिक्री/नीलामी के आदेश पारित किए गए हैं उनमेंन्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति की नीलामी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई/ईओडब्ल्यू ने भी नेफेड द्वारा दायर सभी शिकायतों में उपयुक्त न्यायालयों के समक्ष आरोप पत्र दायर किए हैं। चूंकि मुकदमेबाजी लंबी वसमय लेने वाली प्रक्रिया हैअमः इच्छुक टाईअप चूककर्ताओं से वसूली में तेजी लाने के लिए, निदेशक मंडल ने 9.7.2010 को आयोजित बैठक में आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर व्यापक एकबारगी निपटान नीति को मंजूरी दी है। उपर्युक्त कार्यों को देखते हुए यह उम्मीद है कि निकट भविष्य में कुछ वसूलियां हो जाएंगी।
ख) हैदराबाद के गोदाम में वर्ष 2005–06 से 89.22 करोड़ (गत वर्ष 89.22 करोड रुपये) के स्टॉक के मूल्य में कमी के सापेक्ष कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसे लागत पर दर्शाया गया है। दिनांक 31.03.2022 की नवीनतम भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, इस स्टॉक की स्थिति अच्छी नहीं है और इस पर पूरी तरह से जंग लग गया है	संघ की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार, बैक टू बैक/टाई अप व्यवस्था के अंतर्गत रखे गए स्टॉक का का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	अनुपालन
तथा इसके वजन करने की व्यवस्था भी नहीं है जिसके कारण इसे स्थल पर तौला नहीं जा सका और भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः संघ की आय का उस सीमा तक अधिक उल्लेख हुआ है।	
ग) फुटकर लेनदारों/व्यापार प्राप्यों में 53.97 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं जो गत 3 से अधिक वर्षों से बकाया हैं और इन पार्टियों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। जो राशि देय नहीं है संघ को उसके प्रतिलेखन के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहि	संघ फुटकर लेनदारों/व्यापार देयों के जमा शेष का है जो मामले दर मामला आधार पर प्रतिलेखन कर रहा है जो 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तथापि, राज्य संघ/समितियों से संबंधित 3 वर्ष से अधिक पुरानी बकाया राशि का मिलान किया जा रहा है और तदनुसार निपटारा कर दिया जाएगा।
घ) भारत सरकार ने 302.19 करोड़ रुपये (गत वर्ष 301.68 करोड़ रुपये) के दावों को नामंजूर कर दिया गया है एवं संघ ने इसका दावा पुनः किया है लेकिन आज तक इसकी वसूली नहीं की जा सकी है। संघ के पास इसकी वसूली के कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं इस वसूली को संदिग्ध के तौर पर माना जाना चाहिए तथा इसका प्रावधान किया जाना चाहिए।	डीए एंड एफडब्ल्यू ने हाल ही में दावों के समयबद्ध पुनरीक्षण और पुनरीक्षणोपरांत कार्यवाही के लिए डीए एंड एफडब्ल्यू कार्यालय में समर्पित पुनरीक्षण प्रकोष्ठ बनाया है, जिसने संघ द्वारा प्रस्तुत दावों/ पुनरीक्षणोपरांत दावों के निपटान पर काम करना आरंभ कर दिया है।
ङ) कुछ शाखाओं में 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार लेखा बहियों में दर्शाए गएं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देयता/परिसंपत्ति का जीएसटीएन पोर्टल के साथ मिलान नहीं किया गया है। इसका मिलान न होने के कारण वर्ष के लिए लाभ/हानि पर इसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया सका।	जीएसटी का मिलान किया जा रहा है और इसके इसके परिणामी प्रभाव की गणना वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लेखा बहियों में की जाएगी।
च) वर्ष के दौरान पीएसएस प्रचालन पर समायोजित न किये गये जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित 5.40 करोड़ रुपये (गत वर्ष 37.56 करोड़ रुपये) लाभ और हानि लेखा में जीएसटी व्यय के रूप में दर्शाई गई है और इसका भारत सरकार से खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में दावा किया गया है और साथ ही इसे बहियों में आईटीसी प्राप्य और चालू देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुछ शाखाओं में, यह देखा गया है कि उपरोक्त में से जीएसटी आईटीसी की कुछ राशि जिसे जीएसटी आउटपुट देयता के सापेक्ष पहले ही समायोजित किया जा चुका है, उसे जीएसटी व्यय में समायोजित न किये गये जीएसटी आईटीसी के रूप में दर्शाया गया है।	भारत सरकार से 5.40 करोड़ रुपये (गत वर्ष 37.56 करोड़ रुपये) के समायोजित नहीं किए गए जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की प्रतिपूर्ति पर, लेखा बहियों में चालू देयता निर्धारित करके जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस दर्शा दिया जाएगा।
छ) पीएसएफ प्रचालन–प्याज से संबंधित सेवा शुल्क बही में 2.5 प्रतिशत की दर से लिखा जा रहा है जिसकी अभी तक भारत सरकार द्वारा संपुष्टि नहीं की गई है।	पीएसएफ के दिशा–निर्देशों के अनुसार 2.50 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क लिया गया है।
जैसा कि ऊपर पैराओं (क से ज) में प्रकटीकरण के प्रभाव का सटीक रूप से आकलन नहीं किया जा सका एवं केवल अभिनिर्धारित राशि के कुल प्रभाव को प्रस्तुत करना समीचीन नहीं होगा, अतः हम लाभ, परिसंपत्तियां व देयताएं पर अभिनिर्धारित राशि के कुल प्रभाव को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।	
प्रबंधन एवं वित्तीय विवरण हेतु सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों का उत्तरदायित्व	

लेखापरीक्षा टिप्पणी	अनुपालन
4. संघ का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो संघ को यथा लागू आईसीएआई द्वारा जाारी लेखांकन मानक एवं बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002, बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 सहित आमतौर परभारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संघ की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस उत्तरदायित्व में संघ की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, युक्तियुक्त एवं विवेकसम्मत निर्णय व अनुमान लगानाएवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता व पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे तथा जो ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और तात्विक दुरुपयोग से मुक्त हैं चाहे वह प्रवंचना से हो या त्रुटि के कारण। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन संस्थान की चालू संस्था के तौर पर जारी रखने की योग्यता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटीकरण करने एवं लेखांकन के आधार पर चालू संस्था का उपयोग करने के लिए भी उत्तरदायी है जब तक प्रबंधन या तो संस्था का परिसमापन करने या बंद करने का इरादा न रखता हो अथवा इसके अलावा कोई विकल्प न हो। शासन द्वारा नियुक्त वे व्यक्ति भी वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं। **वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व**	कोई टिप्पणी नहीं।
5. हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ीपूर्ण हों या त्रुटि के कारण एवं लेखापरीक्षक की ऐसीरिपोर्ट जारी करने है जिसमें हमारी अभिमत भी शामिल है। युक्तियुक्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है किएसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक मिथ्याकथनों को पकड़ लेगी जब भी यह घटित हो। ये मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटिवशहो सकते हैं एवं तभी तात्विक माने जाते हैं यदि इनसे अलग–अलग या कुल मिलाकर वे इन वित्तीय विवरणेों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को युक्तियुक्त रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	अनुपालन
हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें एवं वित्तीय विवरणों के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाये एवं निष्पादन करें कि क्या वे तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटीकरणों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निवर्हन शामिल होता है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के तात्विक मिथ्याकथन, चाहे वह प्रवंचना से हो या त्रुटिवश, के जोखिमों का आकलन सहित लेखापरीक्षक के बोध पर निर्भर करती हैं। उन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से संघ की तैयारी व वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए आंतरिक नियंत्रण को प्रासंगिक मानता है जो परिस्थिति में उपयुक्त हैं, लेकिन इसका उद्देश्य संघ के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अभिमत व्यक्त करना नहीं है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमनें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वे हमारी लेखापरीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।	
6. अन्य मामले	
(क) देनदारों, लेनदारों और ऋणों और अग्रिमों के संबंध में शेष राशि संपुष्टि और मिलान के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि संघ द्वारा लेनदारों और ऋणों और अग्रिमों से संपुष्टि की मांग नहीं की गई है। इस प्रकार वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका। (अनुसूची 15ख – टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी संख्या 8 देखें)	शेष की पुष्टि के लिए हमने संबंधित पार्टियों/समितियों को पहले ही पत्र जारी कर दिए हैं। उनमें से कुछ ने उत्तर दे दिया है। जहां तक मिलान का संबंध है, कई मामलों में लेखाओं का संघ/प्राथमिक समितियों व पार्टियों के साथ मिलान किया गया है। शेष लेखाओं का मिलान करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
(ख) संघ अलग–अलग शाखाओं द्वारा ओटीआर के तहत प्राप्त एवं की गई आपूर्ति के लिए देय के साथ–साथ प्राप्य राशि को भी दर्शा रहा है। इसे एक दूसरे से अलग–अलग नहीं किया गया है, अतः देय राशि और प्राप्य राशि दोनों का अधिक उल्लेख हुआ है।	चूंकि प्रचालन जारी है, अतः पार्टियों के लेखाओं का लेनदेन पूरा होने के समय समायोजित कर लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	अनुपालन
(ग) संघ द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था क्योंकि हमें कोई भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट/रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये गये थे एवं हमने संबंधित पार्टियों/सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/संघ द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है। (अनुसूची 15ख–टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी 12 देखें)।	कोई टिप्पणी नहीं।
(घ) हमने स्टॉक रिकॉर्ड के रखरखाव में कुछ कमियां देखी हैं क्योंकि कुछ शाखाओं में डब्ल्यूएचआर/स्टॉक रिकॉर्डो का अद्यतन नहीं किया गया था/उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किए गये थे। हमारे अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, मालसूची रिकॉर्ड के रखरखाव पर नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है। (अनुसूची 15ख–टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी 12 देखें)।	अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
(ङ) संघ के पक्ष में 0.18 करोड़ रुपये की संपत्तियों का स्वत्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(च) संघ ने 2407.11 करोड़ रुपये के बकाये वाले ऋणों के लिए ऋणदाता बैंकों के साथ 'एकबारगी निपटान करार' किया है जिसमे मेगा मॉल, अंधेरी, मुंबई में चूककर्ता पार्टी की संपत्तियों का "जैसा है जहां है'' नीलामी अधिकार के हस्तांरण के साथ–साथ 478.00 करोड़ रुपये का निपटारा किया गया है। देखें 27.03.2018 का करार। चूंकि निपटान करार का हिस्सा अभी भी लंबित है, अतः संघ ने लेखा बहियों में इसका प्रभाव नहीं दर्शाया है। इसे उस वर्ष में दर्शाया जाएगा जब संघ ऋणदाता बैंकों से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। यह अंतिम निपटान के वर्ष में संघ की लाभप्रदता पर काफी प्रभाव डाल सकता है। (अनुसूची 15ख–टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी 14 देखें)।	कोई टिप्पणी नहीं।
(छ) संघ ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 8 के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं से प्रासंगिक घोषणा के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार भुगतानों को वर्गीकृत नहीं किया है। (अनुसूची 15 ख–टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरणों की टिप्पणी17 देखें)।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	अनुपालन
(ज) संघ के कारोबार के आकार, प्रचालन एवं प्रकृति को देखते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। **अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट** 7. तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002, बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 के अनुसार तैयार किये गये हैं। 8. उपर्युक्त अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा सीमाओं के अधीन तथा बहु राज्य समिति अधिनियम 2002 की धारा 73 (4) की अपेक्षानुसार तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी, हम रिपोर्ट करते हैं कि: क) हमें वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुई जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे ज्ञान व विश्वास के लिए अत्यावश्यक थे एवं उन्हें संतोषजनक पाया है। ख) हमारे अभिमत में, संघ ने अभी तक विधिक अपेक्षानुसार उचित लेखा बहियां रखी हैं, जैसा कि उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है। ग) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं। घ) योग्य अभिमत के लिए आधार अनुच्छेद में उल्लिखित विषय को छोड़कर, तुलन पत्र, लाभ व हानि एवं नकदी प्रवाह विवरण जब तक कि अन्यथा न कहा जाए, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।	अनुपालन के लिए नोट किया गया है। (S.K.VERMA) ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

	अनुसूची सं. अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
निधि के स्रोत					
शेयरधारक की निधि					
शेयर पूंजी	1	4,101.60		3,069.39	
शेयर आवेदन पत्र से राशि		17.27		747.32	
आरक्षिति एवं अधिशेष निधि	2	69,540.60		61,324.49	
लाभ/(हानि) लेखा	3	(37,842.12)	35,817.35	(42,558.93)	22,582.27
ऋण निधि					
प्रतिभूत ऋण	4		20,05,930.49		25,70,932.66
			20,41,747.84		25,93,514.93
निधियों का अनुप्रयोग					
स्थायी परिसंपत्ति	5	32,131.96		31,476.63	
निर्माण कार्य प्रगति में	6	1,399.39		2,254.92	
निवेश (प्रावधानों का निवल)	7	6,866.37	40,397.72	9,871.64	43,603.19
निवल चालू परिसंपत्तियां					
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	8	33,49,785.56		32,71,348.73	
घटाएं:					
चालू देयताएं एवं प्रावधान	9	(13,71,151.46)	19,78,634.10	(7,52,360.73)	25,18,988.00
आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)			22,716.02		30,923.74
			20,41,747.84		**25,93,514.93**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	15				

(S.K.VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

(RAJBIR SINGH)
MANAGING DIRECTOR

FOR DINESH JAIN & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-004885N

(CA DINESH KUMAR JAIN)
PARTNER
M NO.082033

FOR SATISH K. KAPOOR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-016222N

(CA SATISH KUMAR KAPOOR)
PARTNER
M NO.094823

FOR HDSG & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-002671N

(CA HARBIR SINGH GULATI)
PARTNER
M NO. 084072

PLACE : NEW DELHI
DATE : 01.08.2022

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण

	अनुसूची सं. अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
		राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
आय / बिक्री					
क) निर्यात		40,694.80		13,640.94	
ख) घरेलू		19,34,527.60		36,75,853.60	
ग) कृषि उपकरण एवं औजार		-	19,75,222.40	-	36,89,494.54
घ) पीएसएस के संचालन पर भारत सरकार से वसूली योग्य घाटे की प्रतिपूर्ति (ब्याज एवं बैंक प्रभार इत्यादि को छोड़कर)			48,913.16		1,65,776.63
ङ) पीएसएफ के संचालन पर भारत सरकार से वसूलीयोग्य घाटे की प्रतिपूर्ति (ब्याज एवं बैंक प्रभार इत्यादि को छोड़कर)			1,39,804.87		10,00,828.58
प्रतिलिखित पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यह्रास			323.01		337.82
अन्य आय	10		28,825.82		60,728.00
व्यापार स्टॉक में अभिवृद्धि / (गिरावट)					
अंतः शेष स्टॉक		12,69,832.97		13,32,228.48	
घटाएं: प्रारंभिक स्टॉक		13,32,228.48	(62,395.51)	26,99,026.39	(13,66,797.91)
योग			**21,30,693.75**		**35,50,367.66**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण

विवरण	अनुसूची सं. अनुसार	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		
		राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
व्यय							
खरीद			19,20,491.75			32,49,385.46	
बिक्री कर व्यय			630.12			0.26	
विनिर्माण एवं व्यापार व्यय	11		1,29,644.47			1,80,033.36	
बिक्री एवं वितरण	12		46,333.69			69,494.58	
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ	13		5,792.72			5,613.52	
प्रशासनिक व्यय	14		2,682.30			2,521.16	
बैंक एवं अन्य को प्रदत्त ब्याज		1,65,663.85			2,55,045.42		
घटाएं: पीएसएस/एमआईएस संचालन पर भारत सरकार के खाते में अंतरित ब्याज		1,65,588.27	75.58		2,54,351.63	693.79	
बैंक प्रभार		9.66			15.77		
घटाएं: सरकार के संचालन पर बैंक प्रभार		4.94	4.72	21,05,655.35	9.77	6.01	35,07,748.13
(भूमि के परिशोधन सहित) मूल्याह्रास				923.28			861.89
योग				**21,06,578.63**			**35,08,610.02**
प्रचालन लाभ/(हानि)				**24,115.13**			**41,757.64**
अतिरिक्त प्रतिलिखित प्रावधान			43.50			5.74	
घटाएं: सरकार के प्रचालन के खाते पर			-	43.50		-	5.74
पूर्वावधि समायोजन (निवल)							
i) विगत वर्ष की आय			4.65			-	
ii) विगत वर्ष के व्यय			(37.78)	(33.13)		(74.49)	(74.49)
कर पूर्व लाभ/(हानि)				**24,125.50**			**41,688.89**
कर हेतु प्रावधान							
आय कर हेतु प्रावधान			6,071.11			14,457.36	
आय कर व्यय – पूर्व वर्ष			(4,080.49)				
आस्थगित कर व्यय			8,207.72	10,198.34		2,836.83	17,294.19
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)				**13,927.16**			**24,394.70**

(S.K. VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

(RAJBIR SINGH)
MANAGING DIRECTOR

FOR DINESH JAIN & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-004885N

(CA DINESH KUMAR JAIN)
PARTNER
M NO.082033

FOR SATISH K. KAPOOR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-016222N

(CA SATISH KUMAR KAPOOR)
PARTNER
M NO.094823

FOR HDSG & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-002871N

(CA HARBIR SINGH GULATI)
PARTNER
M NO. 084072

PLACE : NEW DELHI
DATE : 01.08.2022

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-1: शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत पूंजी:		
30,000 शेयर (गत वर्ष 30,000) 25,000/–रुपये के प्रत्येक शेयर	7,500.00	7,500.00
34 शेयर (गत वर्ष 34) 5,000/–रुपये के प्रत्येक शेयर	1.70	1.70
10,0000 शेयर (गत वर्ष 10,000) 2,500/–रुपये के प्रत्येक शेयर	2,500.00	2,500.00
1,721 शेयर (गत वर्ष 1,721) 1,000/–रुपये के प्रत्येक शेयर	17.21	17.21
	10,018.91	**10,018.91**
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी:		
9,308 शेयर;गत वर्ष 7,396) 25,000/–रुपये के प्रत्येक शेयर	2,327.00	1,849.00
34 शेयर (गत वर्ष 34) 5,000/–रुपये के प्रत्येक शेयर	1.70	1.70
70,230 शेयर (गत वर्ष 48,059) 2,500/–रुपये के प्रत्येक शेयर	1,755.75	1,201.48
1,721 शेयर (गत वर्ष 1,721) 1,000/–रुपये के प्रत्येक शेयर	17.15	17.21
	4,101.60	**3,069.39**

अनुसूची-2: आरक्षित एवं अधिशेष निधि

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में	वर्ष के दौरान आबंटन/परिवर्धन राशि लाख रुपये में	वर्ष के दौरान अंतरण/समायोजन राशि लाख रुपये में	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में
सामान्य आरक्षिति	20,744.32	6,098.68	-	26,843.00
शिक्षण निधि	-	243.95	243.95	-
आकस्मिक निधि	10,621.58	-	-	10,621.58
कीमत में उतार–चढ़ाव संबंधी निधि (साधारण)	1,653.92	-	-	1,653.92
पुनर्मूल्यनिर्धारण आरक्षिति	24,326.30	-	323.01	24,003.29
लाभांश समीकरण निधि	0.62	428.25	427.28	1.59
आरक्षित निधि	3,977.75	2,439.47	-	6,417.22
	61,324.49	**9,210.35**	**994.24**	**69,540.60**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-3: लाभ/(हानि) लेखा

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में	
आगे ले जाया गया लाभ /(हानि)		(42,558.93)		(52,268.43)
वर्ष हेतु लाभ /(हानि)		13,927.16		24,394.70
		(28,631.77)		(27,873.73)
घटाएं: दिनांक 17.09.2021 को सामान्य निकाय की बैठक के निर्णयानुसार विनियोजन				
सामान्य आरक्षित निधि	6,098.68		9,811.61	
शिक्षण निधि	243.95		392.46	
आरक्षित निधि	2,439.47		3,924.65	
लाभांश समीकरण निधि	428.25	9,210.34	556.48	14,685.20
		(37,842.12)		**(42,558.93)**

अनुसूची-4: प्रतिभूत ऋण

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
क. नकद ऋण				
(पीएसएस स्टॉक एवं सरकार की गारंटी के दृष्टिबंधक से प्रतिभूत)				
i) भारतीय स्टेट बैंक	9,59,461.52		10,97,875.97	
ii) पंजाब नैशनल बैंक	1,78,337.58		2,73,803.53	
iii) पंजाब एंड सिंध बैंक	1,53,438.85		1,66,118.44	
iv) केनरा बैंक	3,14,207.59		5,35,583.65	
v) आंध्रा बैंक	14,418.67		96,065.99	
vi) इलाहाबाद बैंक	34,957.96		8,238.38	
vii) बैंक ऑफ बड़ौदा	1,10,397.49	**17,65,219.66**	1,52,535.87	**23,30,221.83**
ख. ओटीएस के तहत बैंकों से ऋण				
(ओटीएस करार दिनांक 27.03.2018 के अनुसार दी गई प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत)				
i) फेडरल बैंक	16,901.40		16,901.40	
ii) पंजाब नैशनल बैंक	20,928.64		20,928.64	
iii) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	32,704.57		32,704.57	
iv) ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	16,088.56		16,088.56	
v) साउथ इंडियन बैंक	13,890.48		13,890.48	
vi) बैंक ऑफ महाराष्ट्र	24,611.69		24,611.69	
vii) स्टेटबैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	13,801.46		13,801.46	
vii) सिंडीकेट बैंक	8,722.05		8,722.05	
viii) उपचित ब्याज	93,061.98	**2,40,710.83**	93,061.98	**2,40,710.83**
योग (क+ख)		**20,05,930.49**		**25,70,932.66**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-5: 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियां

राशि लाख रुपये में

क्र. सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		01.04.2021 की स्थिति के अनुसार मूल लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान अपमार्जन/ समायोजन	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक	31.03.2021 तक संचित मूल्यह्रास	संचित मूल्यह्रास का समायोजन	वर्ष 2021-22 हेतु मूल्यह्रास	31.03.2022 तक मूल्यह्रास	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
1	भूमि	28,343.58	240.00	-	28,583.58	2,758.51	-	182.71	2,941.22	25,642.35	25,585.07
2	भवन										
	क) फैक्ट्री	336.14	-	-	336.14	261.24	-	7.49	268.73	67.41	257.05
	ख) कार्यालय	7,859.77	738.11	-	8,597.88	3,795.36	-	430.29	4,225.65	4,372.23	1,274.28
	ग) भंडारगृह	1,331.59	2.95	-	1,334.54	856.67	-	47.64	904.31	430.24	1,775.66
	घ) अन्य	400.76	-	-	400.76	166.55	-	11.82	178.37	222.40	1,541.44
	ङ) अस्थायी संरचना	325.31	-	-	325.31	216.78	-	43.41	260.19	65.12	108.53
	योग (क से ङ)	**10,253.57**	**741.07**	**-**	**10,994.64**	**5,296.60**	**-**	**540.65**	**5,837.24**	**5,157.39**	**4,956.97**
3	फर्नीचर एवं साज-सज्जा	604.70	415.62	2.62	1,017.71	225.33	(2.05)	67.06	290.34	727.37	379.37
4	संयत्र एवं मशीन	573.24	29.82	15.32	587.73	510.66	(12.89)	13.31	511.08	76.65	62.57
5	वैद्युत अधिष्ठापन	572.08	107.20	13.98	665.30	346.14	(11.97)	49.64	383.81	281.50	227.11
6	अन्य उपकरण	619.88	37.83	24.05	633.67	480.73	(25.32)	49.80	505.21	128.46	137.98
7	कार्यालय उपकरण	4.31	-	0.01	4.30	3.79	(0.01)	0.02	3.80	0.49	0.52
8	वाहन	175.72	11.00	4.04	182.69	48.68	(3.82)	20.08	64.94	117.74	127.04
	योग (4 से 8)	**1,945.23**	**185.86**	**57.40**	**2,073.69**	**1,390.01**	**(54.01)**	**132.86**	**1,468.85**	**604.84**	**555.22**
	इस वर्ष का योग	**41,147.08**	**1,582.55**	**60.02**	**42,669.61**	**9,670.45**	**(56.07)**	**923.28**	**10,537.65**	**32,131.96**	**31,476.63**
	विगत वर्श का योग	**40,441.24**	**742.49**	**36.66**	**41,147.08**	**8,873.35**	**(34.79)**	**861.89**	**9,670.45**	**31,476.63**	**29,493.02**

अनुसूची-6: निर्माण कार्य प्रगति में

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में
प्रारंभिक शेष	2,254.92	2,029.36
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	225.56
	2,254.92	2,254.92
वर्ष के दौरान समायोजन	855.53	-
	1,399.39	**2,254.92**

अनुसूची-7: निवेश (1 से 3)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
निवेश (अनुद्धृत) लागत पर				
क. सहकारी समितियों में				
दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली के प्रत्येक 50/– रुपये के 100 पूर्णतया चुकता शेयर निवेश (अनुद्धृत) लागत पर		0.05		0.05
भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति लि., नई दिल्ली के प्रत्येक 1,00,000/– रुपये के 199 पूर्णतया चुकता शेयर		199.00		199.00
भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति लि., नई दिल्ली के प्रत्येक 1,000/– रुपये के 30 पूर्णतया चुकता शेयर		0.30		0.30
भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति लि., नई दिल्ली के प्रत्येक 10,000/– रुपये के 7 पूर्णतया चुकता शेयर		0.70		0.70
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि., नई दिल्ली के प्रत्येक 2,000/– रुपये के 1,000 पूर्णतया चुकता शेयर		20.00		20.00
श्रीगंगानगर कपास बीज प्रसंस्करण सहकारी समिति लि., श्रीगंगानगर के प्रत्येक 20,000/– रुपये के 25 पूर्णतया चुकता शेयर		5.00		5.00
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि., मुंबई का प्रत्येक 1,000/– रुपये का 1 पूर्णतया चुकता शेयर		0.01		0.01
राजस्थान राज्य सहकारी भवन प्रबंध सहकारी संघ लि., जयपुर का प्रत्येक 1,000/– रुपये का 1 पूर्णतया चुकता शेयर		0.01		0.01
भारतीय पर्यटन सहकारी समिति लि., नई दिल्ली के प्रत्येक 5,000/– रुपये के 276 पूर्णतया चुकता शेयर	13.80		13.80	
घटाएं: हानि	13.80	-	13.80	-
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली के प्रत्येक 10,000/– रुपये के 50 पूर्णतया चुकता शेयर		5.00		5.00

अनुसूची-7: निवेश (2 से 3)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लि., नई दिल्ली का प्रत्येक 25,000/– रुपये का 1 पूर्णतया चुकता शेयर		0.25		0.25
ट्राईफेड, नई दिल्ली के प्रत्येक 1,00,000/– रुपये के 5 पूर्णतया चुकता शेयर		5.00		5.00
कृभको, नोएडा के प्रत्येक 1,00,000/– रुपये के 305 पूर्णतया चुकता शेयर		305.00		305.00
कृभको, नोएडा के प्रत्येक 10,000/– रुपये के 04 पूर्णतया चुकता शेयर		0.40		0.40
कृभको, नोएडा के प्रत्येक 25,000/– रुपये के 02 पूर्णतया चुकता शेयर		0.50		0.50
राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, नई दिल्ली के प्रत्येक 2,000/– रुपये के 9,000 पूर्णतया चुकता शेयर		180.00		180.00
नागालैंड राज्य सहकारी समिति के प्रत्येक 50/– रुपये के 100 पूर्णतया चुकता शेयर		0.05		0.05
राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, नई दिल्ली के प्रत्येक 2,000/– रुपये के 5,000 पूर्णतया चुकता शेयर		100.00		100.00
योग (क)		**821.27**		**821.27**
ख कंपनियों में				
कोर्णाक जूट लि. भुवनेश्वर में प्रत्येक 10/– के 10,00,000 शेयर	100.00		100.00	
घटाएं: हानि	100.00	-	100.00	-
राष्ट्रीय स्पॉट एक्सचैंज लि. में प्रत्येक 10/– के 100 शेयर	0.01		0.01	
घटाएं: हानि	0.01	-	0.01	-
लदाक फूड लि. नई दिल्ली में प्रत्येक 10/– के पूर्णतया चुकता 1,00,000 शेयर	10.00		10.00	
घटाएं: हानि	10.00	-	10.00	-

अनुसूची-7: निवेश (3 से 3)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
राष्ट्रीय बहु जिंस विनिमय लि. अहमदाबाद में प्रत्येक 10/– के पूर्णतया चुकता 5,00,000 शेयर	50.00		50.00	
घटाएं: हानि	50.00	-	50.00	-
राष्ट्रीय बहु जिंस विनिमय लि. अहमदाबाद के राइट निर्गम में 5 रुपये के प्रीमियम पर प्रत्येक 10/– के पूर्णतया चुकता 2,50,000 शेयर	37.50		37.50	
घटाएं: हानि	37.50	-	37.50	-
एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलेपमैंट कंपनी लि. के प्रत्येक 10/– के पूर्णतया चुकता 2,00,000 शेयर	20.00		20.00	
घटाएं: हानि	20.00	-	20.00	-
फीफा, नई दिल्ली के प्रत्येक 10/– के पूर्णतया चुकता 10,000 शेयर		1.00		1.00
योग (ख)		**1.00**		**1.00**
ग. अन्य				
लघु किसान कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली		20.00		20.00
8.50 प्रतिशत लखनऊ नगरपालिका बांड		4,500.00		4,500.00
डेट म्युचुअल फंड में निवेश		-		2,000.00
भारतीय स्टेट बैंक में 7.37 प्रतिशत के स्थायी बांड		509.93		509.93
बैंक ऑफ बड़ौदा में 8.15 प्रतिशत के स्थायी बांड		-		1,005.27
पंजाब नेशनल बैंक में 8.60 प्रतिशत के स्थायी बांड		501.65		501.65
आरएफसी में 7.59 प्रतिशत के स्थायी बांड		512.52		512.52
योग (ग)		**6,044.10**		**9,049.37**
योग (क+ख+ग)		**6,866.37**		**9,871.64**

अनुसूची-8: मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (1 से 2)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
क) मौजूदा परिसंपत्तियां						
मालसूची						
(प्रबंधन द्वारा यथा स्वीकृत, मूल्यांकित, प्रमाणित)						
i) भारत सरकार की ओर से मूल्य समर्थन योजना/मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत रखी गई जिंस		12,51,359.94			13,16,953.17	
ii) अन्य जिंस		18,473.02	12,69,832.96		15,275.31	13,32,228.48
पैकिंग सामग्री			32.14			32.42
हस्थगत उपभोज्य भंडार एवं अतिरिक्त माल			0.09			0.09
छुटकर देनदार (अप्रतिभूत)						
i) 6 माह से अधिक कर्ज:						
अच्छा माना गया	41,243.57			1,20,788.61		
संदिग्ध माना गया	2,542.35			1,595.57		
	43,785.92			1,22,384.18		
घटाएं: प्रावधान	2,542.35	41,243.57		1,595.57	1,20,788.61	
ii) अन्य कर्ज		2,14,043.05	2,55,286.62		19,302.27	1,40,090.88
iii) प्राप्य सब्सिडी			18,006.98			48,512.44
iv) भारत सरकार के खाते से एमआईएस/पीएसएसओ प्रचालनों से प्राप्य राशि (निवल)						
पीएसएस/एमआईएस के तहत जिसों के प्रबंधन पर घाटो के लिए भारत सरकार से प्राप्य राशि		25,33,368.40			23,19,920.23	
घटाएं: पीएसएस/एमआईएस के प्रबंधन के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त राशि		11,98,286.79	13,35,081.61		9,73,335.09	13,46,585.14

अनुसूची-8: मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (2 से 2)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
नकद एवं बैंक में शेष						
i) हस्थगत नकद		4.05			4.81	
ii) हस्थगत चैक/मार्गस्थ प्रेषित की गई राशि		14,626.43			3,863.78	
iii) सावधि जमा		4,201.53			81.00	
iv) अनुसूचित एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में						
चालू एवं बचत खातों में		1,58,617.22	1,77,449.23		1,42,814.29	1,46,763.88
ख) ऋण एवं अग्रिम						
नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्तीय मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम (अच्छा समझा गया जब तक कि अन्यथा घोषित न हो)						
कर्मचारियों को अग्रिमः						
i) आवासीय मकान एवं वाहनों के दृष्टिबंधक के सापेक्ष प्रतिभूत	0.48			0.73		
ii) अन्य अग्रिम (कर्मचारी)	45.03	45.51		46.17	46.90	
माल एवं सेवाओं के लिए अग्रिम	52,850.37			30,027.46		
घटाएंः संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	-	52,850.37		-	30,027.46	
दावे एवं अन्य वसूली योग्य	1,33,540.77			1,21,270.28		
प्रतिभूतियां व अन्य जमा राशि	4,038.13			2,648.06		
	1,37,578.90			1,23,918.34		
घटाएंः सदिग्ध माने गये	182.27	1,37,396.62		182.27	1,23,736.07	
टाईअप कारोबार के सापेक्ष अग्रिम		1,01,510.09			1,01,511.79	
अन्य अग्रिम (अग्रिम कर सहित)		1,784.12			1,779.42	
सावधि जमा के सापेक्ष अग्रिम		485.10			-	
पूंजी अन्य अग्रिम						
पूर्वचुकता व्यय		24.12	2,94,095.93		33.76	2,57,135.40
			33,49,785.56			**32,71,348.73**

अनुसूची-9: मौजूदा देयताएं एवं प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में	
फुटकर लेनदार		4,08,412.88		2,40,709.14
प्रतिभूति जमा		23,121.87		16,623.48
आपूर्ति हेतु अग्रिम		70,497.58		1,05,680.44
सरकारी योजना के सापेक्ष प्राप्त अग्रिम		-		-
उपचित ब्याज		1.13		1.13
अन्य देयताएं (सदस्यों को देय पर छूट सहित)		2,02,330.31		1,89,001.99
अग्रिम में प्राप्त पूंजी अनुदान		105.68		105.68
अग्रिम में प्राप्त सब्सिडी		1,860.22		1,997.96
मूल्य स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत एसएफएसी के माध्यम से दलहन एवं प्याज की खरीद हेतु उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त राशि		6,58,070.20		1,82,720.17
प्रावधान				
आय कर	6,071.11		14,727.24	
विविध प्रावधान	680.48	6,751.59	793.50	15,520.74
		13,71,151.46		**7,52,360.73**

अनुसूची-10: अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अनुसार		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
सेवा शुल्क		14,828.66		45,766.28
किये गये दावे		1,451.19		4,610.08
प्राप्त ब्याज				
i) सावधि जमा	2,216.37		299.68	
ii) अन्य गतिविधियां	6,721.86		5,175.69	
	8,938.23		5,475.37	
घटाएं: भारत सरकार की ओर से पीएसएस प्रचालन हेतु प्राप्त	225.10		237.50	
घटाएं: भारत सरकार की ओर से पीएसएफ प्रचालन –एसएफएसी हेतु प्राप्त	989.20	7,723.93	833.45	4,404.42
निवेश एवं लाभांश		101.33		86.19
स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ/(हानि)		0.08		(0.06)
निवेश परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ/(हानि)		90.35		-
प्रवेश शुल्क		0.34		0.08
अन्य प्राप्तियां (अदावाकृत प्रतिलिखित क्रेडिट सहित)		4,629.95		5,861.01
		28,825.83		**60,728.00**

अनुसूची-11: विनिर्माण एवं व्यापार में व्यय

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में
वर्कशॉप एवं फैक्ट्री में आपूर्ति	0.02	-
संयंत्र रखरखाव	0.00	0.86
बिजली एवं ईंधन प्रभार	5.97	6.91
प्रक्रमण प्रभार	3,140.88	502.48
अन्य खरीद व्यय	30,205.79	65,175.08
भाड़ा एवं पल्लेदारी	26,036.61	14,260.69
मार्गस्थ बीमा	7.98	(101.36)
चुंगी	0.51	0.04
लाइसेंस शुल्क	7.97	1.12
श्रेणीकरण एवं मानकीकरण व्यय	11,149.56	13,135.20
गोदाम किराया, भंडारण एवं भष्मीकरण व्यय	50,002.78	76,997.66
श्रम प्रभार	7,685.35	8,757.77
नामंजूर दावे	1,401.05	1,296.91
	1,29,644.47	**1,80,033.36**

अनुसूची-12: बिक्री एवं वितरण पर व्यय

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अनुसार		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
पैकिंग एवं अग्रेषण				
प्रारंभिक स्टॉक	32.42		28.32	
जोड़ें: खरीद	24,589.39		43,944.30	
	24,621.81		43,972.62	
घटाएं: अंतिम स्टॉक	32.14	24,589.67	32.42	43,940.20
भाड़ा एवं पल्लेदारी		8,638.87		3,518.86
सर्वेक्षण एवं पर्यवेक्षण		243.32		387.17
गोदाम का बीमा		5,825.22		9,601.47
ब्रोकरेज एवं कमीशन		429.77		473.31
नमूना व्यय		6.08		25.57
विज्ञापन एवं प्रचार		81.16		86.56
अन्य बिक्री आय		5,623.99		11,461.41
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		962.71		-
विनिमय में अंतर		(67.10)		0.03
		46,333.69		**69,494.58**

अनुसूची-13: विनिर्माण एवं व्यापार में व्यय

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अनुसार राशि लाख रुपये में	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार राशि लाख रुपये में
वेतन	4,875.06	4,775.27
बोनस	4.14	5.24
अनुग्रह से	223.73	204.72
ईएसआई / चिकित्सा प्रभार	57.60	49.53
भविष्य निधि में अंशदान	378.09	338.59
कर्मचारी कल्याण व्यय	54.09	86.62
मृत्यु पर मुआवजा व्यय	40.00	-
जमा सहबद्ध बीमा	16.57	10.15
सामूहिक बीमा योजना	0.65	0.64
परोपकारी निधि में अंशदान	3.04	2.74
कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	1.85	0.35
उपदान	137.90	139.67
	5,792.72	**5,613.52**

अनुसूची-14: प्रशासनिक व्यय

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अनुसार राशि लाख रुपये में	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार राशि लाख रुपये में
किराया, दरें एवं कर	223.72	202.28
बिजली व पानी	144.19	111.22
साधारण बीमा	86.23	25.92
टेलेफोन व टेलेक्स व्यय	20.46	22.23
डाक टिकट एवं तार	10.49	9.59
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	38.20	34.40
समाचार पत्र व पत्रिकाएं	1.85	2.50
देय एवं सदस्यता शुल्क	9.64	6.43
सामान्य निकाय/निदेशकों की बैठकों पर व्यय	132.88	108.40
निदेशकों का यात्रा व्यय	62.27	57.55
अन्य का यात्रा व्यय	277.16	303.64
सुरक्षा एवं निगरानी व्यय	503.26	300.49
सामान्य प्रभार	202.60	188.92
वाहन रखरखाव	40.48	26.79
मरम्मत व नवीनीकरण	83.65	98.07
आंकड़े प्रक्रमण प्रभार	17.69	26.57
व्यावसायिक शुल्क–परामर्श	439.70	177.45
व्यावसायिक शुल्क–विधिक	102.82	53.47
लेखापरीक्षा शुल्क (कर लेखापरीक्षा शुल्क सहित)	36.00	23.05
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	10.99	9.68
अतिथिगृह का रखरखाव	3.06	1.28
दान	110.00	500.00
कर्मचारी भर्ती व्यय	3.73	(0.20)
आतिथ्य सत्कार	34.54	21.87
ह्रासन क्षति	-	-
सम्मेलन व संगोष्ठी	1.94	-
टीडीएस/जीएसटी पर ब्याज/शास्ति	5.87	-
कारोबार प्रचार संबंधी व्यय	78.88	209.56
	2,682.30	**2,521.16**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-15

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

क. ये वित्तीय विवरण भूमि एवं भवन को छोड़कर जिनका समय–समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के तौर पर एवं निरंतर आधार पर ऐतिहासिक लागत प्रथा के अनुसार तैयार किये गये हैं।

ख. लेखांकन नीतियां जो विनिर्दिष्ट तौर पर अन्यथा के तौर पर संदर्भित नहीं है, आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों एवं बहुत राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के उपबधों के अनुरूप हैं।

2. अनुमानों का उपयोग

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप अनुमान लगाने होते हैं कि परिसंपत्तियों और देयताओं के उल्लखित लेखाओं पर और प्रासंगिक देयताओं का उल्लेखन करने से वित्तीय विवरण तैयार करने की तिथि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और रिपोटिंग अवधि की समाप्त पर कार्यों का परिणाम कैसा रहेगा। यद्यपि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान परिस्थितियों व कार्यों के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित होते हैं किंतु वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

3. राजस्व/व्यय की मान्यता

क) संघ लेखाओं को व्यावसायिक आधार पर तैयार कराता है एवं निम्नलिखित को छोड़कर आय व व्यय को बीमांकिक आधार पर मानता है:–

i) कर्मचारियों को अनुग्रह/बकाये राशि देने की गणना तब की जाती है जब उन्हें इसका भुगतान कर दिया जाता है,

ii) कर्मचारियों को दिये गये अग्रिमों पर ब्याज, मूलधन की राशि पूरी तरह से वसूल करने के बाद, लेखाबद्ध किया जाता है। ग्राहकों से विलंबित अदायगी पर ब्याज की गणना नकद आधार पर की जाती है।

iii) प्रत्येक मामले में पूर्व अवधि की 5000/– रुपये से कम की आय/व्यय को उस वर्ष लेखाबद्ध किया जाता है जिस वर्ष में यह प्राप्त/खर्च किया गया है।

iv) निर्यात से होने वाले लाभ को उस वर्ष लेखाबद्ध किया जाता है जिस वर्ष में यह प्राप्त किया जाता है।

v) मूल्यांकन/निर्णय पूरा होने के उपरांत भुगतान किये जाने वाले करों/शुल्कों की देयता को बही में तब दर्ज किया जाता है जब अंतिम मांग की जाती है।

vi) प्रत्येक मामले में 5000/– रूपये से कम के पूर्व प्रदत्त व्यय को उस वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है जिस वर्ष यह व्यय किया गया है।

vii) खर्च के वर्ष में संघ द्वारा अदावाकृत सरकारी योजनाओं अर्थात् पीएसएस/पीएसएफ/कोई अन्य योजना में होने वाले व्यय को उस वर्ष में लेखाबद्ध किाय जाता है जिस वर्ष में उसका दावा किया जाता है, उसका निपटारा किया जाता है/भुगतान किया जाता है।

ख) जिन देयताओं के दावे पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से नहीं आ रहे हैं उनका मेरिट आधार पर प्रतिलेखन कर दिया जाता है।

4. निवेशः

शेयरों में दीर्घकालीन निवेश के मूल्य को लागत आधार पर लगाया गया है। निवेश के मूल्य में कोई स्थायी कमी का प्रावधान किया जा रहा है।

5. स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास

क) स्थायी परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत (सब्सिडी, यदि कोई हो, को समायोजित करने के उपरांत) पर किया गया है जिसमें अप्रतिदेय शुल्क एवं कर, भाड़ा, आकस्मिक व्यय और इन्हें हटाने/लगाने का व्यय शामिल है। परिसंपत्ति की जीवनकाल के दौरान किया गया पुनर्मूल्यांकन परिसंपत्ति के वहन मूल्य में जोड़ा जाता है एवं पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि लेखा में जमा किया जाता है।

ख) पट्टेवाली भूमि, जिनका पट्टावधि के उपरांत परिशोधन किया जाता है, को छोड़कर मूल्यह्रास का आय कर अधिनियम 3, 1961 के अधीन निर्धारित दरों पर अपलिखित मूल्य विधि पर प्रावधान किया जाता है। परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर अनुपातिक मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि लेखा में जमा किया गया है एवं पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि लेखा में नामे किया जाता है।

6. सदस्य सहकारी समितियों के साथ संयुक्त उद्यम

सदस्य सहकारी समितियों के साथ संयुक्त उद्यम में लाभ/हानि को सह–व्यवसायों से प्राप्त लेखाओं, लेखापरीक्षित लेखाओं के वार्षिक विवरण के उपचित आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा में लेन–देन

i) विदेशी मुद्रा लेनदेन को प्रारंभिक तौर पर लेनदेन के दिन, हाजिर दर पर माना जाता है।

ii) उन मौद्रिक परिसंपत्तियों व देयताओं की जो विदेशी मुद्रा में वर्ष के अंत में अभुक्त रहती है, का उल्लेख वार्षिक अंतिम दरों पर किया जाता है।

iii) विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों व देयताओं के उल्लेख में उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर को लाभ व हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

8. मालसूची का मूल्यांकन

प्रेषिती एवं केन्द्रीय भंडारण निगमों/राज्य भंडारण निगमों के साथ पारगमन शेयरों को छोड़कर भौतिक रूप से सत्यापित शेयरों के आधार पर अंतिम शेष की सूची तैयार की जाती है। ऐसे मामलों में संबंधित पार्टियों/एजेंसियों से प्राप्त प्रमाणपत्र पर भरोसा किया जाता है।

क) अंतिम शेष की सूची का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति से किया गया है:

i.	कृषि वस्तुएं एवं तैयार माल (बोरों के साथ)	लागत या बाजार/वसूलीयोग्य भाव पर, जो भी कम हो, (उस स्थान/शाखा पर जहां माल रखा गया है।
ii.	कच्चा माल, पैकिंग सामग्री एवं उपभोज्य भंडार	लागत पर
iii.	बैक टु बैक/टाईअप व्यवस्था के अंतर्गत रखा माल	लागत पर
iv.	मार्गस्थ माल	लागत पर

v.	पीएसएस/पीएसएफ और किसी अन्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से रखा गया माल	लागत पर
vi.	अनुप्रयोज्य/पुरानी पैकिंग वाली सामग्री	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर
vii.	उप–उत्पाद/क्षतिग्रस्त माल	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर
viii.	उपभोक्ता (खुदरा) उत्पाद	लागत या अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर जो भी कम हो।

ख) लागत में, गोदाम पर पहुंचाये गये माल के सभी व्यय शामिल हैं।

ग) लागत से वार्षिक तोली गई औसत लागत अभिप्रेत है।

घ) भौतिक सत्यापन के समय कम/अधिक पाये गये भंडारण, अतिरिक्त माल, पैकिंग सामग्री, तैयार माल इत्यादि के मूल्यों को खपत/अंतिम स्टॉक में समायोजित किया गया है।

9. कराधान

कर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होते हैं। वर्तमान आय कर को भारतीय आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर प्राधिकणों को भुगतान की जाने वाली राशि पर मूल्यांकन किया जाता है।

आस्थगित आय कर वर्ष की कर योग्य आय एवं वर्ष के लिए लेखांकन आय और पूर्व वर्षों/अवधि के समय के अंतर में असंतुलन होने के बीच, वर्तमान वर्ष के समय के अंत के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना कर दरों पर आधारित होती हैं एवं तुलन पत्र की तिथि के दिन लागू कर कानूनों या उसके बाद लागू होने वाले कर नियमों पर आधारित होती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित देयताओं की भरपाई तब होती है यदि कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार वर्तमान कर देयताओं पर वर्तमान परिसंपत्तियों को बंद करने के विद्यमान है एवं आस्थगित परिसंपत्तियां व आस्थगित कर देयताएं समान शासी कराधान कानूनों द्वारा लगाये गये आय पर करों से संबंधित हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक ही मान्यता दी जाती है जहां तक उचित सुनिश्चितता होती है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जहां संघ के पास अनावशोषित मूल्यह्रास या अगले लाभ से कर घाटे की पूर्ति हो, सभी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को तभी मान्यता दी जाती है, जब इस बात का उचित साक्ष्य देकर समर्थन किया जाता है कि इस तरह की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य में कर योग्य लाभ में वसूल किया जा सकता है।

संघ प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को गैर मान्यता प्राप्त आस्थगित परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। यह गैर मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों की इस सीमा में पहचान देता है कि यह यथोचित या लगभग निश्चित हो जाता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके लिए इस प्रकार की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है। संघ, आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उस सीमा तक अवलेखन करता है यह अब यथोचित निश्चित या वस्तुतः निश्चित नहीं है, यथास्थिति कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के किसी भी अवलेखन को इस हद तक उलट दिया जाता है कि यथोचित निश्चित या वस्तुतः निश्चित हो जाए यथास्थिति, कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। अंतिम मांग उठने पर मूल्यांकन/आस्थगन के पूरा होने पर लगने वाले करों/शुल्कों के लिए देयता को लेखाबद्ध किया जाता है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब नेफेड के पास पिछली स्थिति के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व है, यह संभावना होती है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह आवश्यक होता है जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान को इसक वर्तमन मूल्य पर छूट नहीं दी जाजाती है और तुलन पत्र की तिथि को दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है एवं वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित कर लिया जाता है।

11. कर्मचारी हितलाभः

सेवानिवृत्त होने पर उपदानः

संघ अपने नेफेड कर्मचारी सामूहिक उपदान एवं जीवन बीमा योजना न्यास में, एएस–15 के अनुपालन के साथ वास्तविक आधार पर अंशदान कर रहा है, यह अंशदान सामूहिक उपदान एवं जीवन बीमा हितलाभों के दायित्वों को पूरा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को वार्षिक आधार पर दिया जाता है। यदि इस योजना के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों की कोई अतिरिक्त देयता होती है तो उसके वास्तविक निपटान पर तब लेखाबद्ध किया जाता है जब इसका भुगतान कर लिया जाता है।

निश्चित अंशदान योजनाः

भविष्य निधि और पेंशन अंशदान को बीमांकिक आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

छुट्टी नकदीकरणः

छुट्टी के नकदीकरण के लाभ के संबंध में देयता के लिए वास्तविक आधार पर आवश्यक प्रावधान किया जाता है। यदि इस योजना में शामिल कर्मचारियों की कोई अतिरिक्त देयता होती है तो उसके वास्तविक निपटान पर तब लेखाबद्ध किया जाता है जब इसका भुगतान कर लिया जाता है।

12. मूल्य समर्थन संचालन/मूल्य स्थिरीकरण कोश/किसी अन्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से संभाले गये मालों का कारोबार

क) खरीदें, बिक्री एवं किये गये व्यय को संघ की बही में संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है और पूंजी निवेश पर ब्याज लगाने के उपरांत परिणामी अधिशेष/घाटा लाभ व खाते के नामे/जमा करते हुए भारत सरकर को देय/से वसूली योग्य करने योग्य माना जाता है।

ख) सरकार की ओर से सौंपे गए जिंसों के सेवा शुल्क के दावे संबंधित सरकारी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किए जाते हैं।

ग) रेलवे, बीमा और अन्य दावे जिनको तीसरे पक्ष के समक्ष किए गये हैं उसी वर्ष में लेखाबद्ध किये जाते हैं और सरकार को सौंप दिये जाते हैं जिस वर्ष में इनके दावे वास्तव में प्राप्त होते हैं।

(S.K.VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

(RAJBIR SINGH)
MANAGING DIRECTOR

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2022

ख. टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण

1. आकस्मिक देयताएं:

क. संघ के सापेक्ष दावे जिन्हें कर्ज के तौर पर नहीं माना गया है, 423.65 करोड़ रुपये (गत वर्ष 865.91 करोड़ रुपये) हैं जिनमें शामिल हैं:

i). विगत वर्षों में निर्यात दायित्वों को पूरा न करने के लिए मैसर्स एलिमेंटा द्वारा क्षतिपूर्ति के तौर पर दायर याचिका के संबंध में 328.14 करोड़ रुपये (गत वर्ष 310.02 करोड़ रुपये)।

ii). पार्टी को आपूर्ति अनुबंध पूरा न किये जाने के संबंध में मैसर्स एलिमेंटा एस.ए. जेनेवा के साथ एक वाणिज्यिक विवाद में पार्टी ने मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें नेफेड को 58,20,000 अमरीकी डॉलर उस पर ब्याज का भुगतान करने को कहा गया है। नेफेड की गणना के आधार पर ब्याज देनदारी 3,74,65,602 अमरीकी डॉलर बैठती है। इस प्रकार यह कुल देयता 4,32,85,602 अमरीकी डालर होती है जो 31 मार्च, 2022 को लागू विनिमय दर के अनुसार रुपये में बदले जाने पर 328.14 करोड़ रुपये बैठता है। इस निर्णय को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। विधिक विशेषज्ञों की सलाह पर संघ इस विवादित मामले में नेफेड के पक्ष में निर्णय आने की संभावना को देखते हुए नेफेड ने इसे अपनी लेखा बहियों में देयता के तौर पर नहीं दर्शाया गया है अपितु इसे एक आकस्मिक देयता माना है।

ख) आय कर मांगों के कारण इस खाते में 117.38 करोड़ रुपये (गत वर्ष 117.02 करोड़ रुपये) की अनुमानित देयता इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कर निर्धारण वर्ष	मांगी गई राशि	31.03.2022 तक भुगतान की गई राशि/ भुगतान योग्य वापसी से समायोजित मांग	अपील की स्थिति	टिप्पणियां
1.	1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95	0.14 1.79 1.18 4.86 0.79 3.31 4.56 3.86 9.27 29.76	0.14 1.79 1.18 4.86 0.79 3.31 4.56 3.86 9.27 29.76	सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय	न्यायाधिकरण ने धारा 80 पी 2 ए (iii) के अंतर्गत एओ द्वारा आवेदन करने पर अपने आदेश में संसोधन कर दिया है। व्यापाक आधार पर राहत प्रदान करने के लिए अपील दायर कर दी गई है।
2.	2001-02 & 2002-03	2.40	2.40	सर्वोच्च न्यायालय	अन्य आधार पर राहत का दावा कर रहे हैं।
3.	2003-04	0.00	0.00	दिल्ली उच्च न्यायालय	विभागीय अपील
4.	2004-05	0.00	0.00	- यथोपरि -	- यथोपरि -
5.	2006-07	0.00	0.00	- यथोपरि -	- यथोपरि -
6.	2008-09	0.00	0.00	- यथोपरि -	- यथोपरि -
7.	2009-10	0.00	1.19	आईटीएटी	वर्ष 2011–12 में रिफंड का समायोजन

क्र. सं.	कर निर्धारण वर्ष	मांगी गई राशि	31.03.2022 तक भुगतान की गई राशि/ भुगतान योग्य वापसी से समायोजित मांग	अपील की स्थिति	टिप्पणियां
8.	2010-11	13.93	24.06	आईटीएटी एवं सीआईटी (ए)	आंशिक रुप से नेफेड के पक्ष में अपील एवं मांग में कमी। कर निर्धारण वर्ष 2013–14 की मांग में रिंफड समायोजित।
9.	2011-12	9.23	0.00	सीआईटी (ए)	की गई मांग के विरुद्ध 154 के अधीन सुधार हेतु आवेदन दाखिल।
10.	2012-13	0.00	0.69	-यथोपरि-	कर निर्धारण वर्ष 2011–12 की मांग में रिंफड समायोजित।
11.	2013-14	0.00	2.30	-यथोपरि-	कर निर्धारण वर्ष 2011–12 की मांग में रिंफड समायोजित।
12.	2014-15	0.01	0.69	-यथोपरि-	कर निर्धारण वर्ष 2011–12 की मांग में रिंफड समायोजित।
13.	2017-18	0.76	0.39	एओ	धारा 143 (1) के अंतर्गत की गई मांग के साथ नेफेड के आर/ओ पुराने पेन में की गई मांग।
14.	2018-19 and 2019-20	60.93	0.00	-यथोपरि-	आगे ले जाई गई हानि के अनुमति न होने के कारण की गई मांग।
15	2020-21	0.36	0.00	-यथोपरि-	धारा 143 (1) के अंतर्गत की गई मांग
	योग	**117.38**	**61.48**		

संघ की लेखा बहियों में उपरोक्त कर देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि मामले संबंधित न्यायिक अधिकरणों में लंबित हैं। प्रबंधन का मानना है कि संघ अपील में, सभी लंबिकत मामलों में जीतेगा एवं इसलिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। इसके अलावा उपरोक्त मांग पर कोई प्रावधान ब्याज आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत नहीं माना गया है। आयकर विभाग को अदा किये गये 61.48 करोड़ रुपये (गत वर्ष 61.48 करोड़ रुपये) को अन्य अग्रिम के तौर पर दर्शाया गया है।

2. अनुबंधों पर पूंजी प्रतिबद्धताओं की अनुमानित देयता अभी तक पूरी नहीं हुई है एवं 15.79 करोड़ रुपये (गत वर्ष 15.79 करोड़ रुपये) के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

3. संघ में दीर्घकालिक निवेश की लागत 68.66 करोड़ रुपये (गत वर्ष 98.72 करोड़ रुपये) है। निवेश का उल्लेख केवल उन मामलों को छोड़कर, जहां प्रबंधन का मानना है कि निवेश के मूल्य में कमी आई है, लागत पर किया गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान 0.24 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2018–19 के दौरान 2.07 करोड़ रुपये की हानि, उपरोक्त के लिए लेखाओं में कुल 2.31 करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया है।

4. 0.18 करोड़ रुपये (गत वर्ष 0.18 करोड़ रुपये) का स्वत्वाधिकार विलेख अभी तक संघ के पक्ष में नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, मोहन को–ओपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली में स्थिति दो संपत्तियों जिनका उचित बाजार मूल्य 27.60 करोड़ रुपये है, न्यायालय के आदेशानुसार अधिग्रहीत की जा चुकी है जिनका अभी तक संघ के पक्ष में स्वत्वाधिकार विलेख नहीं हुआ है।

5. 0.17 करोड़ रुपये (गत वर्ष 7.47 करोड़ रुपये) की प्राप्त शेयरपूंजी का अभिदान आबंटन के लिए लंबित है। उपरोक्त में से समितियों को अभी तक 0.04 करोड़ की राशि के शेयरों/रिफड आंबंटन कर लिया गया है। शेष राशि बकाया है चूंकि समितियों ने नेफेड को अपनी आय में से निश्चित राशि शेयर आवेदन के पैसे में कटौती करने और कटौती की गई राशि के बराबर हिस्से को साझा करने के लिए अधिकृत किया है। चूंकि शेयर की कीमत 2,500/– के कई गुना है और जारी किये जाने वाले न्यूनतम शेयर 25,000 के हैं। शेयर आवेदन के लिए कटौती की गई राशि अपेक्षित राशि से कम है एवं

शेयर जारी करने के लिए उस स्तर तक पहुंचने के लिए जमा की जा रही हैं। इसलिए समितियों को शेयर जारी नहीं किये गये हैं।

6. चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों में 1015.10 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1015.12 करोड़ रुपये) की अतिदेय टाई अप प्राप्त राशि शामिल है जिसमें से 279.03 करोड़ रुपये (गत वर्ष 279.03 करोड़ रुपये) की प्राप्य राशि संपार्श्विक प्रतिभूतियों के स्वरूप में वसूली योग्य एवं प्रवर्तनीय मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत हैं। 1015.10 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1015.12 करोड़ रुपये) के टाई अप प्राप्य में लेखा बही में 4.11 करोड़ रुपये (गत वर्ष 4.11 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है।

प्रबंधन का मानना है कि इस स्तर पर इन प्राप्यों के प्रति अशोध्य ऋणों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है क्योंकि बकाया राशि की वसूली के लिए संध ने आवश्यक कार्रवाई (प्रशासनिक, कानूनी कार्रवाई एवं कुछ मामलों को सरकारी जांच एजेंसियों भेजी गई सहित) आरंभ की है।

7. पीएसएस/एमआईएस प्रचालन के कारण पीएसएस/एमआईएस प्रचालन वार दावे कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष किये गये हैं। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्राप्य राशि का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
क.	पीएसएस/एमआईएस के अंतर्गत घाटा होने पर प्राप्य (गत वर्ष 23,199.20 करोड़ रुपये)	25,333.68
ख.	कीमत समर्थन प्रचालन के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि जमा विभिन्न प्रचालनों पर परिणामी अधिशेष में से सरकार/राज्य एजेंसियों को लौटाई/अदा की गई राशि (गत वर्ष 9,733.35 करोड़ रुपये)	11,982.87
ग.	निवल शेष (क–ख) (गत वर्ष 13,465.85 करोड़ रुपये)	13,350.81

प्रबंधन का उम्मीद है कि भारत सरकार द्वारा इन दावों का जल्दी निपटारा कर लिया जाएगा एवं पूरा दावा प्राप्त कर लिया जाएगा। दावों के निपटारे के समय की गई कटौती को अंतिम निपटान के वर्ष में लेखाबद्ध किया गया है।

8. देनदारों, लेनदारों एवं ऋण तथा अग्रिमों के बकाया, संबंधित पक्षों के साथ पुष्टि के अधीन हैं। समिति/संझा/टाईअप पार्टियों/व्यापार सहयोगियों के साथ लेखाओं का मिलान भी प्रगति पर है। मिलान के समय सामने आने वाली विसंगतियों को निपटान के वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

9. प्रबंधन के आकलन के अनुसार, बहियों में संदिग्ध ऋणों का प्रावधान पर्याप्त रूप से किया गया है। यदि कोई बट्टे खाते में डालना आवश्यक हो तो उसे, यथोचित प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

10. जिन मामलों में कानूनी/अन्य विवादों के कारण किराया प्राप्त नहीं हुआ है वहां आईसीएआई द्वारा जारी एएस–9 का पालन करने पर कोई आय नहीं मानी जाती है। ऐसे किरायेदारों के लिए नेफेड ने विधिक कार्यवाही आरंभ कर दी है।

11. 31 मार्च, 2022 तक खरीद में 788.73 करोड़ रुपये (गत वर्ष 756.36 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है जिसके लिए अभी बिल प्राप्त नहीं हुआ है। तुलन पत्र को अंतिम रूप देने की तारीख तक पार्टियों से 487.15 करोड़ रुपये (गत वर्ष 676.60 करोड़ रुपये) की राशि के बिल प्राप्त हुए हैं।

12. केन्द्रीय/राज्य भंडारण निगम द्वारा जारी गोदाम रसीदों के आधार पर हस्थगत स्टॉक की गुणवत्ता व उसका मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। गोदामों में रखे गये स्टॉक की मात्रा, गुणवत्ता व स्थिति एसएसलए, सर्वेक्षकों, एवं केन्द्रीय/राज्य भंडारण निगम की संयुक्त जिम्मेदारी है। नेफेड प्रबंधन नमी वाली सामग्री, गुणवत्ता, कृषक की उपज, दर एवं वजन तथा विचलन यदि कोई हो, के संबंध में संघ की ओर से कृषि वस्तुओं की खरीद करने वाले सदस्य विपणन संघों/समितियों के चालान/दस्तावेजों पर निर्भर है, तदनुसार इसका निपटारा किया जाता है।

13. वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2011–12 के दौरान पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के संबंध में प्रभरित 3.23 करोड़ रुपये (गत वर्ष 3.38 करोड़ रुपये) के मूल्यह्रास की राशि का पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में नामे करते हुए लाभ व हानि लेखा में जमा किया गया है।

14. वर्ष 2003–2006 की अवधि के दौरान बैंकों से प्राप्त ऋण सुविधा, जिसका 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 1705.86

करोड़ रुपये का बकाया है, का 478.00 करोड़ रुपये में निपटारा किया गया है जिसमें दिनांक 27.03.2018 को ऋणदाता बैंक के साथ हस्ताक्षरित 'एकबारगी निपटान करार' के अंतर्गत 'जैसा है जहां है' आधार पर मेगा मॉल, अंधेरी, मुंबई में चूककर्ता पार्टी की संपत्ति का नीलामी अधिकारों का हस्तांतरण शामिल है। ऋणदाता बैंकों के साथ किये गये करार के अनुसार संघ ने पहले ही 31 मार्च, 2022 को 224.00 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। परिसंपत्तियों की बिक्री/नीलामी अभी लंबित है तथा जब और जैसे ही इसका नीलामी/बिक्री के माध्यम से निस्तारण कर लिया जाएगा तो बिक्री की आय ऋणदाता बैंको को दी जाएगी एवं तदनुसार ऋणदाता बैंकों से अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाएगा। चूंकि निपटान करार अभी भी लंबित है अतः संघ ने अपनी लेखा बहियों में इसका प्रभाव नहीं दर्शाया है। ऋणदाता बैंकों से अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त करने उपरांत इसे उस वर्ष में दर्शाया जाएगा।

15. कर्मचारी हितलाभ

उपदानः

संघ ने एएस–15 ''कर्मचारी हितलाभ'' के अनुपालन में कर्मचारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से सामूहिक उपदान नीति शुरू की है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

भविष्य निधिः

संघ ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा में 3.78 करोड़ रुपये (गत वर्ष 3.38 करोड़ रुपये) को कर्मचारी भविष्य निधि के व्यय के तौर पर मान्यता दी है।

संघ सेवानिवृत्ति के बाद की योजना निम्नानुसार संचालित करता हैः

वित्तपोषित

सेवानिवृत्ति के उपरांत उपदान

सेवानिवृत्ति के उपरांत छुट्टी नकदीकरण

क. **सेवानिवृत्ति बाद उपदान योजना का विवरण इस प्रकार हैः**

अनुमान	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
छूट दर	6.85%	7.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	6.00%

वर्ष के दौरान, संघ ने एलआईसी से प्राप्त सलाह के आधार पर निधि में अंशदान के तौर पर 1.37 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1.40 करोड़ रुपये) का भुगतान किया एवं वर्ष के दौरान लाभ व हानि में दर्शाया है।

ख. **सेवानिवृत्ति के उपरांत छुट्टी नकदीकरण योजना का विवरण इस प्रकार हैः**

अनुमान	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
छूट दर	6.85%	7.23%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%

वर्ष के दौरान, संघ ने एचडीएफसी/एलआईसी से प्राप्त सलाह के आधार पर निधि में अंशदान के तौर पर शून्य (गत वर्ष 2.70 करोड़ रुपये) का भुगतान किया एवं वर्ष के दौरान लाभ व हानि में 4.24 करोड़ रुपये (गत वर्ष 9.17 करोड़ रुपये) दर्शाया है।

16. लेखांकन मानक 18 के अनुसर संबंधि पक्षकारों का लेनदेनः

(क) संघ के पास एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलेपमैंट कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में 20 लाख रुपये का निवेश किया है जो कंपनी की चुकता पूंजी का 50 प्रतिशत है। इसके अलावा एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलेपमैंट कंपनी लिमिटेड की ओर से संघ द्वारा किये गये व्यय की राशि में से कंपनी से 65,19,285 रुपये (गत वर्ष 65,19,285 रुपये) वसूली

योग्य है। नेफेड ने इसकी वसूली की संदिग्धता को देखते हुए इसके लिए 65,19,285 रुपये का प्रावधान किया था।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, संघ ने ''फेडरेशन ऑफ इंडियन एफपीओ और एग्रीगेटर्स (फीफा)'' के 100 प्रतिशत शेयरों के संबंध में 1 लाख रुपये का भुगतान करके 'इसके 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले 10000 शेयरों का अधिग्रहण किया था जिसे 24.07.2020 को संघ के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया लिया है। इसके अलावा, संघ ने और अधिक एफपीओ बनाने और सदस्यता बढ़ाने में क्षमता निर्माण के लिए 5 वर्षों के बाद चुकाए जाने के लिए ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी के रूप में 50 लाख रुपये और 50 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान जारी किया है। इसके संघ द्वारा उनकी ओर से खर्च की गई राशि खाते में कंपनी से 4,16,913 (गत वर्ष शून्य) की राशि वसूली योग्य है।

(ख) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी एवं संबंध

क्र. सं.	नाम	पदनाम	(2021-22) (राशि रुपये में)	(2020-21) (राशि रुपये में)
1.	श्री संजीव कुमार चड्ढा, आईएफएस	प्रबंध निदेशक	39,82,801	38,12,597
2.	श्री सुनील कुमार सिंह	अपर प्रबंध निदेशक	32,46,745	30,31,404
3.	श्री पंकज कुमार प्रसाद	अपर प्रबंध निदेशक	28,53,467	25,72,954
4.	श्री एस.के. वर्मा	अपर प्रबंध निदेशक	30,23,717	32,13,729
5.	श्री ए.के. रथ	अपर प्रबंध निदेशक	30,23,717	32,13,129
6.	श्री कमलेन्द्र श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक	27,44,267	25,96,610
7.	श्री अभिनव रावत	कार्यकारी निदेशक	25,49,181	24,37,478

17. आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होने के उपरांत एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण किये जाएंगे। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 8 के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं से आवश्यक पत्रक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है एवं इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

18. प्रबंधन के अभिमत में परिसंपत्तियों का वसूलीयोग्य मूल्य तुलन पत्र में उल्लिखित राशि से अधिक है। हानि के लिए आवश्यक प्रावधान एएस–28 (परिसंपत्तियों का नुकसान) के अंतर्गत यथा परिभाषित आवश्यक माना गया है।

19. प्रबंधन के अभिमत में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों व अग्रिमों का वसूलीयोग्य मूल्य उस राशि से कम नहीं है जिनका उल्लेख अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर तुलन पत्र में किया गया है।

20. वित्तीय विवरण भूमि व भवन को छोड़कर ऐतिहासिक लगत अनुबंध के अंतर्गत तैयार किये जाते हैं जिनक समय–समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

21. संघ के लेखे इसकी उन्नत कारोबारी टर्नओवर एवं बैंको के साथ एकबारगी निपटान के आधार पर 378.42 करोड़ रुपये (गत वर्ष 425.59 करोड़ रुपये) की संचित हानि के बावजूद लाभकारी कारबार वाले संस्थान के तौर पर तैयार किये गये हैं।

प्रबंधन का यह विचार है कि संघ के कार्यों से निकट भविष्य में पर्याप्त लाभ अर्जित होने लगेगा एवं इस सुनिश्चितता से निकट भविष्य में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली भी हो जाएगी। अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए संघ ने वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों (निवल) के तौर पर (–) 82.07 करोड़ रुपये (गत वर्ष (–) 28.36 करोड़ रुपये) को मान्यता दी है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार डीटीए/डीटीएल के घटक इस प्रकार हैं:

विवरण	चालू वर्ष (राशि रुपये में)	गत वर्ष (राशि रुपये में)
क. आस्थगित कर परिसंपत्ति		
लाभ/(–) अनग्रहीत हानि	--	--
स्थायी परिसंपत्तियों के डब्ल्यूडीवी में अंतर	(28,01,21,330)	6,69,26,159

कर्मचारी हितलाभ	--	--
अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	--	--
आयकर अधिनियम की धारा 43 (ख) के अंतर्गत अस्वीकृति	9,30,58,76,571	9,28,41,63,861
योग (क)	9,02,57,55,241	9,35,10,90,020
ख. आस्थगित कर देयताएं		
एलीमेंटा की ब्याज देयता जिनका आयकर संगणना में दावा किया गया है किंतु बही में लेखाबद्ध नहीं	--	50,05,62,525
कर्मचारी हितलाभ	--	--
योग (ख)	--	50,05,62,525
आस्थगित कर परिसंपत्तिः (निवल) (क–ख)	9,02,57,55,241	8,85,05,27,495
कर प्रभाव	2,27,16,02,079	3,09,23,74,306

22. संघ सभी स्थानों/शाखाओं में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मिलान कर रहा है। आवश्यक प्रभाव यदि कोई हो,, उसका बाद की अवधि में मिलान के उपरांत लेखा बहियों में लेखाबद्ध कर लिया जाएगा।

23. संघ किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से डीएसी की ओर से सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत पीएसएस संचालन कर रहा है। अधिकतर, खरीदे गए स्टॉक को लागत मूल्य/एमएसपी से कम मूल्य पर बेचा जाता है, जिसके कारण खरीद पर प्रदत्त जीएसटी का कर योग्य जिंस के संपूर्ण निपटान के बाद भी समायोजन करने कार्य किया जाना शेष रह गया है। जीएसटी अधिनियम के अनुसार, संघ समायोजित न की गई जीएसटी के रिफंड के लिए पात्र नहीं है। इस प्रकार, संघ ने प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित जिंस के लाभ व हानि लेखा में 5.40 करोड़ रुपये (गत वर्ष 37.56 करोड़ रुपये) समायोजित न की गई जीएसटी राशि दशाई है। इसकी प्रतिपूर्ति हो जाने पर, यह जीएसटी राशि जीएसटी पोर्टल से हटा दी जाएगी।

24. एएस–3 (नकद प्रवाह विवरण), एएस–17 (खंड रिपोर्टिंग) के अनुसार अपेक्षित विवरण/सूचना संलग्न हैं।

25. संघ पीएसएफ योजना के अंतर्गत खरीदी गई दलहन की संस्थानों और विभिन्न राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं के तहत आपूर्ति कर रहा है। ऐसी आपूर्ति के लिए, स्टॉक को पहले अपने खाते में अंतरित किया जाता है, उसके उपरांत, पहले मिल मालिकों को आपूर्ति किए गए कच्चे माल के लिए चालान बनाए जाते हैं और मिल मालिकों से उसी राशि बिल प्राप्त होने के उपरांत, संबंधित राज्य सरकारों को चालनान भेजे जाते हैं। इस प्रकार, संघ की बिक्री और खरीद में मिल मालिकों को की गई और मिल मालिकों से प्राप्त ऐसी आपूर्ति का मूल्य शामिल होता है।

26. प्रबंधन के विचार में संघ के कामकाज एवं वित्त पर कोविड–19 महामारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

27. जहां भी आवश्यक समझा गया गत वर्ष के आंकड़ों पुनः समूहित, पुनः व्यवस्थित किया गया है व पुनः डाला गया है। आंकड़ों को निकटतम लाख में पूरा किया गया है।

(S.K. VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

(RAJBIR SINGH)
MANAGING DIRECTOR

FOR DINESH JAIN & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-004885N

(CA DINESH KUMAR JAIN)
PARTNER
M NO.082033

FOR SATISH K. KAPOOR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-016222N

(CA SATISH KUMAR KAPOOR)
PARTNER
M NO.094823

FOR HDSG & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-008871N

(CA HARBIR SINGH GULATI)
PARTNER
M NO. 084072

PLACE : NEW DELHI
DATE : 01.08.2022

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

वर्ष 2021-22 हेतु नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष राशि (लाख रुपये में)		31.03.2021 को समाप्त वर्ष राशि (लाख रुपये में)	
कः प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
लाभ व हानि लेखा के अनुसार निवल लाभ		**13,927.16**		**24,394.70**
समायोजनः				
आस्थगित कर व्यय / (आय)	8,207.72		2,836.83	
आय कर व्यय	6,071.11		14,457.36	
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	923.28		861.89	
बट्टे खाते में डाली गई पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यह्रास	(323.01)		(337.82)	
ब्याज की आय	(7,723.92)		(4,404.42)	
लाभांश आय	(101.33)		(86.19)	
ब्याज व्यय	75.58		693.79	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(0.08)		0.06	
निवेश की बिक्री पर लाभ	(90.35)	**7,039.00**	-	**14,021.50**
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		**20,966.15**		**38,416.20**
फुटकर देनदारों में कमी / (वृद्धि)	(1,15,195.73)		(1,04,970.29)	
सब्सिडी प्राप्यों में कमी / (वृद्धि)	30,505.46		25,316.15	
सरकार से वसूली योग्य राशि में कमी / (वृद्धि)	11,503.53		(2,83,223.68)	
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम / अन्य अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)	(2,2,814.88)		10,008.32	
मालसूचियों में कमी / (वृद्धि)	62,395.79		13,66,793.81	
दावों एवं अन्य वसूली योग्य में कमी / (वृद्धि)	(13,660.56)		10,529.87	
फुटकर लेनदारों में कमी / (वृद्धि)	1,67,703.74		(91,099.16)	
चालू देयता में वृद्धि / (वृद्धि)	4,59,743.10		(5,32,088.00)	
शिक्षण निधि से एनसीयूआई को भुगतान	(243.95)	**5,79,936.51**	(392.46)	**4,00,874.55**
प्रदत्त कर		**(14,727.24)**		**(8,860.28)**
प्रचालन गतिविधियों से / (प्रयोग में) निवल नकदीः (क)		**5,86,175.42**		**4,30,430.47**
खः निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
स्थायी परिसंपत्ति की खरीद	(727.02)		(968.05)	
स्थायी परिसंपत्ति की खरीद के लिए प्रदत्त अग्रिम	(485.10)		-	
निवेश में कमी / (वृद्धि)	3,005.27		(9,030.37)	
प्राप्त ब्याज	7,723.92		4,404.42	
प्राप्त लाभांश	101.33		86.19	
निवेश की बिक्री पर लाभ	90.35		-	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	4.03	**9,712.78**	1.82	**(5,506.00)**
निवेश गतिविधियों से / (प्रयोग में) निवल नकदीः (ख)				
गः वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी के निर्गम से आय	302.16		364.30	
शेयर आवेदन राशि में वृद्धि	-		627.18	
लाभांश का भुगतान	(427.28)		(555.86)	
प्रतिभूत ऋणों में वृद्धि	(5,65,002.17)		(3,87,124.76)	
प्रदत्त ब्याज	(75.58)		(693.79)	
वित्तपोषण गतिविधियों से / (प्रयोग में) निवल नकदीः (ग)		**(5,65,202.86)**		**(3,87,382.93)**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)		**30,685.34**		**37,541.53**
अवधि के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	नोट 1 देखें	**1,46,763.88**	**(See Note 1)**	**1,09,222.35**
अवधि के अखिर में नकदी एवं नकदी समतुल्य	नोट 1 देखें	**1,77,449.22**	**(See Note 1)**	**1,46,763.88**

नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियां

1. नकदी एवं नकदी समतुल्य

   नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी एवं नकदी समतुल्य जिसमें निम्नलिखित तुलनपत्र की राशि शामिल हैः

	31.03.2022	31.03.2021
हाथ में नकदी एवं बैंक में शेष	1,77,449.22	1,46,763.88
	1,77,449.22	**1,46,763.88**

(S.K. VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

(RAJBIR SINGH)
MANAGING DIRECTOR

FOR DINESH JAIN & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-004885N

(CA DINESH KUMAR JAIN)
PARTNER
M NO.082033

FOR SATISH K. KAPOOR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-016222N

(CA SATISH KUMAR KAPOOR)
PARTNER
M NO.094823

FOR HDSG & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-006871N

(CA HARBIR SINGH GULATI)
PARTNER
M NO. 084072

PLACE : NEW DELHI
DATE : 01.08.2022

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु खंड रिपोर्ट (एएस-17)

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	I कृषि कारोबार	II पीएसएस कारोबार	IV अन्य कारोबार	V अनाबंटित मदें	2021-2022 हेतु योग	I कृषि कारोबार	II पीएसएस कारोबार	IV अन्य कारोबार	V अनाबंटित मदें	2021-2022 हेतु योग
क.	राजस्व खंडः										
i)	बिक्री	7,32,271.08	6,38,753.50	5,34,152.71	70,045.12	19,75,222.41	4,48,828.44	20,03,264.51	11,87,688.39	49,713.20	36,89,494.54
ii)	सेवा शुल्क (पीएसएफ/पीएसएस)	105.12	6,024.65	8,698.86	-	14,828.63	5,424.61	14,959.36	25,382.31	-	45,766.28
iii)	अन्य आय	72.40	5,423.57	(608.39)	19.46	4,907.05	154.38	7,616.85	1,754.38	32.78	9,558.39
	सकल बिक्री/आय	7,32,448.60	6,50,201.72	5,42,243.18	70,064.58	19,94,958.08	4,54,407.43	20,25,840.72	12,14,825.08	49,745.98	37,44,819.20
	(i+ii+iii)										
ख.	परिणाम खंड	83,036.83	(1,67,051.92)	52,845.33	55,556.37	24,386.60	1,40,910.14	(3,25,112.00)	2,22,076.40	6,863.62	44,738.16
	(सकल लाभ)										
क.	जोड़ेंः अनाबंटित आय	-	2.61	-	10,301.84	10,304.45	7.57	66.61	-	6,399.21	6,473.39
ख.	घटाएंः अनाबंटित व्यय	-	-	-	21,097.28	21,097.28	953.85	145.94	611.43	25,374.71	27,085.93
ग.	असाधारण मदों से पूर्व लाभ (क+ख+ग)	83,036.83	(1,67,049.31)	52,845.33	44,760.93	13,593.77	1,39,963.87	(3,25,191.33)	2,21,464.97	(12,111.89)	24,125.62
घ.	असाधारण मदें	2.61	0.00	28.78	301.99	333.39	-	-	-	269.08	269.08
ड.	कर पूर्व लाभ (ग+घ)	83,039.44	(1,67,049.31)	52,874.11	45,062.92	13,927.16	1,39,963.87	(3,25,191.33)	2,21,464.97	(11,842.81)	24,394.70
ग.	परिसंपत्ति खंड	1,93,914.58	25,84,587.91	1,27,778.32	1,10,520.86	30,16,801.67	1,89,066.00	25,89,797.53	1,15,580.00	58,383.82	29,52,827.34
क	अनाबंटित परिसंपत्तियां	-	-	-	3,73,612.91	3,73,612.91	-	-	-	3,62,355.89	3,62,355.89
ख	कुल परिसंपत्तियां (ग+क)	1,93,914.58	25,84,587.91	1,27,778.32	4,84,133.78	33,90,414.59	1,89,066.00	25,89,797.53	1,15,580.00	4,20,739.72	33,15,183.24
घ.	देयता खंड	2,03,754.34	27,22,584.09	93,644.30	43,576.12	30,63,558.85	1,56,275.41	27,44,338.15	76,371.61	46,935.07	30,23,920.24
क	अनाबंटित देयताएं	-	-	-	3,26,855.74	3,26,855.74	-	-	-	2,91,262.99	2,91,262.99
ख	कुल देयताएं (घ+क)	2,03,754.34	27,22,584.09	93,644.30	3,70,431.86	33,90,414.59	1,56,275.41	27,44,338.15	76,371.61	3,38,198.06	33,15,183.24
ङ.	वर्ष के दौरान खर्च किया गया पूंजीगत व्यय	-	-	-	1,842.43	1,842.43	-	-	-	2,238.14	2,238.14
च.	मूल्यह्रास	-	-	-	923.28	923.28	-	-	-	861.89	861.89
छ.	मूल्यह्रास से भिन्न गैर नकदी व्यय	-	-	-	18,773.62	18,773.62	-	-	-	13,894.64	13,894.64

(S.K. VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

(RAJBIR SINGH)
MANAGING DIRECTOR

नेफेड

किसान सहकारिता

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित

नेफेड भवन, सिद्धार्थ एन्कलेव
आश्रम चौक, रिंग रोड़, नई दिल्ली–110014
दूरभाषः +91-11-26340019, ट्वीटरः @nafedindia
वैबसाइटः www.nafed-india.com

Design and Printed at Royal Press # 93101 32888